रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 555] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 10, 2016/श्रावण 19, 1938
No. 555] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 10, 2016/SRAVANA 19, 1938

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2016

सा.का.नि. 780(अ).—कुछ नियमों, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 के XV) की धारा 6 के उपखंड (i) के खंड (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पोत पत्तन नियमावली, 1955 का अधिक्रमण करते हुए बनाए जाने का प्रस्ताव है, का प्रारूप सभी पणधारियों एवं उन लोगों, जिनके प्रभावित होने की संभावना है, के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है। राजपत्र में नियमावली का प्रारूप प्रकाशित होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर इस संबंध में उनकी टिप्पणियां विचारार्थ आमंत्रित की जाती हैं।

ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले उक्त प्रारूप के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आपत्ति अथवा सुझाव पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

यदि कोई आपत्तियां अथवा सुझाव हों, तो उन्हें कृपया श्री एन कुमार स्वामी, अवर सचिव (अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 401, डी-विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली – 110108, टेलिफैक्स: 23061521, ई-मेल: swamynk@gmail.com को प्रेषित किया जाए।

नियमावली का प्रारूप

भाग- 1, प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं आरंभ:-

i. इन नियमों को भारतीय पत्तन स्वास्थ्य नियम, 2015 के नाम से जाना जाएगा।

ii. वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. ***परिभाषाएं***

भारतीय पत्तन स्वास्थ्य नियमों (इसके बाद पत्तन स्वास्थ्य नियम के रूप में उल्लिखित) के प्रयोजन से

(1) "*प्रभावित"* शब्द का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों, सामान, कार्गो, कंटेनर, जहाज/मालवाहक पोत, सामग्री, पोस्टल पार्सल या मानव अपशिष्ट से है जो संक्रमित या संदूषित हैं या संक्रमण अथवा संदूषण के स्रोतों के वाहक हैं, जिससे जन-स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न होता है;

(2) "प्रभावित क्षेत्र" का अभिप्राय ऐसे भौगोलिक स्थान से है जिसके लिए विशेष रूप से आईएचआर -2005 के तहत स्वास्थ्य उपायों की सिफारिश की गई है।

(3) "आगमन" का अर्थ है बंदरगाह के विनिर्दिष्ट क्षेत्र में समुद्रगामी जहाज का आना या रुकना; और किसी अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक परिवहन हेतु जाने वाले अंतर्देशीय जहाज के मामले में प्रवेश के स्थान पर आगमन;

(4) "सामान" का अभिप्राय किसी यात्री या चालक दल के किसी सदस्य का व्यक्तिगत सामान;

(5) "माल" का तात्पर्य किसी जहाज/वेसल पर या कंटेनर में लाई गई सामग्री से है;

(6) "समक्ष प्राधिकारी" का अर्थ है इन नियमों के तहत स्वास्थ्य उपायों के कार्यान्वयन और अनुप्रयोग के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी और इन नियमों के प्रयोजन से "पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी" सक्षम प्राधिकारी होगा;

(7) "कंटेनर" का अर्थ है ऐसा परिवहन उपकरण जो:

(i) स्थायी प्रकृति का हो और तदनुसार बार-बार उपयोग में लाए जाने हेतु काफी मजबूत हो;

(ii) विशेष रूप से डिजाइन किया गया हो जिससे मध्यवर्ती रिलोडिंग के बिना एक या एक से अधिक परिवहन विधि से सामान को ले जाने में सुविधा हो;

(iii) आसानी से रख-रखाव के लिए विशेष रूप से एक परिवहन विधि से दूसरी विधि में परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त उपकरणों से युक्त हो; और

(iv) विशेष रूप से डिजाइन किया गया, जिसे भरने और खाली करने में आसानी हो;

(8) "कंटेनर लोडिंग एरिया" का अभिप्राय अंतर्राष्ट्रीय यातायात में प्रयुक्त कंटेनरों के लिए अलग से विनिर्दिष्ट स्थान अथवा केंद्र से है;

(9) "संदषण" का अर्थ है उपभोग के लिए तैयार किए गए किसी उत्पाद में या उस उत्पाद पर किसी मानव अथवा पशु के शरीर पर या अन्य निर्जीव वस्तुओं पर किसी संक्रामक या विषाक्त एजेंट या पदार्थ का होना, जिससे जन स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न हो;

(10) इन नियमों के तहत "वाहन" का अर्थ है जल परिवहन के साधन के रूप में प्रयुक्त जहाज, पोत, नौका, जलयान, कर्षनाव, देशी जनयान, बंकरयान, नौसैनिक जलयान या अन्य जलयान। इन नियमों के तहत जहां-कहीं "जहाज/जलयान" का उल्लेख हुआ है, उसका अर्थ "वाहन" है;

(11) "वाहन चालक" का तात्पर्य किसी वाहन के स्वाभाविक या वैधानिक प्रभारी या उसके एजेंट से है;

(12) "चालक दल" का अभिप्राय है जलयान में कर्तव्यों के निष्पादन के लिए नियोजित जहाज/यान के कार्मिक, जो यात्री न हों;

(13) "दिन" का अर्थ चौबीस घंटे का अंतराल है;

(14) "विसंदूषण" का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा उपभोग के लिए तैयार किए गए किसी उत्पाद में या उस उत्पाद पर किसी मानव अथवा पशु के शरीर पर या अन्य निर्जीव वस्तुओं पर किसी संक्रामक या विषाक्त एजेंट या पदार्थ, जिससे जन स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न हो, को समाप्त करने हेतु स्वास्थ्य संबंधी उपाय किए जाते हैं;

(15) "प्रस्थान" का अर्थ है व्यक्तियों, सामान, माल, जहाज/जलयान या सामग्री को देश से बाहर जाने की क्रिया;

(16) "डिरैटिंग" का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है, जिसके द्वारा प्रवेश के स्थान पर सामान, माल कंटेनरों, जहाज/यान केंद्रों, सामग्री तथा पोस्टर पार्सलों में उपस्थित चूहों आदि (रोडेंट) को नियंत्रित करने या मारने के उपाय किए जाते हैं;

(17) "रोग" का अर्थ है कोई बीमारी अथवा स्वास्थ्य दशा, जिसके स्रोत ज्ञात न हों, जो मानवों को भारी नुकसान पहुंचाती हो या नुकसान पहुंचा सकती हो;

(18) "विसंक्रमक" का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा किसी मनुष्य या पशु के शरीर पर या सामान, जहाजी माल, कंटेनरों, जहाज/यान, सामग्री और पोस्टल पार्सलों में या उन पर पाए जाने वाले संक्रामक एजेंटों को रासायनिक या भौतिक एजेंटों का प्रत्यक्ष उपयोग करके नियंत्रित करने या मारने के उपाय किए जाते हैं;

(19) "डिसइंसेक्शन" का अर्थ वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सामान, माल, कंटेनरों, जहाज/यान, सामग्री और पोस्टल पार्सलों में मौजूद मानव रोगों के कीट वेक्टरों को नियंत्रित करने या मारने के उपाय किए जाते हैं;

(20) "घटना" का तात्पर्य रोग के किसी लक्षण या किसी घटना से है जिससे रोग की संभावना उत्पन्न होती है;

(21) "नि:शुल्क संगरोध मुक्ति" का अर्थ है जहाज/जलयान को बंदरगाह की सीमा में प्रवेश करने, वहां से चलने या वहां आकर रुकने, जहाजी माल या सामग्री को उतारने या चढ़ाने की अनुमति;

(22) "सामग्री" का अभिप्राय किसी जहाज/यान पर उपयोग सहित अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के लिए भेजे गए पशुओं एवं पादपों सहित ठोस उत्पाद से है;

(23) "स्वास्थ्य उपाय" का तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से है जिनके द्वारा रोग के प्रकोप या संदूषण की रोकथाम की जाती है; स्वास्थ्य उपाय में कानून का प्रवर्तन या सुरक्षा के उपाय शामिल नहीं है;

(24) "संक्रमित क्षेत्र" का अर्थ है केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के तहत घोषित पीत ज्वर रोग या पीएचईआईसी से संक्रमित कोई क्षेत्र;

(25) "बीमार व्यक्ति" का अर्थ है किसी शारीरिक रोग से ग्रस्त या प्रभावित कोई व्यक्ति जिससे जन स्वास्थ्य को खतरा हो;

(26) "संक्रमण" का अभिप्राय मनुष्यों और पशुओं के शरीर में किसी संक्रामक एजेंट का आना, विकसित होना या बढ़ना, जिससे जन स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न हो;

(27) "निरीक्षण" का अर्थ है सक्षम प्राधिकारी (पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी) द्वारा या उसके पर्यवेक्षण में क्षेत्रों, कंटेनरों, जहाज/यान, केंद्रों, सामग्री या पोस्टल पार्सलों के साथ-साथ संगत डाटा और प्रलेखों की जांच करना, जिससे यह निर्धारित हो सके कि जन स्वास्थ्य का खतरा मौजूद है या नहीं;

(28) "आईएचआर" का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम है;

(29) "अंतर्राष्ट्रीय यातायात" का अर्थ है किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित व्यक्तियों, सामान, माल, कंटेनरों, वाहनों, सामग्री या पोस्टल पार्सलों का आना-जाना;

(30) "अंतर्राष्ट्रीय समुद्र यात्रा" का अभिप्राय है:

(i) किसी जहाज/यान के मामले में एक से अधिक देशों के भू-भागों में प्रवेश स्थानों के बीच यात्रा या यदि जहाज/यान को किसी अन्य देश के भू-भाग से यात्रा के दौरान संपर्क होता है तो उसी देश के भू-भाग या भू-भागों में प्रवेश स्थानों के बीच यात्रा;

(ii) किसी व्यक्ति के मामले में, जिस देश से वह व्यक्ति यात्रा शुरु करता है उस देश के भू-भाग को छोड़कर किसी अन्य देश के भू-भाग में प्रवेश करता हो;

(31) "इनवेसिव" का अर्थ है चमड़े में छेद करना या उस पर चीरा लगाना या शरीर में कोई उपकरण अथवा कृत्रिम सामग्री लगाना या शरीर की कैविटी की जांच करना;

कान, नाक और मुंह की मेडिकल जांच, कान, मुंह या कांख में थर्मोमीटर डालकर शरीर के तापमान का आकलन या थर्मल इमेजिंग; मेडिकल जांच; श्रवण निदान; बाह्य स्पर्श परीक्षा; रेटिनोस्कोपी; मूत्र, मल या

लार के नमूनों का बाह्य संग्रहण; रक्तचाप की बाह्य माप; और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी को नॉन-इनवेसिव माना जाएगा;

(32) "विलगन" से अभिप्रेत है कि बीमार या संक्रमित व्यक्तियों या प्रभावित सामान, कंटेनरों, जहाज/यान, सामग्री या पोस्टल पार्सलों को दूसरों से इस प्रकार विलगन करना कि संक्रमण या संदूषण फैलने न पाए;

(33) "मेडिकल जांच" से अभिप्राय है कि व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति और दूसरों को संभावित जन स्वास्थ्य खतरे का निर्धारण करते हेतु किसी प्राधिकृत स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा या सक्षम प्राधिकारी (पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी) के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का प्रारंभिक आकलन करना और व्यक्तिगत मामले की परस्थितियों के आधार पर उचित समझे जाने पर उसमें स्वास्थ्य संबंधी प्रलेखों की जांच और शारीरिक जांच भी शामिल की जा सकती है;

(34) "जहाज के मास्टर" से नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति या जहाज/जलयान का प्रभारी कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है;

(35) "राष्ट्रीय आईएचआर फोकल बिंदु" का तात्पर्य है केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय केंद्र जहां इन विनियमों के तहत डब्ल्यूएचओ आईएचआर संपर्क बिंदुओं से विचार-संप्रेषण के लिए हर समय जाना सुगम होगा;

(36) "पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी (पीएचओ)" से अभिप्रेत है –

(i) प्रमुख बंदरगाहों के मामले में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, और

(ii) अन्य बंदरगाहों के मामले में उस संबंधित राज्य सरकार, जिसे भारतीय पोत पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का XV) की धारा 17 के उप-खंड (i) के तहत नाम से या पद से बंदरगाह के स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त करने का केंद्र सरकार का कार्य सौंपा गया, द्वारा नियुक्त व्यक्ति, और इसके बंदरगाह के स्वास्थ्य अधिकारी के कर्तव्यों के निष्पादन के लिए केंद्र सरकार अथवा संबंधित राज्य सरकार द्वारा, जैसी स्थिति हो, या तो नाम से या पद के आधार पर नियुक्त अपर, उप या सहायक स्वास्थ्य अधिकारी और कोई अधिकारी शामिल हैं;

(37) "वैयक्तिक डाटा" का अभिप्राय किसी अभिज्ञात अथवा अभिज्ञेय स्वाभाविक व्यक्ति से संबंधित सूचना है;

(38) "स्थायी निवास" का तात्पर्य राष्ट्रीय कानून में यथानिर्धारित है;

(39) "प्रवेश बिंदु" से अभिप्रेत है व्यक्तियों, सामान, माल, कंटेनरों, जहाज/जलयान सामग्री और पोस्टल पार्सलों तथा प्रवेश अथवा प्रस्थान के स्थान पर उन्हें सेवाएं उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों एवं क्षेत्रों के अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश अथवा प्रस्थान के लिए निर्धारित स्थान;

(40) "पोस्टल पार्सल" का अर्थ है डाक अथवा कुरियर सेवा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रूप से लाए गए वस्तु या पैकेज जिस पर पता लिखा हो;

(41) "उद्भव अवधि" का अर्थ है-

(i) पीत ज्वर के मामले में यह 6 दिन है, और

(ii) अन्य रोगों के मामले में ऐसी अवधि जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित की जाए;

(42) "पत्तन" का तात्पर्य अपने देश की जल सीमा में किसी बंदरगाह या पोर्ट से है जहां अंतर्राष्ट्रीय परिवहन की जहाजों/जलयानों का आगमन और प्रस्थान होता है;

(43) "अंतर्राष्ट्रीय सरोकार के जन-स्वास्थ्य आपातकाल (पीएचईआईसी)" का अभिप्राय है कोई असाधारण घटना:

(i) जिससे उस देश को अन्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोग के फैलने का खतरा होना निश्चित हो; और

(ii) जिसके लिए समन्वित अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई अपेक्षित हो;

(44) "जन स्वास्थ्य निरीक्षण" से रोग के संक्रमण का जोखिम निर्धारित करने के लिए किसी यात्री की स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी अभिप्रेत है;

(45) "जन स्वास्थ्य जोखिम" का अर्थ है किसी घटना की संभावना जिससे मानव आबादी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, खास तौर पर ऐसी बीमा की संभावना जिसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलने और गंभीर तथा प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न होने का खतरा हो;

(46) "संगरोध" से अभिप्रेत है संदिग्ध व्यक्तियों, जो बीमार नहीं हैं, या संदिग्ध सामान, कंटेनरों, जहांज/जलयान या सामग्री के गतिविधियों को प्रतिबंधित करना/उन्हें दूसरों से इस तरीके से अलग करना कि संक्रमण या संदूषण के फैलने की संभावना को रोका जा सके;

(47) "आधान" का तात्पर्य है कोई पशु, पादप या पदार्थ जिसमें आमतौर पर कोई संक्रामक एजेंट रहता है और जिसकी मौजूदगी से जन-स्वास्थ्य खतरा हो;

(48) "जहाज" से अभिप्रेत है अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर समुद्र में चलने वाली या अंतर्देशीय नौ-चालन जलपोत;

(49) "निगरानी" से अभिप्रेत है जन-स्वास्थ्य के प्रयोजनों से डाटा का व्यवस्थित वर्तमान संग्रह, मिलान तथा विश्लेषण और जन-स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के यथावश्यक आकलन एवं जन-स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए उसका समय पर प्रसारण;

(50) "संदिग्ध" का अर्थ है वे व्यक्ति, सामान, माल, कंटेनर, जहाज/जलपोत, सामग्री या पोस्टल पार्सल, जिन्हें उस देश द्वारा जन-स्वास्थ्य जोखिम के कारक या संभावित कारक के रूप में माना गया है और जो रोग के फैलने का संभावित स्रोत हो सकता है;

(51) "यात्रा" से अभिप्रेत है चालक दल सहित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर जाने वाला कोई व्यक्ति;

(52) "वेक्टर" का तात्पर्य उस कीट या अन्य पशु से है जो आमतौर पर ऐसे संक्रामक एजेंट का वाहक होता है जिससे जन-स्वास्थ्य को जोखिम होता है;

भाग II- जन स्वास्थ्य संबंधी कार्रवाई

3. केंद्र सरकार के कार्य- इन नियमों के संबंध में केंद्र सरकार पर निम्नलिखित जिम्मेदारी होगी:

(1) देश के भीतर होने वाली पीएचईआईसी से संबंधित घटनाओं को अधिसूचित करने तथा डब्ल्यूएचओ के संपर्क केंद्र को सूचित करने हेतु राष्ट्रीय आईएचआर फोकल केंद्र विनिर्दिष्ट करना और देश के भीतर जन-स्वास्थ्य संबंधी कार्रवाई में समन्वय स्थापित करना।

पीएचईआईसी को सरकारी राजपत्र में अधिसूचना।

(2) पीएचईआईसी या किसी अन्य संक्रामक रोग के नियंत्रण के लिए कार्य बल गठित करना।

(3) पीएचईआईसी का मामला पाए जाने पर केंद्र सरकार बंदरगाह पर अपेक्षित अतिरिक्त स्वास्थ्य उपाय करने का निर्णय ले सकती है।

4. पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी की भूमिका

(1) पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी जन-स्वास्थ्य संबंधी उपायों की निगरानी करने और लागू करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह:

(i) जहाज/जलपोत के निरीक्षण के साथ-साथ यात्रियों की स्वास्थ्य जांच और मेडिकल जांच, प्रस्थान करने वाली तथा आने वाले जहाजों/पातों के सामान माल, कंटेनरों, सामग्री, पोस्टल पार्सलों और मानव अपशिष्टों की निगरानी के लिए प्राधिकृत होगा, ताकि उनका अनुरक्षण इस तरीके से हो कि वे वेक्टरों तथा आधानों सहित संक्रमण या संदूषण के स्रोत से मुक्त हों;

(ii) किए गए उपायों की निगरानी करेगा और समन्वय स्थापित करेगा, ताकि प्रवेश के स्थानों पर यात्रियों द्वारा उपयोग किए गए केंद्रों को साफ-सफाई की दशा में अनुरक्षित किया जा सके और उन्हें वेक्टरों तथा आधानों सहित संक्रमण या संदूषण के स्रोतों से मुक्त रखा जा सके;

(iii) इन नियमों के तहत सामान, जहाजी माल, कंटेनरों, वाहनों, सामग्री, पोस्टल पार्सलों और मानव अपशिष्टों या लोगों के लिए सफाई के उपायों की किसी डिरैटिंग, विसंक्रमण, डिसइंसेक्शन या विसंदूषण की यथोपायुक्त निगरानी के लिए उत्तरदायी होगा;

(iv) वाहन चालकों को यथासंभव पहले ही किसी वाहन पर नियंत्रण के उपाय लागू करने का सुझाव देगा और जहां उपलब्ध हो, अपनाए गए तौर-तरीके के संबंध में लिखित जानकारी उपलब्ध कराएगा;

(v) किसी वाहन से किसी प्रकार के संदूषित जल या खाद्य, मानव या पशु के मल, खराब पानी या किसी अन्य संदूषित पदार्थ को हटाने और सुरक्षित निपटान की निगरानी के लिए उत्तरदायी होगा;

(vi) इन नियमों के अनुरूप जहाजों द्वारा गंदा पानी, अपशिष्ट, बैलास्ट जल तथा अन्य रोग उत्पन्न करने के संभावित पदार्थ जिससे बंदरगाह, नदी, नहर, जल संयोजी, झील या अन्य अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के संदूषित होने की संभावना हो, को वाहन से हटाने की निगरानी और नियंत्रण के लिए सभी व्यावहारिक उपाय करेगा;

(vii) प्रवेश के स्थानों पर यथावश्यक निरीक्षण एवं मेडिकल जांच सहित यात्रियों, सामान, जहाजीमाल, कंटेनरों, वाहनों, सामग्री, पोस्टल पार्सलों और मानव अपशिष्टों से संबंधित सेवाओं के लिए सेवा प्रदाताओं की निगरानी के लिए उत्तरदायी होगा;

(viii) किसी अप्रत्याशित पीएचईआईसी और/या किसी अन्य संक्रामक रोग से निपटने के लिए प्रभावकारी आकस्मिक व्यवस्था करेगा और बंदरगाह आकस्मिक व्यवस्था करेगा और बंदरगाह पर सभी संबंधित एजेंसियों को उससे निपटने के उपायों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराएगा;

(ix) संगत निगरानी क्रियाकलापों, संभावित जन-स्वास्थ्य जोखिम और जन-स्वास्थ्य उपायों के संबंध में राष्ट्रीय आईएचआर फोकल केंद्र सबसे द्रुतगामी साधनों से विचारों का संप्रेषण करेगा;

(x) बंदरगाह पर पीएचईआई की घटना होने पर केंद्र सरकार द्वारा यथा निर्णीत अतिरिक्त स्वास्थ्य उपायों में समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) यदि इस बात के सत्यापन योग्य संकेत और/या साक्ष्य उपलब्ध हों कि प्रभावित क्षेत्र से प्रस्थान के समय लागू किए गए उपाय सफल नहीं रहे, तो पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी प्रभावित क्षेत्र से आने वाले जहाजों के आगमन पर यात्रियों, उनके सामान, जहाजीमाल, कंटेनरों, जहाजों/जलपोतों, सामग्री, पोस्टल पार्सलों और मानव अपशिष्टों के लिए स्वास्थ्य उपायों को दुबारा लागू करने पर विचार कर सकता है।

भाग III- आगमन

5. आने वाले जहाज के लिए सामान्य प्रावधान:-

(1) इन नियमों के तहत किसी बंदरगाह पर पहुंचने वाले प्रत्येक जहाज के मास्टर को जब तक जहाज को नि:शुल्क संगरोध-मुक्ति न प्राप्त हो जाए, तब तक अंतर्राष्ट्रीय सिग्नल कोड (झंडा, प्रकाशन संकेतकों आदि) का अनुसरण करना होगा।परंतु किसी बंदरगाह के प्राधिकारी बंदरगाह पर बार-बार आने वाले जहाजों के उपयोग के लिए केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से ऐसे अतिरिक्त संकेतकों को अधिसूचित कर सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कोड के प्रतिकूल न हों;

(2) किसी जहाज का मास्टर या तो स्वयं या पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी एजेंट के माध्यम से पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी को अनुलग्नक-1 के अनुसार सामुद्रिक स्वास्थ्य घोषणा के आधार पर लागू अंतर्राष्ट्रीय सिग्नल कोड को मानक संगरोध संदेशों में निर्धारित समस्त संगत जानकारी के साथ संदेश प्रेषित करेगा। ऐसा संदेश जहाज के बंदरगाह पर पहुंचने से पहले तब प्रेषित किया जाएगा जब गंतव्य बंदरगाह पर आने में अधिक से अधिक अड़तालीस घंटे और कम से कम चार घंटे रह गए हों।

(3) आगमन से पहले, जहाज/जलपोत से प्राप्त जानकारी के आधार पर पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी, जब उसकी राय में जहाज के आगमन से रोग के पनपने या फैलने की संभावना न हो तब, किसी जहाज/जलपोत को रेडियो अथवा अन्य संप्रेषण माध्यम से नि:शुल्क संगरोध-मुक्ति प्रदान कर सकता है।

(4) जलपोत/जलयान को जन स्वास्थ्य संबंधी कारणों के लिए स्वतंत्र संगरोध मुक्ति (प्रैटीक) हेतु इंकार नहीं किया जाएगा और मुख्यत: उसे ईंधन, पानी, खाद्य पदार्थ, और आपूर्तियां लेने से रोका नहीं जाएगा।

बशर्ते कि जलपोत/जलयान का निशुल्क संगरोध मुक्ति से पहले निरीक्षण किया जाएगा और यदि जलपोत पोत/जलयान पर संक्रमण अथवा संदूषण का कोई स्रोत पाया जाता है तो पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी संक्रमण अथवा संदूषण के फैलाव को रोकने के लिए चूहे हटाने, विसंक्रमण, विसंदूषण, विसंक्रमण अथवा अन्य आवश्यक उपाय कर सकता है।

(5) आगमन पर पोत का कप्तान अनुलग्नक-I और Iक में निर्धारित मॉडल के अनुरूप स्वास्थ्य संबंधी समुद्री घोषणा पत्र पूरा करेगा और इसे सौंपेगा।

(6) जलपोत का कप्तान समुद्री यात्रा के दौरान जलपोत पर स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के संबंध में पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अपेक्षित अन्य और सूचना प्रदान करेगा।

(7) भारत में आने वाले अंतरराष्ट्रीय समुद्री यात्रा के जलपोत का कप्तान अथवा जलपोत प्रचारित करने वाले की ओर से कोई एजेंट अनुलग्नक-I और Iक में निर्धारित मॉडल के अनुरूप स्वास्थ्य संबंधी समुद्री घोषणा-पत्र के अनुसार सूचना प्रदान करेगा।

(i) पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी को <u>पूर्व सूचना</u>

(क) आगमन की तारीख और समय तथा जलपोत के बारे में ब्यौरा (जलपोत संबंधी ब्यौरा)।

(ख) कार्गो और किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति।

(ग) क्रू/यात्रियों, अधिसंख्य, सुरक्षा के व्यक्तियों द्वारा जलपोत पर चढ़ने और तरने का विवरण।

(घ) आगमन और प्रस्थान ब्यौरे सहित 30 दिनों के लिए पोर्ट ऑफ कॉल सूची।

(ड.) क्रू और यात्री सूची- अधिसंख्य, सुरक्षा।

(च) संक्रमण रोगों की वजह से और/अथवा अंतरराष्ट्रीय सरोकार की जन स्वास्थ्य आपात स्थिति की वजह से किसी भी मामले(लों)/मृत्यु/संदिग्ध का ब्यौरा।

(छ) आईएमओ मानक प्रपत्र के अनुसार जलपोत पर किसी भी बेटिकट यात्री का ब्यौरा।

(ज) किसी भी पालतू पशु/जंगली जानवर, बंदरों, घुड़दौड़ के घोड़ों तथा उनके वैक्सीनेशन का ब्यौरा।

(झ) वैध भेड़ स्वच्छता प्रमाण-पत्रों (एसएससीसी/एसएससीईसी/एक्सटेंशन) का ब्यौरा अर्थात दिनांक, जारी करने का स्थान, आईएचआर-2005 से जारी की गई प्राधिकृत बंदरगाह की सूची।

(ञ) स्वच्छता नियंत्रण उपायों का ब्यौरा अपेक्षित है अथवा नहीं। यदि हां, तो पुन: निरीक्षण की तारीख तथा उपायों के अनुपालन की तारीख।

(ट) इसके अतिरिक्त यह सूचना भी देना कि जलपोत आगमन से पहले विगत 30 दिनों में पीतज्वर स्थानिकमारी देश में किसी बंदरगाह पर तो नहीं रुका (यदि हां, तो बंदरगाह..... देश .....प्रस्थान तिथि .....का ब्यौरा।

(ii) आगमन पर जलपोत का कप्तान अथवा उसकी ओर से कोई एजेंट निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा:-

(क) विधिवत भरी हुई स्वास्थ्य संबंधी समुद्री घोषणा-पत्र।

(ख) क्रू की सूची

(ग) अनुलग्नक-2 पर दिया गया जलपोत स्वछता नियंत्रण प्रमाण-पत्र/जलपोत स्वछता नियंत्रण छूट प्रमाण-पत्र।

(घ) पतन स्वास्थ्य अधिकारी को प्रदत्त अंतिम सूचना के उपरांत अंतरराष्ट्रीय सरोकार का संभावित जन-स्वास्थ्य आपातकाल और/अथवा संक्रामक रोग की वजह से कोई मामला (मामले)/मृत्यु/संदिग्ध होने की घटना।

(8) यदि पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी को यह लगेगा कि बैगज, कार्गो, कंटेनरों, जलपोत/जलयान, सामान तथा डाक पार्सल पर संक्रमण के कारण संदूषण हो सकता है अथवा ये किसी रोग के फैलाव के वाहक हो सकते हैं तो ये इन नियमों में प्रदत्त स्वास्थ्य संबंधी उपायों के अध्यधीन होंगे।

(9) खाद्य पदार्थों तथा पशुधन से संबंधित कार्गो पर मौजूदा अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा कार्रवाही की जाएगी।

(10) बंदरगाह से गुजरने वाले किसी जजपोत, जिसमें यात्रीगण अथवा क्रू चढ़ते अथवा उतरते नहीं है अथवा कार्गो चढ़ाया अथवा उतारा नहीं जाता है, को बंदरगाह के किसी क्षेत्र विशेष में रोका जा सकता है। तथापि, ऐसे जलपोत को पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी के पर्यवेक्षण में ईंधन, पानी और आपूर्तियां लेने की अनुमति होगी।

(11) पीत ज्वर की आशंका वाले सभी जलपोतों का निरीक्षण सूर्योदय से सूर्यास्त तक किया जाएगा।

(12) किसी भी विदेशी बंदरगाह से आने वाले सभी क्रूज लाइनर के आगमन पर बंदरगाह में लंगर डालने से पहले स्वतंत्र संगरोध मुक्ति देने के लिए पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी निरीक्षण करेगा।

6.- पीएचईआईसी (अंतरराष्ट्रीय सरोकार का जन-स्वास्थ्य आपातकाल) के दौरान उपाय

(1) यदि जलपोत पर पीएचईआईसी का कोई संदिग्ध मामला है तो जलपोत का कप्तान इसके आगमन से पहले अंतरराष्ट्रीय सिगनल कोड के अंतर्गत निर्धारित सिगनल देगा और तत्काल पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी को स्थिति से अवगत करवाएगा एवं क्लीयरेंस से पहले तट पर किसी से संपर्क स्थापित करने की पहल नहीं करेगा।

(2) जब तक जलयन द्वारा यह सिगनल दिया जाएगा कि जलपोत "संक्रमित" अथवा "संदिग्ध" है, किसी भी व्यक्ति/जलपोत को जलयान के साथ प्रत्यक्ष रुप से संपर्क स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी सिवाय तब, जब नौवहन कारणों की वजह से किसी संरक्षक अथवा उसके अधीनस्थ अधिकारी अथवा इन नियमों के कार्यान्वयन में कार्यरत अधिकारी के लिए यह आवश्यक न हो, संरक्षक अथवा उसके अधीनस्थ अधिकारी अथवा इन नियमों के कार्यान्वयन में कार्यरत अधिकारी पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी की अनुमति से उस नाव को जलपोत के साथ ले जाने का प्रयास करेगा और पायलट, हार्बर मास्टर, नौकाबंध स्थल के क्रू के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति और नौवहन आवश्यकता होने पर संरक्षक अथवा उसके अधीनस्थ अधिकारी इन नियमों के कार्यान्वयन में कार्यरत अधिकारी के अलावा पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी की लिखित अनुमति के बगैर "संक्रमित" अथवा "संदिग्ध" जलपोत पर न तो चढ़ेगा अथवा न ही उतरेगा।

(3) सभी "संक्रमित" और "संदिग्ध" जलयानों तथा प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले जलयानों के मामले में पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी जलपोत पर जाएगा और जलपोत का निरीक्षण करेगा। जलपोत का कप्तान उसे यात्रियों, क्रू बैगेज, कार्गो, प्रावधानों, जलापूर्ति तथा जलपोत के ऐसे किसी अन्य हिस्से की जांच के लिए प्रत्येक सुविधा देगा जो पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी जांच करना जरूरी समझे। निरीक्षण के उपरांत पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी पीएचईआईसी से संबंधित/ विशेष प्रावधानों के अनुसार जलपोत को संक्रमित, संदिग्ध अथवा स्वास्थ के रूप में वर्गीकृत करेगा।

(i) सभी संक्रमित अथवा संदिग्ध जलपोत बंदरगाह पर यथोचित स्थान पर रुकेंगे तथा पत्तन प्राधिकारी, पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी से परामर्श करके इस संबंध में लंगर डालने के लिए स्थल प्रदान करेगा और तब तक किसी भी जलपोत पर नहीं चढ़ेगा अथवा किसी भी गोदी पर नहीं आएगा अथवा बंदरगाह पर खड़े किसी भी जलपोत अथवा तट से संपर्क स्थापित नहीं करेगा जब तक पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा ऐसे करने हेतु प्राधिकृत नहीं किया जाएगा।

(ii) पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी नौवहन कारणों से एक विशेष रूप से नियंत्रित ऐसी गोदी पर संक्रमित अथवा संदिग्ध जलपोत को आने हेतु अनुमति प्रदान कर सकता है जहां कड़ी सतर्कता हो तथा समुद्र तट अथवा किसी भी अन्य जलपोत के साथ संप्रेषण अथवा करने संपर्क पर प्रतिबंध लगाया हो, जब तक कि पीएचओ द्वारा उसे सुरक्षित घोषित नहीं किया जाएगा।

(4) जलपोत बंदरगाह पर पहुंचने पर यदि उसमें कोई व्यक्ति पीएचईआईसी/संक्रमण रोग से ग्रस्त पाया जाता है अथवा ऐसा संदेह होता है तो जलपोत का कप्तान अथवा जलपोत का सर्जन अथवा चिकित्सक ऐसी बीमारी होने के बारे में पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी को सूचना देगा।

(5) पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी केंद्रीय सरकार द्वारा यथा निर्धारित अतिरिक्त स्वास्थ्य उपायों को क्रियान्वित करगा ताकि पीएचईआईसी के दौरान जन स्वास्थ्य संबंधी खतरों को रोका जा सके और कम किया जा सके। इन उपायों यात्री को में अलग-थलग रखना, संगरोध अथवा जन स्वास्थ्य निगरानी में रखना आदि शामिल हो सकते हैं।

(6) जलपोत का कप्तान पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी को यात्रियों/चालक दल का ब्यौरा तथा सीट अथवा केबिन की संख्या, कार्गो संबंधी घोषणा, जलपोत की बनावट के बारे में ब्यौरा उपलब्ध करवाएगा और यथावश्यक यात्री तथा चालक दल की चिकित्सीय जांच की सुविधा उपलब्ध कराएगा।

(7) यदि चलपात पर किसी जन स्वास्थ्य खतरे के साक्ष्य अथवा तथ्य, जिसमें संक्रमण तथा संदूषण के स्रोत शामिल हैं, के आधार पर नैदानिक लक्षण अथवा संकेत तथा सूचना पाई जाती है तो पत्तन स्वास्थ्य पदाधिकारी जलपोत/जलयान को प्रभावित पोत के रूप में मानने पर विचार करेगा और वह निम्नलिखित कार्रवाई कर सकता है।

(i) यात्रियों की नॉन इनवेसिव चिकित्सा जांच करवाएगा जिससे जन स्वास्थ्य उद्देश्यों की पूर्ति होगी;

(ii) पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा यथा आवश्यक मानी गई अवधि तक यात्रियों को अलग रखा जाएगा। जिन यात्रियों को संक्रमण हो गया है, यदि वे जलपोत से उतरते हैं तो उन्हें पीएचईआईसी की इनक्यूबेशन अवधि से अनधिक उस अवधि तक निगरानी में रखा जाएगा जब तक उन्हें संक्रमण रहेगा, ऐसी अवधि की गणना अंतिम संक्रमण लगने के समय से की जाएगी;

(iii) केंद्र सरकार द्वारा यथासंप्रेषित डब्ल्यूएचओ की सिफारिशों के अनुसार उपर्युक्त वैक्सिनेशन करना तथा उपचार संबंधी अन्य उपाय करना;

(iv) जलपोत के कप्तान से कहना कि वह यथोचित विसंक्रमण, विसंदूषण, जलपोत/जलजलयान पर चूहों को हटाने संबंधी कार्रवाई अथवा अपनी निगरानी में ये सभी उपाय करवाएं।

(8) पीएचईआईसी से ग्रस्त अथवा संदिग्ध सभी व्यक्तियों को जलपोत से उतारा जा सकता है और नियमानुसार अलग रखा जा सकता है।

(9) यदि किसी व्यक्ति को इन नियमों के अंतर्गत जलपोत से उतारा जाता है और किसी भी अवधि के लिए अलग रखा जाता है तो पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी उस व्यक्ति को अस्पताल अथवा पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी अन्य स्थान पर अलग रखेगा/रखवाएंगा तथा उसे वहां विनिर्दिष्ट अवधि तक रोककर रखेगा।

(10) जब पीएचईआईसी का कोई संदिग्ध रोगी किसी बंदरगाह पर किसी जलपोत से उतारा जाएगा तो पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी अलग गंतव्य बंदरगाह के स्वास्थ्य अधिकारी को शीघ्र-अतिशीघ्र इसकी पुष्टि अथवा अन्यथा निदान संबंधी रिपोर्ट देगा।

(11) पत्त्न स्वास्थ्य अधिकारी प्रभावित क्षेत्र से आने वाले किसी अंतरराष्ट्रीय जलपोत पर मौजूदा किसी भी संदिग्ध को निगरानी में रख सकता है। यह निगरानी सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित इनक्यूबेशन की समूचित अवधि की समाप्ति तक जारी रहेगी।

(12) यदि पीएचओ की ऐसी राय है कि निगरानी में रखे गए व्यक्ति से कोई जन स्वास्थ्य संबंधी खतरा नहीं है तो उसे अलग नहीं रखा जाएगा और सवतंत्र रूप से घूमने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी ऐसे व्यक्ति के से यह अपेक्षा रख सकता है कि वह निगरानी की अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट अंतराल पर यथावश्यक उसे रिपोर्ट करे। पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी ऐसे व्यक्ति की चिकित्सा जांच भी करवा सकता है और ऐसी कोई भी पूछताछ कर सकता है जो उसके स्वास्थ्य का पता लगवाने के लिए अनिवार्य हो।

(13) निगरानी में रखा गया कोई व्यक्ति जब भारत में किसी अन्य स्थान के लिए प्रस्थान करेगा तो वह पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी को इसकी सूचना देगा और पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी उस स्थान के स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी को तत्काल सूचना देगा जहां वह व्यक्ति प्रस्थान कर रहा है। वहां पहुंचने पर वह व्यक्ति उस स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी को रिपोर्ट करेगा जो इन नियमों में उल्लिखित उपाय करेगा।

(14) इसके अतिरिक्त, जलपोत पर लागू किए जा सकने वाले स्वास्थ्य संबंधी उपायों का निर्धारण बिना किसी पूर्वाग्रह के उन शर्तों द्वारा किया जाएगा जो समुद्री यात्रा के दौरान जलपोत पर लागू होगी अथवा चिकित्सीय जांच के समय लागू होंगी।

(15) कार्गो के रूप में आयातित पशुओं तथा पालतू पशुओं के लिए जलपोत की स्वतंत्र संगरोध मुक्ति (प्रैटीक) से पहले वेटरिनरी विशेषज्ञों से स्वास्थ्य अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

7. अलग रखने संबंधी सुविधाएं:-

(1) पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी इन नियमों के प्रयोजनार्थ यात्रियों को अलग रखने के लिए उचित व्यवस्था करेगा।

(2) पीएचईआईसी से ग्रस्त यात्रियों का उपचार पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा यथानिर्धारित नामोद्दिष्ट अस्पतालों में दिया जाएगा।

(3) तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में रोगों के लिए अलग रखे गए व्यक्ति को पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी के विवेकानुसार अलग रखने की अवधि खत्म होने से पहले अपनी समुद्री यात्रा जारी रखने की अनुमति प्रदान की जा सकती है बशर्ते की यात्रियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उपाय किए जाएं।

भाग-IV पीत ज्वर रोग के लिए विशेष प्रावधान

8. आगंतुक जलपोतों के लिए स्वास्थ्य उपाय:-

(1) डब्ल्यूएचओ द्वारा यथा अधिसूचित पीत ज्वर से प्रभावित देशों से 30 दिनों के भीतर आने वाले किसी भी जलपोत/जलयान का निरीक्षण *अनुलग्नक-8* के अनुसार स्वतंत्र संगरोध मुक्ति (प्रैटीक) प्रदान करने से पहले पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(2) जलपोत के आगमन पर जलपोत का कप्तान पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी को स्वास्थ्य, किए गए स्वास्थ्य संबंधी उपाय, यात्रियों/चालक दल की सूची, पीत ज्वर संबंधी वैक्सीनेशन की सूची और पीत ज्वर वैक्सीनेशन प्रमाण-पत्र *(अनुलग्नक-4, 5 और 6 के अनुसार)* की समुद्री घोषणा तथा पीत ज्वर स्थानिक मारी वाले देश से प्रस्थान करने संबंधी ब्यौरा *(अनुलग्नक-8 के अनुसार)* प्रदान करेगा।

(3) इन नियमों के अनुसार पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अपेक्षित उपायों को नहीं करने वाले किसी भी जलपोत के कप्तान को गोदी पर अथवा बंदरगाह में किसी भी अन्य पोत से किसी भी तरह का संप्रेषण स्थापित किए बगैर तत्काल प्रस्थान करने की अनुमति होगी। यद्यपि ऐसे जलपोत को संगरोध रखकर ईंधन, पानी और भंडार सामग्री तथा अपने सामान के साथ अथवा इसके बगैर जलपोत से उतरने वाले अथवा एक जलपोत से दूसरे जलपोत पर चढ़ने वाले किसी भी यात्री को इस शर्त पर अनुमति प्रदान की जाती है कि वे इन नियमों के अंतर्गत पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अपेक्षित उचित उपाय करें।

(4) यदि किसी जलपोत का निरीक्षण करने पर उसमें पीत ज्वर से पीड़ित कोई व्यक्ति मिलता है तो;

(i) उस जलपोत को तब तक स्वतंत्र संगरोध मुक्ति (प्रैटीक) नहीं दी जाएगी जब तक पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा यथाविहित स्वास्थ्य संबंधी उपाय न किए गए हों।

(ii) यदि जलपोत पीत ज्वर से प्रभावित किसी देश से आ रहा है और जलपोत पर जीवित एडिज मच्छर पाया जाता है तो जलपोत इन नियमों के अनुसार पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अपेक्षित स्वास्थ्य संबंधी उपायों के अध्यधीन होगा।

(5) पीत ज्वर स्थानिकमारी वाली देशों से आने वाले/गुजरने वाले और ऐसे क्षेत्र से प्रस्थान करके छह दिनों के भीतर भारत में आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के पास पीत ज्वर का टीके लगवाने का वैद्ध प्रमाण-पत्र होना चाहिए जिसके न होने पर ऐसे यात्रियों को छह दिनों अथवा टीका लगाए गए नए यात्रियों को टीके के प्रभावी होने तक की न्यूनतम अवधि तक जलपोत में संगरोध करके रखा जाएगा।

(6) पीत ज्वर स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों से और उत्पत्ति स्थल ज्ञात न होने वाले पालतू जानवरों का कार्गो के रूप में पालतू जानवरों (जंगली जानवर, बंदरों और घुड़दौड के घोड़ों सहित) अथवा पालतू पशुओं का आयात भारत में अनुमत्य नहीं है। तथापि, यदि इन्हें गैर-पीत ज्वर वाले स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों से समुचित दस्तावेजों के साथ आयात किया जाता है तो इन्हें वेटरीनरी विशेषज्ञों से परामर्श करके अनुमति प्रदान की जा सकती है। ऐसे पालतू पशुओं को जलपोत पर मच्छर रहित परिवेश/केबिन में रखा जाना चाहिए और इन्हें जलपोत पर घूमने नहीं दिया जाना चाहिए।

भाग-V प्रस्थान

9. प्रस्थान से पहले सामान्य प्रावधान

इस भाग के प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यात्राओं पर भारत से जाने वाले सभी समुद्री जहाजों पर लागू होंगे।

(1) पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी, यदि आवश्यक समझें, तो किसी भी व्यक्ति को समुद्री यात्रा न करने का सुझाव, या यात्रा करने से मना कर सकता है, यदि -

(i) किसी व्यक्ति में पीएचईआईसीके लक्षण हों, और

(ii) अन्य यात्रियों तथा चालक दल के स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु यदि पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी को पीएचईआईसी के लक्षणों वाले किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से किसी व्यक्ति के संक्रमित होने की आशंका हो।

(iii) पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी, यदि आवश्यक समझे, तो किसी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यात्रा पर जाने से पूर्व किसीभी व्यक्ति के स्वास्थ्य की जांच / चिकित्सीय जांच तथा अन्य स्वास्थ्य उपाय कर सकता है।

आगे यह कि यदि कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यात्रा पर हो तो उसकी निगरानी के तहत आगमन तथा यात्रा को जारी रखने के मामले में इस तथ्य को पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जहाज स्वच्छता निरीक्षण प्रमाण-पत्र में दर्ज किया जाएगा तथा इससे अगले पत्तन को सूचित करेगा।

(iv) चिकित्सीय जांच के पूरा होने पर पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी इस विषय में एक प्रमाण-पत्र जारी करेगा। चिकित्सीय निरीक्षण का प्रमाण-पत्र जारी करने के बाद,पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी की लिखित आज्ञा के बिना, कोई भी सामान, माल या कोई भी व्यक्ति जहाज से न उतरा जाएगा और नहीं चढ़ाया जाएगा।

(2) पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी को किसी प्रभावित क्षेत्रमें यात्रा करने वाले यात्रियों से एक वैध टीकाकरण प्रमाण-पत्र लेना होगा।

(3) पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी किसी भी माल को जहाज से चढ़ाने या उतारने से मना कर सकता है, यदि उसके विचार में वे उस समान से संक्रमण होने का खतरा हो।

(4) इस उद्देश्य से किसी भी पत्तन के स्वास्थ्य प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए वैध जहाज स्वच्छता नियंत्रण प्रमाण-पत्र / जहाज स्वच्छता नियंत्रण प्रमाण-पत्र या विस्तार के बिना कोई भी समुद्रीजहाज यात्रा के लिए नहीं जा सकता।

(5) सभी क्रूज लाइनरों को भारतीय पत्तन छोड़ने से पूर्व पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी से स्वास्थ्य योग्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

(6) सभी जहाजों / पोतों को पत्तन से प्रस्थान करने हेतु स्वास्थ्य योग्यता प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं जिसे नियमों के तहत भरा जाना अनिवार्य है, जो कि अनुलग्नक-9 में दिए गए हैं।

भाग-VI-वेक्टर नियंत्रण

10. -वेक्टर नियंत्रण के उपाय:-

(1) समुद्री जहाजों हेतु

(i) यदि निरीक्षण के दौरान किसी जहाज में कीट पाए जाते हैं तो अनुलग्नक-3 में दिए गए नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में जहाज को कीटाणुमुक्त बनाया जाएगा। जहाज के चालक दल केबिन, डेक, पेन्ट्री, गैलरी तथा अन्य स्थानों को विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिश प्रक्रियाओं तथा उचित कीटनाशकों द्वारा कीटाणुमुक्त बनाया जाएगा।

(ii) कोई भी जहाज/पोत यदि 30 दिनों के भीतर अन्दर किसी पीत ज्वर प्रभावित देश की यात्रा से लौटा है तो उसे कीटाणु रहित बनाया जाएगा।

(iii) इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जन स्वास्थ्य पर आपातकाल होने पर / अन्य बंदरगाहों से आने वाले जहाजों को, यदि आवश्यक हो तो अन्य अतिरिक्त उपाय किए जा सकते हैं।

(2) बंदरगाह पर उपाय:-

(i) संबद्ध पत्तन प्राधिकारियों द्वारा स्थानीय नगरपालिका प्राधिकरण, राज्य सरकार प्राधिकरण के समन्वय से प्रत्येक बंदरगाह के 400 मीटर के दायरे में, और यदि कीटाणुओं का प्रकोप अधिक है तो इसको विस्तृत करके मच्छर रोधी-उपाय किए जाएंगे।

(ii) पत्तन क्षेत्र के मालिक/स्वामी की यह जिम्मेदारी है कि वह पर्याप्त वेक्टर रोधी उपाय करें ताकि परिसर को सभी प्रकार तथा स्तरों के वेक्टर से सुरक्षित रखा जा सके।

(iii) पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी प्रत्येक पत्तन के अंदर परिसर तथा 400 मीटर के दायरे का निरीक्षण करेगा तथा वेक्टर का अधिक प्रकोप होने पर स्थान का न्यूनतम दूरी का विस्तार किया जाएगा ताकि इन नियमों के उद्देश्य हेतु परिसर को सभी प्रकार तथा स्तरों के वेक्टर से मुक्त रखा जा सकें।

(iv) कंटेनर लोड करने वाले स्थानों को भी वेक्टर मुक्त रखा जाना चाहिए ताकि कंटेनरों के कारण वेक्टर के विस्तार को रोका जा सके।

भाग-VII- शव से संबंधित प्रावधान

11. जहाज पर मृत्यु:- जहाज पर कोई मृत्यु होने पर जहाज का प्रभारी तुरंत बंदरगाह के पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी को मृत्यु की सूचना देगा। इस प्रकार के सभी जहाजों को संदिग्ध जहाज माना जाएगा। पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी जहाज/पोत पर जाकर शव की जांच करेगा। इस बात की संतुष्टि कर लेने के बाद की मृत्यु इन नियमों के किसी संक्रमित रोग के कारण नहीं हुई है, वह शव को ले जाने की अनुमति देगा और मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को देगा। किसी संक्रमित रोग से मृत्यु होने के मामले में पत्तन स्वास्थ अधिकारी द्वारा आवश्यक जन स्वास्थ्य उपाए किए जाएंगे।

12. शव ले जाने तथा दाह-संस्कार संबंधित विशेष प्रावधान:-

(1) कोई भी व्यक्ति भारत में पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना पीएचईआईसी या पीत-ज्वर के कारण हुई मौत से न तो कोई शव और न ही कोई मानव अवशेष ला सकता है।

(2) पत्तन प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि विदेश से लाए जाने वाले शव तथा मानव अवशेषों को पृथक निर्धारित स्थान पर सम्मानपूर्वक रखा जाएगा।

(3) शव लाने वाले के साथ-साथ जहाज परिवहन सेवा प्रदाताओं को आगमन पत्तन के पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी को 48 घंटे पूर्व शव या मानवीय अवशेषों या दाह-संस्कार की गई अस्थियों की सूचना देगा।

(4) विदेशों से भारतीय बंदरगाह पर लाए जाने वाले सभी शवों के निम्न स्वास्थ्य योग्यता प्रमाण-पत्र होने चाहिए:-

(1) शवलेन प्रमाण-पत्र, जिसमें यह लिखा हो कि शव/मानव अवशेषों पर लेप किया गया है तथा उसे वायुरोधी (वायुरोधी वाटर प्रूफ) शवपेटिका में रखा गया है। मृत्यु प्रमाण-पत्र या उसकी सत्यापित प्रति अंग्रेजी में उचित अनुवाद के साथ उपलब्ध कराएं।

(2) प्रेषिति द्वारा एक प्रमाण-पत्र/पृष्ठ, जिसमें यह उल्लेख हो कि शवपेटिका में उस व्यक्ति का शव/मानव अवशेष है जिसके दस्तावेज पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए गए हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं।

(3) स्रोत देश के भारतीय राजदूत प्रतिनिधि की ओर से मृत्यु प्रमाण-पत्र/पृष्ठांकन।

(4) जहां ऐसा कोई प्रतिनिधि न हो, वहां स्वास्थ्य अधिकारी संलग्न दस्तावेजों के आधार पर कुछ छूट दे सकता है।

(5) शवलेप न किए जाने के मामले में (जहां मृत्यु पानी में डूबने या जलने के कारण हुई हो) शव/मानव अवशेषों को वायुरोधी कंटेनर में रखा जाना चाहिए। पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा आकलन न किए जाने वाले बिना-लेप के शवों की अतिरिक्त पैकिंग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा।

(6) यदि शव या मानव अवशेषों का पूर्ण रूप से दाह संस्कार किया गया है तो अस्थियों को वायुरोधी कंटेनर में रखा जाएगा।

(7) यदि पूर्ण रूप से दाह-संस्कार न किया गया हो तो, निम्न प्रक्रियाएं अपनाई जा सकती हैं:-

(i) यदि किसी ताबूत को खोदकर निकाला गया है और जांच करने यह सही और दुर्गन्ध रहित पाई जाती है तो इसे बुरादा सहित कार्बोलिक पाउडर छिड़कर, वायुरोधक सीतत जिंक अथवा टिन लाइन वाले लकड़ी के ताबूत में रखा जाना चाहिए।

(ii) और यदि किसी ताबूत को खोदकर निकाला जाए और वह सही या दुर्गन्ध रहित न पाया जाए तो उस पर उपर्युक्त अनुसार कार्रवाई की जाए।

(8) यदि भारत के माध्यम से जाने वाले किसी शव, मानव अवशेषों या अस्थियों के पैकेज को इन नियमों के निर्धारित तरीकों से पैक व सीलबंद किया गया हो तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, अथवा वे पैकेज स्वास्थ्य अधिकारी के मतानुसार पैक हैं, तो उसे भी समान रूप से संतोषजनक माना जाएगा।

(9) यदि मृत्यु किसी संचारी रोग से हुई है, जिसकी सूचना भारत को नहीं है और उससे जन स्वास्थ्य को जोखिम है जैसेः- वायरल हैमरेजिक फीवर (लासा, मार्ग मारबर्ग, इबोला, कोंगे क्रिमेन) एवियन एनफ्लुएंजा तथा एसएआरएस या जिसका कोई अज्ञात रोग, तो पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी मानव अवशेषों के आयात पर प्रतिबंध लगा सकता है। जब आमतौर पर इस प्रकार के प्रतिबंध लागू नहीं होते, तब स्वास्थ्य अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से मामलों के आधार पर ऐसा कहने का अधिकार होगा। जब इस प्रकार के शवों को ले जाने की अनुमति दी जाती है तो उसका दाह संस्कार स्थानीय पुलिस की सहायता से पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी के पर्यवेक्षण में किया जा सकता है।

(10) यह नियम भारत में जहाज के आगमने से पूर्व यात्रा के दौरान हुई किसी मौत पर लागू नहीं होगा। इस जहाज का प्रभारी इस घटना की, और यदि संभव हो, तो मृत्यु के कारण की सूचना भारत के जिस पत्तन पर पहुचेंगे, उस पत्तन के स्वास्थ्य अधिकारी को देगा। आगमन पर कोई भी यात्री या सदस्य पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा आवश्यक स्वास्थ्य कार्रवाई को पूरा करने तक जहाज से नहीं उतर सकता।

भाग-VIII-खाद्य स्वच्छता एवं सुरक्षा

13- खाद्य स्वच्छता आवश्यकताएं:-

(1) पत्तन क्षेत्र सहित जहाज के भंडारगृह, रसोई घर, गैलरी तथा अन्य खाने के स्टाल में प्रभावी स्वच्छता प्रणाली तथा आवश्यक स्वच्छता प्रणाली अपनाई जानी चाहिए।

(2) संबंधित एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा जहाजों / पोतों में स्वच्छ पेयजल तथा खाद्य सामग्री की आपूर्ति की जाती है। सेवा प्रदाताओं द्वारा पेयजल की गुणवत्ता की आवश्यक जैवीय जांच को सुनिश्चित किया जाएगा तथा पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी को नियमित रूप से इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा इन रिपोर्टों की जांच की जाएगी।

(3) सभी खाद्य दुकानों को पत्तन के स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी (पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी) द्वारा लाइसेंस दिया जाएगा।

(4) सभी भोजन संचालकों की आवधिक चिकित्सा जांच की जाएगी।

(5) पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पत्तन के परिसर में रसोई घर तथा परोसे गए भोजन सहित सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों की स्वच्छता तथा सुरक्षा का निरीक्षण किया जाएगा।

(6) पत्तन में सभी एजेंसियों द्वारा चूहों, आवारा पशुओं तथा अन्य वेक्टरों के नियंत्रण के प्रभावी उपाय किए जाएंगे।

(7) पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी को निम्नलिखित का अधिकार होगाः-

(i) उस खाद्य पदार्थ को नष्ट कर दें जो स्वच्छ न हो, अपमिश्रित हो और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित न हो।

(ii) किसी भी खाद्य प्रतिष्ठान अथवा पेयजल के स्रोत को बंद करने का आदेश दे यदि उन्हें उपभोग के लिए सुरक्षित न पाया जाए।

भाग – IX - विविध

14. स्वास्थ्य संबंधी उपाय

(1) शिप के मालिका निम्नलिखित अनुलग्नक 7 में दी गई सुविधा प्रदान करेंगे

(i) यात्री के गंतव्य एवं पता से संबंधित जानकारी, जिससे कि आवश्यकता होने पर यात्री से संपर्क किया जा सके।

(ii) यात्री के यात्रा कार्यक्रम से संबंधित जानकारी जिससे कि यह सुनश्चित किया जा सके कि आने से पूर्व यात्री ने प्रभावित क्षेत्र में अथवा इसके निकट यात्रा की है अथवा संक्रमण अथवा संदूषण के अन्य संभावित संपर्क में हो और उसके अतिरिक्त यात्री के स्वास्थ्य संबंधी दस्तावेजों का पुनरीक्षण करना, यदि आवश्यक हो।

(2) स्वास्थ्य उपायों और स्वास्थ्य संबंधी औपचारिकताओं को अविलंब आरंभ, पूरा और बिना किसी भेदभाव के प्रयोग में लाया जाएगा।

(3) चिकित्सा जांच को छोड़कर किसी भी स्वास्थ्य संबंधी उपायों को निम्नलिखित स्थितियों में दोहराया नहीं जाएगा-

(i) उस पत्तन से पोत के प्रस्थान के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो जिसके लिए पत्तन अथवा पोत पर उपायों का प्रयोग किया गया हो और उसकी आवश्यकता पुन: आ पड़ी हो ;

(ii) पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी को यह विश्वास है कि व्यक्ति को दिया गया उपाय महत्वपूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है।

(4) प्रविष्टि बिंदु स्वास्थ्य उपायों के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी संभावित जहाज/नाव को अन्य पत्तन की ओर ले जा सकते हैं और खानगीके पहले प्रविष्टि के अगले बिंदु के सक्षम प्राधिकारी को सूचित कर सकते हैं।

(5) जहाज/नाव जिसे रोग से प्रभावित माना गया था, को उक्त प्रभाव की समाप्ति तब माना जाएगा जब पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी निरीक्षण के पश्चात निम्नलिखित तौर पर संतुष्ट हो कि:

(i) नियमों में दिए गए उपायों को प्रभावपूर्ण रूप से किया गया है ; और

(ii) जहाज में ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है, जिससे जन स्वास्थ्य के लिए जोखिम हो सकता है।

(6) यदि कोई यात्री जिसके लिए पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी इन नियमों के प्रावधान के तहत चिकित्सा जांच और परीक्षण, टीकाकरण अथवा अन्य प्रोफिलैक्सिस आवश्यक मानता हो, वह ऐसे उपायों के लिए सहमति नहीं देता अथवा संबंधित जानकारी अथवा दस्तावेज देने के लिए मना करता है, तो पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी उस यात्री के प्रवेश के लिए मना कर

सकता है। यदि शीघ्र होने वाले जन स्वास्थ्य के जोखिम का प्रमाण हो तो जन स्वास्थ्य अधिकारी इन नियमों के अनुसार और ऐसे जोखिम को नियंत्रण करने के लिए आवश्यक सीमा तक, यात्री को ऐसे स्वास्थ्य उपायों को करने के लिए बाध्य कर अथवा सलाह दे सकते हैं।

(7) यदि निगरानी व्यक्ति दूसरे स्थान के लिए प्रस्ताव करता है, तो उसे पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित करना चाहिए, जो उस स्थान के स्वास्थ्य प्राधिकारी को शीघ्र सूचित करेगा, जहां वह व्यक्ति जा रहा हो। गंतब्य पर पहुंचने पर व्यक्ति उस स्वास्थ्य प्राधिकारी को सूचित करने, जो इन नियमों में दिए गए उपायों को करेगा।

(8) अनुरोध करने पर पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी, निम्नलिखित को नि:शुल्क जारी करेंगे:

(i) किसी भी यात्री को उसके आने अथवा प्रस्थान की तारीख और उसे एवं उसके सामान पर किए गए उपायों को दर्शाता हुए प्रमाणपत्र ।

(ii) किसी भी माल में किए गए उपायों को दर्शाते हुए माल भेजने वाले, पाने वाले और माल वाहक अथवा उनके संबंधित एजेंटों को प्रमाणपत्र

(9) पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी कभी भी आवश्यक समझे जाने पर, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने हेतु प्रस्थान करने वाले व्यक्ति सहित किसी भी व्यक्ति को पत्तन में प्रवेश को और इन नियमों में दिए गए उपयुक्त स्वास्थ्य उपायों को करने से मना कर सकता है।

(10) स्वच्छता संबंधी कोई उपाय जो देश के पहले पत्तन में किया गया था को तब तक नहीं दोहराया जाएगा यदि:

(i) पत्तन, जहां उपाय किए गए थे, से जहाज की रवानगी के पश्चात, उस पत्तन अथवा उस जहाज में किसी महामारी जैसी घटना के लिए ऐसे उपाय के अतिरिक्त उपयोग की आवश्यकता हो; अथवा

(ii) यदि पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी को यह विश्वास है कि व्यक्ति को दिया गया उपाय महत्वपूर्ण रूप से प्रभावपूर्ण नहीं है।

15. पत्तन परिसरों और सेवा क्षेत्रों में कंटेनर और कंटेनर लोड करने का क्षेत्र :-

(1) कीटशोधन, कीटाणुशोधन, परिशोधन तथा स्वास्थ्य संबंधी अन्य प्रक्रियाओं को किया जाएगा जिससे कि चोट और जहां तक संभव हो व्यक्ति की असुविधा अथवा पर्यावरण को इस प्रकार हानि, जिसका प्रभाव जन स्वास्थ्य अथवा समान,माल, कंटेनरों,जहाज/नाव,माल और डाक पार्सल को प्रभावित करता, को टाला जा सके।

(2) कंटेनर प्राप्त करने तथा भेजने वाला कंटेनरों के बहु उपयोग लदान के कार्य के समय क्रास संदूषण से बचने के सभी प्रयास करने चाहिए।

(3) सभी संबंधित एजेंसियां यह सुनिश्चित करेगी कि कंटेनरों के निरीक्षण और पृथ्क्करण के लिए सुविधाएं कंटेनर लदान क्षेत्रों में उपलब्ध हो।

16. जहाज प्रमाण पत्रों को जारी करना

(1) जहाज स्वच्छता प्रमाण पत्र

(i) जहाज स्वच्छता नियंत्रण छूट प्रमाणपत्र और जहाज स्वच्छता नियंत्रण प्रमाणपत्र अधिकतम छह माह की अवधि तक वैद्य रहेगा। आवश्यक निरीक्षण अथवा इस अवधि को एक माह के लिए बढ़ाया जा सकता है।

(ii) यदि वैद्य जहाज स्वच्छता नियंत्रण छूट प्रमाणपत्र अथवा जहाज स्वच्छता नियंत्रण प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता अथवा जहाज में जाने पर जन स्वास्थ्य के जोखिम से संबंधित प्रमाण पाया जाता है, यदि वाहन में जाने पर जन स्वास्थ्य के जोखिम के तथ्य अथवा प्रमाण के आधार पर नैदानिक चिन्ह अथवा जानकारी पाई जाती है तो पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा वाहन को प्रभावित माना जाएगा और इसे:

(क) वाहन को कीटाणुरहित शुद्ध करना, कीटाणुनाशक अथवा चूहारहित जैसा उयुक्त बना सकता है अथवा उसके पर्यवेक्षण में इन उपायो को पूरा करवा सकता है; और

(ख) जन स्वास्थ्य के जोखिम के पर्याप्त नियंत्रण स्तर को करने हेत प्रत्येक मामले में प्रयोग की जाने वाली तकनीक के संबंध में निर्णय ले सकता है जैसा कि इन नियमों में दिया गया है। जहां भी इन प्रक्रियाओं के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तरीके अथवा सामाग्री की सलाह दी गई है, इन उपायों को पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा यह निर्धारित कर दिया जाता है कि अन्य उपाय सुरक्षित और विश्वसनीय है, तब तक उपयोग किया जाना चाहिए।

(iii) इस नियम में संदर्भित प्रमाणपत्र अनुलग्नक 2 एवं 2 क में मॉडल के अनुरूप होना चाहिए।

(iv) जब भी संभव हो, नियंत्रण उपायोग को जहाज और मालगोदाम खाली होने पर किया जाना चाहिए। जहाज को स्थिरा बनाने हेतु उसमें भारी सामान होने की स्थिति में, उपायो को इस खदान से पहले किया जाना चाहिए।

(v) जब नियंत्रण उपायों की आवश्यकता होती है और संतोषपूर्ण पूरा कर लिया जाता है तो पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी, जहाज स्वच्छता नियंत्रण प्रमाणपत्र जारी करेगा जिसमें पाए गए प्रमाण और प्रमाण रिपोर्ट फार्म में किए गए नियंत्रण उपाय स्पष्ट लिखित होगा।

(vi) पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी निर्धारित आईएचआर-2005 प्राधिकृत पत्तनों जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा घोषित किया गया है, में जहाज स्वच्छता नियंत्रण प्रमाणपत्र/जहाज स्वच्छता नियंत्रण छूट प्रमाणपत्र तथा विस्तार तभी जारी कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि जहाज वेक्टरों और रिसर्वायरों सहित संक्रमणऔर संदूषण से मुक्त है। सामान्यत: ऐसा प्रमाणपत्र केवल तभी जारी किया जाएगा यदि जहाज अथवा होल्ड खाली हो अथवा ऐसी प्रकृति की अन्य सामाग्री का निपटान कर दिया हो जिससे कि होल्ड की भलीभांति निरीक्षण हो सके। जहाज को स्थिर करने के लिए भारी प्रमात्रा में जल का निपटान इस प्रकार करना चाहिए ताकि संक्रमितजल, भारत के असंदूषित में निपटान न किया जाए।

(vii) यदि स्थितियां जिसके अंतर्गत नियंत्रण उपाय किए जा रहे हो, ऐसी है कि जिस पत्तन पर यह प्रक्रियाकी गई वहा के पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी की राय से संतोषजनक परिणाम नहीं पाए जा सकते, वहां पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी इस प्रभाव को जहाज स्वच्छता नियंत्रण प्रमाणपत्र के लिए नोट करेगा तथा आगे आने वाले अगले पत्तन में फालो-अप के लिए प्रमाण रिपोर्ट फार्म को संलग्न करेगा।

(2) मेडिकल चेस्ट सार्टिफिकेट जारी करना : पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी सभी भारतीय फ्लैग वैसलों के लिए मेडिकल चेस्ट साटिफिकेट जारी करेगा, जो एक वर्ष के लिए वैध होगा।

यदि अन्य सभी वैसलों के लिए मेडिकल चेस्ट हेतु वैद्य सार्टिफिकेट अथवा पर्याप्त दवाइयां नहीं हैं तो उसे रवानगी के पूर्व समाशोधन के लिए निरीक्षण किया जाएगा।

17. स्वास्थ्य दस्तावेज

(1) इन नियमों के तहत दर्शाए गए दस्तावेजों के अलावा अन्य कोई दस्तावेज की अंतर्राष्ट्रीय यातायात के लिए आवश्यक नहीं हैं।

(2) पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी यात्रियों को संपर्क से संबंधित सभी जानकारियां के फार्म और यात्रियों के स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्नावली को जब भी आवश्यक हो, पूरा करने के लिए कह सकता है।

18. परिवहन मॉल-इन नियमों के तहत प्रावधानों के अधीन, जब तक अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा प्राधिकृत नहीं होता, जीवित जानवरों के अलावा, इन नियमों के तहत स्वास्थ्य उपायों के अधीन नहीं होंगे अथवा जन स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए रोक दिया जाएगा।

भाग-X - सेवा शुल्क और सीमा शुल्क का निर्धारण

19. शुल्क

(1) पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निम्नलिखित के लिए शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

(i) इन नियमों में दी गई कोई चिकित्सा जांच अथवा अनुपूरक जांच, जीवाणु तत्व संबंधी अथवा अन्य प्रकार जिसे जांच किए गए व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो;

(ii) व्यक्ति के आगमन पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कोई टीका देने तथा टीकाकरण प्रमाणपत्र जारी करने की आवश्यकता होती है।

(2) यदि कोई व्यक्ति/यात्री अथवा क्रू के सदस्य, उस पर देय राशि का भुगतान करने से मना करते अथवा विफल होते हैं तो उसके खिलाफ की जाने वाली किसी भी कार्यवाही में पक्षपात किए बिना, ऐसे शुल्क की वसूली जहाज, जिस पर व्यक्ति अथवा क्रू के सदस्य है के स्वामी अथवा प्रतिनिधि से की जा सकती है।

(3) इन नियमों में दिए गए उपायों को करने के लिए शुल्क, ऐसे शुल्क सीमा शुल्क के अनुरूप होगी जैसा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया गया हे। ये शुल्क दी गई सेवा के वास्तविक लागत से अधिक नहीं होगी और उसकी उगाही राष्ट्रीयता, संबंधित व्यक्ति का स्थायी निवास अथवा आवास अथवा राष्ट्रीय ध्वज, रजिस्ट्री अथवा जहाज के स्वामित्व में भेद किए बिना की जाएगी।

(4) सीमा शुल्क और उसके अतिरिक्त कोई संशोधन को शुल्क उगाही करने के कम से कम 10 दिन पहले केन्द्र सरकार के राजपत्र द्वारा प्रकाशित किया जाएगा।

(5) भारतीय पत्तनों में जहाज स्वच्छता नियंत्रण प्रमाणपत्र और जहाज स्वच्छता नियंत्रण छूट प्रमाण पत्रों के लिए भुगतान किया जाने वाला शुल्क भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा। एक माह के विस्तार के लिए जहाज पर शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

(6) स्वास्थ्य उपायों के प्रदान करने में उठाए गए व्यय की प्रतिपूर्ति मांगी जा सकती है।

(i) अपने कर्मचारियों के संबंध में परिवहन संचालक अथवा स्वामी से ; अथवा

(ii) उपयुक्त बीमा स्रोतों से

(7) यात्री अथवा क्रू अथवा परिवहन संचालक को शुल्क के लंबित भुगतान से मना नहीं करना होगा। सभी स्वास्थ्य उपायों को अनुलग्नक 10 के अनुसार नीतिपरक मामलों के अनुरूप लिया जाएगा।

भाग- XI -अपराध और दंड

20. पत्तन पर सभी यात्री जहाज/नाव उनके एजेंट और एजेंसियां इन नियमों में निहित सभी प्रावधानों और इन नियमों के अनुपालन में पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा विधिपूर्वक लगाए गए सभी उपायों का अनुपालन करेंगे और पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी को इन नियमों में निहित उत्तरदायित्वों के पालन के लिए सभी यथोचित सुविधाएं प्रदान करेंगे।

(1) कोई व्यक्ति जो

(i) पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी को उसके कर्तव्यों के निष्पादन में अवरोध अथवा बाधा करता अथवा अवरोध अथवा बाधा करने में सहायता करता हो।

(ii) पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी न्यायसंगत आदेश का पालन न करना ।

(iii) इन नियमों के उद्देश्यों के लिए आवश्यक कोई जानकारी प्रदान करने के लिए मना करना।

(iv) इन नियमों के तहत दी जाने वाली आवश्यक जानकारी में गलत जानकारी देना।

(2) कोई दोषी अथवा जो भी इन नियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन अथवा इन नियमों के अनुपालन में दिए गए किसी आदेश की अवज्ञा अथवा पालन करने में विफल होता है तो उसे छह माह की अवधि का कारावास हो सकता है और/अथवा उस पर आर्थिक दंड, जो दस हजार रुपए तक बढ़ सकता है,भी लगाया जा सकता है।

भाग- XII –अनुलग्नक

अनुलग्नक- I

सामुद्रिक स्वास्थ्य घोषणा का मॉडल

विदेशी पत्तनों से आने वाले जहाजों के मालिक द्वारा पूरा भरा और सक्षम प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया जाना है। ---------- पत्तन पर प्रस्तुत किया गया। दिनांक ----------

जहाज अथवा अंतर्देशीय जहाजरानी पोत का नाम ----------

पंजीकरण/आईएमओ संख्या ----------से आने वाली ----------को जलयात्रा करने वाली।

राष्ट्रीयता (पोत का ध्वज) ----------मालिक का नाम ---------- ---------- कुल टनभार (जहाज) टनभार ----------(अंतर्देशीय जहाजरानी पोत) ----------

वैद्य स्वच्छता नियंत्रण छूट/यात्रा पर रखा नियंत्रण प्रमाणपत्र: जी, हां---------- नहीं---------- जारी किया गया (स्थान) दिनांक ----------क्या पुन:निरीक्षण की आवश्यकता है? ----------नहीं

क्या जहाज/पोत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अभिज्ञात प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया है ? जी, हां---------- नहीं----------पत्तन और दौरे की तारीख ----------

रवानगी की तारीख अथवा विगत 30 दिनों के भीतर, जो भी कम हो, के साथ समुद्र यात्रा के आरंभ से विश्राम पत्तन की सूची।

सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर, पत्तन में आगमन क्रू सदस्यों, यात्रियों अथवा अन्य व्यक्तियों, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुद्र यात्रा होने अथवा विगत 30 दिनों जो भी कम हो की सूची, जिसमें इस अवधि में दौरा किए गए सभी पत्तन/देश शामिल हैं:

(1) नाम----------शामिल हुए (दिनांक)

(1) ----------(2) ----------(3) ----------

(2) नाम ---------- शामिल हुए

(1) ----------(2) ----------(3) ----------

(3) नाम ----------शामिल हुए

(1) ----------(2) ----------(3) ----------

यात्रा पर क्रू सदस्यों की संख्या

यात्रा पर यात्रियों की संख्या

स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न

(i) क्या समुद्र यात्रा के दौरान अथवा दुर्घटना के परिणामस्वरूप यात्रा में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है?

हां---------- नहीं----------

यदि हां, तो संलग्न अनुसूची में विवरण दें। मृतकों की संख्या ----------

(2) क्या यात्रा में अथवा अंतर्राष्ट्रीय समुद्र यात्रा में ऐसे रोग के मामले हैं जिसकी संक्रामक प्रकृति के होने की संभावना है ? जी, हां ---------- नहीं---------- यदि हां, तो संलग्न अनुसूची में विवरण दें।

(3) क्या समुद्र यात्रा के दौरान बीमार यात्रियों की कुल संख्या सामान्य/अनुमानित से अधिक है ? जी, हां--------- नहीं ----------कितने व्यक्ति हैं ?

(4) क्या अभी यात्रा में कोई बीमारव्यक्ति है ? जी, हां----------नहीं ----------यदि हां तो संलग्न अनुसूची में विवरण दें।

(5) क्या चिकित्सक से परामर्श ली गई थी? जी, हां ---------- नहीं ---------- यदि हां तो संलग्न अनुसूची में विवरण दें।

(6) क्या यात्रा में किसी स्थिति से अवगत है जो रोग के संक्रमण अथवा प्रसार का कारण हो सकता है यदि हां तो संलग्न अनुसूची में विवरण दें?

(7) क्या यात्रा में स्वच्छता उपाय (उदाहरण संगरोधन, अलगाव, विसंक्रमण अथवा शुद्धीकरण) किया गया है ?

(8) क्या यात्रा में छिपकर यात्रा करने वाले पाये गए हैं ? जी, हां---------- नहीं, यदि हां तो जहाजमें कब आए (यदि ज्ञात हो) ---------- (9) क्या यात्रा में को रुग्ण पशु अथवा पालतू जानवर है ? जी, हां ---------- नहीं ----------

नोट : सर्जन की अनुपस्थिति में मालिक को निम्नलिखित लक्षणों पर संक्रामक प्रकृति के रोग के होने की संभावना के रूप में ध्यान देना चाहिए।

(क) अधिक दिनों तक बना रहने वाला बुखार जिसके साथ (i) कमजोरी (ii) चेतना में कमी (iii) ग्रंथी में सूजन) (iv) पीलिया (v) खांसी अथवा सांस लेने में तकलीफ असाधारण रक्तास्राव; अथवा (vii) पक्षाघात

(ख) ज्वर सहित अथवा इसके बिना (i) त्वचा में फुंसी (ii) तीव्र वमन (जहाजी मतली के अलावा) (iii) तीव्र अततिसार; अथवा (iv) ऐंठन ।

मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूं कि इस स्वास्थ्य घोषणा में विवरण और प्रश्नों के उत्तर मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

हस्ताक्षर----------

मालिक

प्रतिहस्ताक्षर----------

जहाज का सर्जन (यदि हो)

दिनांक ----------

अनुलग्नक 1 क

सामुद्रिक स्वास्थ्य घोषणा के मॉडल के साथ संलग्नक

नाम	वर्ग या रेटिंग	आयु	लिंग	राष्ट्रीयता	पोर्ट /शिप/ वेसल में नौकरी की तारीख	बीमारी की प्रकृति	लक्षणों के शुरूआत की तारीख	बंदरगाह चिकित्सा अधिकारी को सूचना	मामले का निपटान	दवाएं अन्य उपचार जो मरीज को दिए गए	अभ्युक्ति

अनुलग्नक -II

मॉडल जहाज स्वच्छता नियंत्रण छूट प्रमाणपत्र/जहाज स्वच्छता नियंत्रण प्रमाणपत्र

----------पत्तन

----------दिनांक

यह प्रमाणपत्र निरीक्षण और नियंत्रण में छूट अथवा 2) किए गए नियंत्रण उपायों को रिकार्ड करती है।

जहाज का नाम अथवा अंतर्देशीय जहाजरानी पोत ----------ध्वज----------
पंजीकरण/आईएमओ संख्या ---------- निरीक्षण के समय जहाज को ----------टन----------माल से भार उतारा/लादा गया था।

निरीक्षण करने वाले अधिकारी का नाम एवं पता ----------

जहाज स्वच्छता नियंत्रण प्रमाणपत्र

क्षेत्र (सिस्टम और सेवा) निरीक्षित किया गया	प्राप्त साक्ष्य	नमूना परिणाम	समीक्षित किए गए दस्तावेज
गैली			
पेन्ट्री			
स्टोर्स			
होल्ड (कार्गो)			
क्वाटर्स			
कर्मी दल			
अधिकारी			
यात्री			
डॉक			
पोर्टेबल वाटर			
सीवेज			

ब्लास्ट टैंक्स			
ठोस एवं चिकित्सीय कचरा			
जमा पानी			
इंजिन रूम			
चिकित्सीय सुविधाएं			
दूसरे निर्दिष्ट क्षेत्र संलग्न:			
नोट : क्षेत्रों को लागू नहीं द्वारा इंगित करें।			

कोई प्रमाण नहीं गया /जहाज/पोत को नियंत्रण उपायों में छूट है। इंगित किए गए नियंत्रण उपायों को नीचे दी गई तारीख की गई थी।

जारी करने वाले अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर ----------

सील---------- दिनांक ----------

(क) वृद्धि के सभी स्तरों में वृद्धि सहित संक्रमण अथवा संदूषण के प्रमाण वेक्टरों के लिए पशु जलाशय चूहे अथवा अन्य प्रजाति जो मानव रोग के वाहक हैं जीवाणु तत्व संबंधी, रसायन तथा मानव स्वास्थ्य को अन्य जोखिम अपर्याप्त स्वच्छता उपायों के लक्षण

(ख) किसी मानव मामले से संबंधित जानकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य घोषण में शामिल किया जाने वाला)

यात्रा में लिए गए नमूनों के परिणाम/अत्यधिक उचित प्रणाली द्वारा जहाज के मालिक को विश्लेषण प्रदान किया जाना और यदि पुन: निरीक्षण की आवश्यकता होती हैतो अगले उपयुक्त पत्तन में पुन:निरीक्षण की संयोगात्मक तारीख इस प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट है।

स्वच्छता नियंत्रण छूट प्रमाणपत्र और स्वच्छता नियंत्रण प्रमाणपत्र अधिकतम छह माह के लिए वैध है किंतु वैधता की अवधि एक माह तक बढ़ाई जा सकती है यदि निरीक्षण पत्तन में नहीं किया जा सका और संक्रमण अथवा संदूषण के कोई प्रमाण नहीं है।

अनुलग्नक 2 क

मॉडल शिप स्वच्छता नियंत्रण प्रमाणपत्र के साथ

संलग्नक

निरीक्षित क्षेत्र/ सुविधाएं/ प्रणालियां	**प्राप्त साक्ष्य**	**नमूना परिणाम**	**समीक्षा किए गए दस्तावेज**	**लागू नियंत्रण उपाय**	**पुनर्निरीक्षण तारीख**	**संबंधित टिप्पणी**
खाद्य						
स्रोत						
भंडारण						

उपक्रम						
सेवा						
जल						
स्रोत						
भंडारण						
वितरण						
अपशिष्ट						
धारण						
उपचार						
निपटान						
तरणताल/ स्पा						
उपकरण						
प्रचालन						
चिकित्सा सुविधाएं						
उपकरण और चिकित्सा क्षेत्र						
प्रचालन						
दवाइयां						
निरीक्षित अन्य क्षेत्र						

सूचीबद्ध क्षेत्रों के लागू न होने पर 'लागू नहीं' लिखते हुए सुचित करें।

अनुलग्नक -3

वेक्टर जनित रोगों के लिए विशेष उपाय

1. प्रत्येक जहाज/पोत जो किसी ऐसे क्षेत्र को छोड़ रहा है, जहां विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वेक्टर नियंत्रण की सिफारिश की गई है या जहां पीत ज्वर का वेक्टर मौजूद है, उसका विसंक्रमित किया जाना चाहिए और वेक्टर मुक्त रखा जाना चाहिए। जहाज/ पोत पर वेक्टरों की मौजूदगी और उनके उन्मूलन के लिए किए जाने वाले नियंत्रण उपायों को जहाज की सामान्य घोषणा के स्वास्थ्य भाग में शामिल किया जाएगा।

2. पोर्ट स्वास्थ्य अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि पोर्ट परिसर में मौजूद विभिन्न एजेंसियां वेक्टरों के लिए यदि अधिक सीमा वाले वेक्टर मौजूद हैं तो न्यूनतम दूरी के विस्तार सहित नियंत्रण उपाय करेंगी जैसा इन नियमों में पोर्ट परिसर की

परिधि से 400 मीटर की न्यूनतम दूरी तक निर्धारित किया गया है। इस प्रकार के उपायों के लिए पोर्ट स्वास्थ्य अधिकारी स्थानीय नगरपालिका एजेंसी और अन्य संबंधित एजेंसियों से सहायता मांग सकता है।

3. यदि प्रयुक्त वेक्टर नियंत्रण उपायों की सफलता निर्धारित करने के लिए अनुवर्ती निरीक्षण की आवश्यकता है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अग्रिम रूप में ऐसा निरीक्षण करने में सक्षम अगले विदित पोर्ट या पोर्ट ऑफ कॉल के लिए सक्षम प्राधिकारियों को इस जरुरत की सूचना देनी होगी और साक्ष्य रिपोर्ट प्रपत्र सहित पोत स्वच्छता प्रमाणपत्र में इसका उल्लेख किया जाएगा।

4. किसी भी पोत/ जहाज को संदिग्ध माना जाएगा और वेक्टरों व जलाशयों के लिए निरीक्षण किया जाएगा यदि:

(क) जहाज पर वेक्टर जनित रोग का कोई संभावित मामला है;

(ख) किसी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यात्रा के दौरान जहाज पर वेक्टर जनित रोग का कोई संभावित मामला हुआ हो; या

(ग) समयावधि के भीतर इसने कोई प्रभावित क्षेत्र छोड़ा हो जहां जहाज पर वेक्टर अब भी रोग ले जा सकते हैं।

5. पोर्ट स्वास्थ्य अधिकारी, पीत ज्वर सहित किसी वेक्टर जनित रोग से प्रभावित किसी क्षेत्र से आने वाले जहाज/ पोत में वेक्टर नियंत्रण उपायों को लागू कर सकता है यदि उसके क्षेत्र में पूर्वगामी रोग के वेक्टर मौजूद हैं।

6. जहाज/ पोत के स्वामी को पोर्ट में जहाज/ पोत में खड़े रहने की अवधि के दौरान ऐसे एहतियात उपाय करने होंगे जैसा जहाज में पहुँचने वाले मूषकों के निवारण के लिए स्वास्थ्य अधिकारी निर्धारित करेगा।

अनुलग्नक - 4

टीकाकरण, प्रोफिलैक्सिस और संबंधित प्रमाणपत्र

1. आईएचआर 2005 के तहत निर्धारित वेक्सीन या अन्य प्रोफिलैक्सिस उचित गुणवत्ता के होंगे।

2. इन नियमों के अंतर्गत टीकाकरण या अन्य प्रोफिलैक्सिस कराने वाले व्यक्तियों को इस अनुलग्नक में निर्धारित प्रपत्र में टीकाकरण या प्रोफिलैक्सिस का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणपत्र (इसके पश्चात् "प्रमाणपत्र") उपलब्ध कराया जाएगा। इस अनुलग्नक में निर्धारित प्रमाणपत्र के प्रारुप में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी।

3. इस अनुलग्नक के अंतर्गत प्रमाणपत्र केवल तभी मान्य होंगे यदि उपयोग की गई वेक्सीन या प्रोफिलैक्सिस को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

4. प्रमाणपत्रों पर प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रमाणपत्र पर वितरण केन्द्र की आधिकारिक मुहर भी लगी होनी चाहिए, तथापि, इसक हस्ताक्षर का स्वीकार्य विकल्प नहीं माना जाएगा।

5. प्रमाणपत्रों का अंग्रेजी या फ्रेंच में पूर्णत: भरा जाएगा। अंग्रेजी या फ्रेंच के साथ-साथ किसी अन्य भाषा में भी भरा जा सकता है।

6. इस प्रमाणपत्र में कोई संशोधन या विलोपन या इसके किसी भाग को अधूरा भरे होना इसे अमान्य बना देगा।

7. प्रमाणपत्र व्यक्तिगत होंगे और किसी भी स्थिति में इन्हें सामूहिक रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा। बच्चों के लिए अलग प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे।

8. कोई माता-पिता या अभिभावक तभी प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करेगा जब बच्चा लिखने में असमर्थ हो। किसी निरक्षर व्यक्ति के हस्ताक्षर को व्यक्ति के निशान द्वारा सामान्य रूप से अंकित किया जाएगा और किसी अन्य द्वारा अंकित किया जाएगा कि यह संबंधित व्यक्ति का निशान है।

9. पीत ज्वर टीकाकरण के लिए छूट प्रमाणपत्र सहित यात्रियों को पीत ज्वर से संबंधित इन नियमों में विशेष प्रावधानों के तहत निर्धारित अनिवार्य संगरोध अवधि के पश्चात् ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

10. सशस्त्र सेनाओं द्वारा अपने किसी सक्रिय सदस्य को जारी किए गए किसी समकक्ष दस्तावेज को इस अनुलग्नक में दर्शाए गए रूप में किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणपत्र के बदले स्वीकार किया जाएगा यदि:

(क) वह उसी प्रकार चिकित्सा सूचना को वस्तुत: समाविष्ट करता है जैसा ऐसे प्रपत्र द्वारा अपेक्षित है ;

(ख) इसमें टीकाकरण या प्रोफिलैक्सिस की प्रकृति और तारीख तथा उसके प्रभाव की अंग्रेजी या फ्रेंच रिकॉर्डिंग के साथ-साथ अंग्रेजी या फ्रेंच में और जहां उचित लगे किसी अन्य भाषा में विवरण होना चाहिए कि इसे इस अनुच्छेद के अनुसार जारी किया गया है।

अनुलग्नक - 5

टीकाकरण या प्रोफिलैक्सिस का मॉडल अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि (नाम) ....., जन्म तिथि ....., लिंग ....., राष्ट्रीयता ....., राष्ट्रीय पहचान दस्तावेज, यदि लागू है ....., जिनके हस्ताक्षर ..... हैं दी गई तारीख को उनका ....., (रोग स्थिति का नाम) के लिए:

..... अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों के अनुसार टीकाकरण किया गया है या प्रोफिलैक्सिस प्राप्त किया है।

वेक्सीन या प्रोफिलैक्सिस	**तारीख**	**पर्यवेक्षण चिकित्सक के हस्ताक्षर और व्यवसायिक स्थिति**	**वेक्सीन या प्रोफिलैक्सिस का विनिर्माता और बैच संख्या**	**प्रमाणपत्र वैद्यता ..... सं. ..... तक**	**प्रदानकर्ता केन्द्र की अधिकारिक मुहर**
1.					
2.					

यह प्रमाणपत्र केवल तभी मान्य होगा यदि उपयोग की गई वेक्सीन या प्रोफिलैक्सिस विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित हो।

यह प्रमाणपत्र चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, जो कोई चिकित्सक या अन्य प्राधिकृत स्वास्थ्य कार्यकर्ता होना चाहिए जो वेक्सीन या प्रोफिलैक्सिस क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करता हो। प्रमाणपत्र पर क्रियान्वयन केन्द्र की आधिकारिक मुहर होनी चाहिए, तथापि, इसे हस्ताक्षर के लिए स्वीकार्य विकल्प नहीं माना जाएगा।

इस प्रमाणपत्र में कोई संशोधन या विलोपन या इसके किसी भाग का अधूरा भरे होना इसे अमान्य बना देगा।

इस प्रमाणपत्र की वैद्यता विशेष टीकाकरण या प्रोफिलैक्सिस के लिए अंकित तारीख तक लागू होगी। प्रमाणपत्रों के पूर्णत: अंग्रेजी या फ्रेंच में भरा जाएगा। अंग्रेजी या फ्रेंच के साथ-साथ किसी अन्य भाषा में भी प्रमाणपत्र भरा जा सकता है।

अनुलग्नक - 6

विशेष रोगों के लिए टीकाकरण या प्रोफिलैक्सिस से संबंधित अपेक्षाएं

1. टीकाकरण या प्रोफिलैक्सिस से संबंधित किसी सिफारिश के साथ-साथ, निम्नलिखित वे रोग हैं जो विशेष रूप से निर्धारित किए गए जिसके लिए यात्रियों को प्रवेश की शर्त के रूप में टीकाकरण या प्रोफिलैक्सिस का साक्ष्य देना पड़ सकता है।

<u>पीत ज्वर के विरुद्ध टीकाकरण</u>

2. पीत ज्वर के विरुद्ध टीकाकरण के लिए सिफारिशें और अपेक्षाएं:

(क) इस अनुलग्नक के प्रयोजन हेतु:

(i) पीत ज्वर का इनकुलेशन अतर्ग्ध छह दिन है;

(ii) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित पीत ज्वर वेक्सीन संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा देती है जो वेक्सीन देने के 10 दिन बाद शुरु होता है;

(iii) यह सुरक्षा 10 वर्षों के लिए जारी रहती है, तथा

(iv) पीत ज्वर के विरुद्ध टीकाकरण प्रमाणपत्र की मान्यता 10 वर्षों तक रहेगी, टीकाकरण की तारीख से 10 दिनों के बाद या, 10 वर्षों की इस अवधि के भीतर पुन: टीकाकरण कराने के मामले में उक्त पुन: टीकाकरण की तारीख से।

(ख) उस क्षेत्र को छोड़ने वाले किसी यात्री को पीत ज्वर के विरुद्ध टीकाकरण कराना होगा जहां संगठन अवधारित है कि पीत ज्वर संचरण का जोखिम मौजूद है।

(ग) यदि किसी यात्री के पास पीत ज्वर के विरुद्ध टीकाकरण का कोई प्रमाणपत्र है जो अभी मान्य नहीं है, तो यात्री को जाने की अनुमति दी जा सकती है, परंतु इस अनुलग्नक के अनुच्छेद 2 (एच) के प्रावधानों आगमन पर लागू होंगे।

(घ) किसी यात्री के पास पीत ज्वर के विरुद्ध टीकाकरण का एक मान्य प्रमाणपत्र है तो उस संदिग्ध नहीं माना जाएगा, भले ही वह ऐसे क्षेत्र से आ रहा हो जहां संगठन को अवधारित है कि पीत ज्वर संचरण का जोखिम मौजूद है।

(ड.) प्रयुक्त पीत ज्वर वेक्सीन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है और टीकाकरण केन्द्र मंत्रालय/ राष्ट्र द्वारा निर्धारित/ प्राधिकृत होना चाहिए।

(च) राष्ट्रों के अपने क्षेत्र में विशेष पीत ज्वर टीकाकरण केन्द्र निर्धारित करने होंगे ताकि प्रक्रियाओं और नियोजित सामग्री की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

(छ) किसी क्षेत्र के प्रवेश बिंदु पर कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति, जहां संगठन ने यह निर्धारित किया है कि यहां पीत ज्वर होने का जोखिम मौजूद है, ऐसे प्रवेश बिंदु का उपयोग करने वाले जहाज/ पोत कर्मीदल के प्रत्येक सदस्य के पास पीत ज्वर के विरुद्ध टीकाकरण का वैद्य प्रमाणपत्र होना चाहिए।

(ज) ऐसे क्षेत्र से कोई यात्री, जहां विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह निर्धारित किया है कि यहां पीत ज्वर होने का जोखिम मौजूद है, जो पीत ज्वर के विरुद्ध टीकाकरण का वैद्य प्रमाणपत्र देने में असमर्थ है, उसे तब तक निगरानी में रखा जाएगा, जब तक प्रमाणपत्र वैध नहीं हो जाता या छह दिनों से अधिक अवधि, जिसकी संक्रमण के संपर्क में आने की संभावित पिछली तारीख से की जाएगी, समाप्त नहीं हो जाती, जो भी पहले हो।

अनुलग्नक -7

जहाज/ पोत तथा जहाज/ पोत प्रचालक संबंधी

तकनीकी अपेक्षाएं

खंड क जहाज/ पोत प्रचालक

1. जहाज/ पोत प्रचालक निम्नलिखित सुविधा देगा:

(क) कार्गो, कंटेनरों और जहाज/ पोत का निरीक्षण;

(ख) जहाज पर मौजूद व्यक्तियों की चिकित्सा जांच;

(ग) इन विनियमों के तहत अन्य स्वास्थ्य उपायों पर अमल; और

(घ) राष्ट्र द्वारा मांगी गई संगत जन स्वास्थ्य सूचना का प्रावधान।

2. जहाज/ पोत प्रचालक सक्षम प्राधिकारी को कोई मान्य जहाज स्वच्छता नियंत्रण छूट प्रमाणपत्र या जहाज स्वच्छता नियंत्रण प्रमाणपत्र या कोई स्वास्थ्य का समुद्री घोषणापत्र उपलब्ध कराना होगा, जैसा इन नियमों के तहत अपेक्षित है।

खंड ख जहाज/ पोत

1. सामान, कार्गो, कंटेनरों, जहाज/ पोत तथा माल पर लागू नियंत्रण उपायों को किया जाएगा ताकि जहां तक संभव हो लोगों को चोट या असुविधा या सामान, कार्गो, कंटेनरों, जहाज/ पोत तथा माल की क्षति को रोका जा सके। जब कभी संभव और उपयुक्त हो, जब जहाज/ पोत और होल्ड खाली हों नियंत्रण उपायों का अनुपालन किया जाएगा।

2. राष्ट्र पार्टियों को कार्गो, कंटेनरों या जहाज/ पोत पर लागू उपायों, इलाज किए अंगों, प्रयुक्त प्रणालियों और उन्हें करने के कारणों को लिखित में देना होगा। यह सूचना जहाज प्रभारी व्यक्ति को लिखित में दी जाएगी और जहाज के मामले में, जहाज स्वच्छता नियंत्रण प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

अन्य कार्गो, कंटेनरों या जहाज/ पोत के लिए यह सूचना माल भेजने वालों, व्यापारियों, वाहकों, जहाज/ पोत के प्रभारी व्यक्ति या उनके संबंधित एजेंटों को राष्ट्र पार्टियां लिखित में जारी करेंगी।

अनुलग्नक -8

पीत ज्वर जानपादिक राष्ट्रों* की सूची

अफ्रीका

1. अंगोला
2. बेनिन
3. बुर्किना फासो
4. बुरुंडी
5. केमरुन
6. सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक
7. चाड
8. कोंगो
9. कोटे डिवोयर
10. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो
11. इक्वेटोरियल गिनी
12. इथियोपिया
13. गाबन
14. गांबिया
15. घाना
16. गिनी
17. गिनी- बिस्सो
18. कीनिया
19. लाइबेरिया
20. माली
21. मोरीटेनिया

दक्षिण अफ्रीका

1. अर्जेंटीना
2. बोलीविया
3. ब्राजील
4. कोलंबिया
5. इक्वेडोर
6. फ्रेंच गयाना
7. गयाना पनामा
8. गयाना
9. पराग्वे
10. पेरु
11. सूरीनाम
12. ट्रिनीडाड एंड टोबेगो
13. वेनीज्वेला

22. नाइजर

23. नाइजीरिया

24. रवांडा

25. सेनेगल

26. सियरा लियोन

27. सूडान

28. साऊथ- सूडान

29. टोगो

30. युगांडा

टिप्पणी: वर्तमान में अफ्रीकी उप-माहद्वीप में 30 और दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में कुल 13 पीत ज्वर जानपादिक राष्ट्र हैं।

** पीत ज्वर जानपादिक राष्ट्रों की सूची समय-समय पर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अद्यतन की जारी है।*

अनुलग्नक -9

जहाजों के लिए स्वास्थ्य अनुमति

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय)

पोर्ट स्वास्थ्य संगठन-

स्वास्थ्य निरीक्षण प्रमाणपत्र

पोत एमवी/ एमटी/ एलपीजी/ सी _____ सहित कैप्टन _____ _के फ्लैग के तहत _____ भारतीय पोर्ट स्वास्थ्य नियमावली-2005 तथा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम- 2005 के तहत अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। पोत को पोर्ट से रवाना होने की अनुमति दी जाती है।

..... पोर्ट (भारत)

दिनांक:

सं. पीएचके/ओएस/2015/

पोर्ट स्वास्थ्य अधिकारी.....

नोट: यह प्रमाणपत्र पोत के पोर्ट से रवाना होने तक मान्य है। प्रमाणपत्र की एक प्रति पोर्ट अनुमति प्रदान करने के लिए कस्टम अधिकारी का अग्रेषित की जाएगी, प्रमाणपत्र की दो प्रतियों पोर्ट प्राधिकार द्वारा अनुमति प्रदान करने के लिए बोर्डिंग पायलट को सौंपी जाएंगी ।

अनुलग्नक -10

इन नियमों के तहत स्वास्थ्य उपायों पर नैतिक मामले:-

यात्रियों का उपचार उनकी मर्यादा, मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के अनुसार होगा तथा ऐसे उपायों से जुडी किसी असुविधा या पीड़ा को कम करना होगा, जिनमें निम्नलिखित शामिल है:-

(क) सभी यात्रियों के साथ शिष्ट व्यवहार करना और सम्मान देना;

(ख) यात्रियों के लिंग, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक या धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखना; और

(ग) पर्याप्त भोजन और पानी उपलब्ध कराना या व्यवस्था करना, उचित आवास तथा कपड़े, सामान और अन्य संपत्ति के लिए सुरक्षा, पर्याप्त चिकित्सा उपचार, आवश्यक संचार के साधन, यदि संभव हो तो उस भाषा में, जिसे वे समझ सके और यात्रियों के लिए अन्य उपयुक्त सहायता जिन्हें जन स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिए निगरानी में, पृथक चिकित्सीय परीक्षणों या अन्य प्रक्रियाओं के लिए रखा गया है।

इन नियमों और आईएचआर-2005 के अनुच्छेद 31 के पैरा 1 के तहत यदि कोई यात्री, जिसके लिए पोर्ट स्वास्थ्य अधिकारी इन नियमों के तहत कोई चिकित्सीय जांच, टीकाकरण या अन्य प्रोफिलैक्सिस चाहता है, ऐसे किसी उपाय की सहमति नहीं देता है, या आईएचआर-2005 के अनुच्छेद 23 के पैराप 1(क) में उल्लिखित सूचना या दस्तावेज देने से इंकार करता है, तो संबंधित पोर्ट स्वास्थ्य अधिकारी आईएचआर-2005 के अनुच्छेद 32, 42 और 45 के अधीन इन नियमों के तहत,उस यात्री को प्रवेश की अनुमति देने से इंकार कर सकता है। यदि किसी संभावित जन स्वास्थ्य जोखिम का प्रमाण हो तो पोर्ट स्वास्थ्य अधिकारी इन नियमों के तहत, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार, और जहां तक संभव हो, ऐसे जोखिम को नियंत्रित करने के लिए, आईएचआर-2005 के अनुच्छेद 23 के पैरा 23 के अनुसरण में यात्री को निम्नलिखित जांच के लिए बाधक कर सकता है या यात्री को सलाह दे सकता है:

(क) न्यूनतम इनवेसिव और इंटूसिव चिकित्सीय जांच, जिससे जन स्वास्थ्य का उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है;

(ख) टीकाकरण या अन्य प्रोफिलैक्सिस; या

(ग) अतिरिक्त निर्धारित स्वास्थ्य उपाय, जो रोग के प्रसार का निवारण और नियंत्रण करते हैं, जिनमें संगरोध, पृथक रखना और यात्री को जन स्वास्थ्य निगरानी के तहत रखना शामिल है।

[संख्या एल. 21021/18/2012-पी एच(आई एच)/आई एच]

डॉ अरुण कुमार पाण्डा, अतिरिक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2016

G.S.R. 780(E).—The following draft of certain rules which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (p) of sub-section (i) of Section 6 of the Indian Ports Act, 1908 (XV of 1908) and in supersession of the Port Health Rules, 1955, for information of all the Stakeholders and persons likely to be affected for their comments to be taken into consideration after a period of thirty days from the date on which the draft Rules are published in the Gazette

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government.

Objections or suggestions, if any, may please be submitted to Shri. N Kumara Swamy, Under Secretary (International Health), Ministry of Health & Family Welfare, Room No. 401, D-Wing, Nirman Bhawan, New Delhi-110108, Tele-fax: 23061521, Email: swamynk@gmail.com

DRAFT RULES

PART-1, PRELIMINARY

1. Short title and commencement :-

(i) These rules may be called the Indian Port Health Rules, 2016.

(ii) They shall come into force on the date of publication in the official gazette.

2. Definitions

For the purposes of the Indian Port Health Rules (here after referred as Port Health Rules)

(1) "affected" means persons, baggage, cargo, containers, ship/vessel, goods, postal parcels or human remains that are infected or contaminated, or carry sources of infection or contamination, so as to constitute a public health risk;

(2) "affected area" means a geographical location specifically for which health measures have been recommended under IHR-2005;

(3) "arrival" means arrival or anchoring of a seagoing vessel, in the defined area of a port; and in the case of an inland navigation vessel on an international voyage, arrival at a point of entry;

(4) "baggage" means the personal effects of a traveler or of a member of the crew;

(5) "cargo" means goods carried on a Ship/vessel or in a container;

(6) "competent authority" means an authority responsible for the implementation and application of health measures under these rules and for the purpose of these rules "Port Health Officer" will be the competent authority;

(7) "container" means an article of transport equipment:

(i) of a permanent character and accordingly strong enough to be suitable for repeated use;

(ii) Specially designed to facilitate the carriage of goods by one or more modes of transport, without intermediate reloading;

(iii) fitted with devices permitting its ready handling, particularly its transfer from one mode of transport to another; and

(iv) Specially designed as to be easy to fill and empty;

(8) "container loading area" means a place or facility set aside for containers used in international traffic;

(9) "contamination" means the presence of an infectious or toxic agent or matter on a human or animal body surface, in or on a product prepared for consumption or on other inanimate objects, including (Ship/vessel) conveyances, that may constitute a public health risk;

(10) "conveyance" under these rules means a ship, cruises, barge, floating vessel, tug, country craft, bunker vessels, navy vessel or any floating vessel on water as a means of transport; "Ship/Vessel" under this rules means "conveyance" wherever it's mentioned;

(11) "conveyance operator" means a natural or legal person in charge of a conveyance or their agent;

(12) "crew" means personnel of Ship /vessel employed for duties on board who are not passengers.

(13) "day" means an interval of twenty-four hours;

(14) "decontamination" means a procedure whereby health measures are taken to eliminate an infectious or toxic agent or matter on a human or animal body surface, in or on a product prepared for consumption or on other inanimate objects, including Ship/vessel, that may constitute a public health risk;

(15) "departure" means, for persons, baggage, cargo, Ship/vessel or goods, the act of leaving country;

(16) "deratting" means the procedure whereby health measures are taken to control or kill rodent present in baggage, cargo, containers, ship/ vessel facilities, goods and postal parcels at the point of entry;

(17) "disease" means an illness or medical condition, irrespective of origin or source, that presents or could present significant harm to humans;

(18) "disinfection" means the procedure whereby health measures are taken to control or kill infectious agents on a human or animal body surface or in or on baggage, cargo, containers, Ship/vessel, goods and postal parcels by direct exposure to chemical or physical agents;

(19) "disinsection" means the procedure whereby health measures are taken to control or kill the insect vectors of human diseases present in baggage, cargo, containers, Ship/vessel, goods and postal parcels;

(20) "event" means a manifestation of disease or an occurrence that creates a potential for disease;

(21) "free pratique" means permission for Ship/vessel to enter into the port limits, embark or disembark, discharge or load cargo or stores;

(22) "goods" mean tangible products, including animals and plants, transported on an international voyage, including for utilization on board a ship/vessel;

(23) "health measure" means procedures applied to prevent the spread of disease or contamination; a health measure does not include law enforcement or security measures;

(24) "infected area" means any area declared by the Central Government by notification to be infected with yellow fever disease or PHEIC;

(25) "ill person" means an individual suffering from or affected with a physical ailment that may pose a public health risk;

(26) "infection" means the entry and development or multiplication of an infectious agent in the body of humans and animals that may constitute a public health risk;

(27) "inspection" means the examination, by the competent authority (Port Health Officer) or under its supervision, of areas, baggage, containers, Ship/vessel, facilities, goods or postal parcels, including relevant data and documentation, to determine if a public health risk exists;

(28) ÏHR"means International Health Regulatios.

(29) "international traffic" means the movement of persons, baggage, cargo, containers, conveyances, goods or postal parcels across an international border, including international trade;

(30) "international voyage" means:

(i) in the case of a Ship/vessel, a voyage between points of entry in the territories of more than one country, or a voyage between points of entry in the territory or territories of the same country if the Ship/vessel has contacts with the territory of any other country on its voyage but only as regards those contacts;

(ii) in the case of a person, a voyage involving entry into the territory of a country other than the territory of the country in which that person commences the voyage;

(31) "invasive" means the puncture or incision of the skin or insertion of an instrument or foreign material into the body or the examination of a body cavity.

Medical examination of the ear, nose and mouth, temperature assessment using an ear, oral or cutaneous thermometer, or thermal imaging; medical inspection; auscultation;

external palpation; retinoscopy; external collection of urine, faeces or saliva samples; external measurement of blood pressure; and electrocardiography shall be considered to be non-invasive;

(32) "isolation" means separation of ill or contaminated persons or affected baggage, containers, ship/vessel, goods or postal parcels from others in such a manner as to prevent the spread of infection or contamination;

(33) "medical examination" means the preliminary assessment of a person by an authorized health worker or by a person under the direct supervision of the competent authority (Port Health Officer), to determine the person's health status and potential public health risk to others, and may include the scrutiny of health documents, and a physical examination when justified by the circumstances of the individual case;

(34) "master of ship" means person in command or any other person in-charge of the ship/vessel;

(35) "National IHR Focal Point" means the national centre, designated by Central Government, which shall be accessible at all times for communications with WHO IHR Contact Points under these Regulations;

(36) "Port Health Officer (PHO)" means any person appointed;

(i) in the case of major Ports, by the Central Government, and

(ii) in the case of other Ports, by the Government concerned to whom the functions of the central Government under sub-section (i) of Section 17 of the Indian Ports Act, 1908 (XV of 1908), to appoint a Health Officer have been entrusted, either by name or by virtue of his office, to be the Health Officer of Port, and includes an Additional, Deputy, or Assistant Health Officer, and any Officer appointed by the Central Government or the State Government concerned, as the case may be, either by name or by virtue of his office, to perform any of the duties of a Health Officer of a Port;

(37) "personal data" means any information relating to an identified or identifiable natural person;

(38) "permanent residence" has the meaning as determined in the national law;

(39) "point of entry" means a passage for international entry or exit of persons, baggage, cargo, containers, ship/vessel, goods and postal parcels as well as agencies and areas providing services to them on entry or exit;

(40) "postal parcel" means an addressed article or package carried internationally by postal or courier services;

(40) "period of incubation" means-

(i) in respect of Yellow fever, it will be 6 days. and

(ii) in respect of other diseases such period as may be declared by the Central Government;

(42) "port" means a seaport or a port on an inland body of water where ships/ vessels on an international voyage arrive or depart;

(43) "Public health emergency of international concern" (PHEIC) means an extraordinary event which is determined:

(i) to constitute a public health risk to the country and other countries through international spread of disease; and

(ii) to potentially require a coordinated international response

(44) "public health observation" means the monitoring of the health status of a traveller over time for the purpose of determining the risk of disease transmission;

(45) "public health risk" means the likelihood of an event that may affect adversely the health of human populations, with an emphasis on one which may spread internationally or may present a serious and direct danger;

(46) "quarantine" means the restriction of activities and/or separation of suspect persons who are not ill or of suspect baggage, containers, ship/vessel or goods from others in such a manner as to prevent the possible spread of infection or contamination;

(47) "reservoir" means an animal, plant or substance in which an infectious agent normally lives and whose presence may constitute a public health risk;

(48) "ship" means a seagoing or inland navigation vessel on an international voyage;

(49) "surveillance" means the systematic ongoing collection, collation and analysis of data for public health purposes and the timely dissemination of public health information for assessment and public health response as necessary;

(50) "suspect" means those persons, baggage, cargo, containers, ship/vessel, goods or postal parcels considered by the country as having been exposed, or possibly exposed, to a public health risk and that could be a possible source of spread of disease;

(51) "traveler' means any person undertaking an international voyage including crew;

(52) "vector" means an insect or other animal which normally transports an infectious agent that constitutes a public health risk;

PART II – *PUBLIC HEALTH RESPONSE*

3. Functions of Central Govt. -- Central Govt. in relation to these rules shall be responsible for:

(i) Designating National IHR focal point for notifying and reporting events related to PHEIC occurring within the country to the WHO contact point and also to co-ordinate the public health response within the country.

Notification of PHEIC in the official gazette.

(ii) Constituting a task force for dealing with PHEIC or any other infectious disease.

(iii) In the event of PHEIC the Central Govt. may decide for additional health measures required at the Seaport.

4. - Role of Port Health Officer

(1) Port Health Officer shall be responsible for surveillance and application of public health measures at the ports and shall:

(i) have the authority for inspecting ship/vessels, including health screening, medical examination of travelers, monitoring baggage, cargo, containers, goods, postal parcels and human remains from departing and arriving ships/vessels, so that they are maintained in such a condition that they are free of sources of infection or contamination, including vectors and reservoirs;

(ii) shall supervise and coordinate measures, that facilities used by travellers at points of entry are maintained in a sanitary condition and are kept free of sources of infection or contamination, including vectors and reservoirs;

(iii) be responsible for the supervision of any deratting, disinfection, disinsection or decontamination of baggage, cargo, containers, conveyances, goods, postal parcels and human remains or sanitary measures for persons, as appropriate under these Rules;

(iv) advise conveyance operators, as far in advance as possible, of their intent to apply control measures to a conveyance, and shall provide, where available, written information concerning the methods to be employed;

(v) be responsible for the supervision of the removal and safe disposal of any contaminated water or food, human or animal dejecta, wastewater and any other contaminated matter from a conveyance;

(vi) take all practicable measures consistent with these Rules to monitor and control the discharge by ships of sewage, refuse, ballast water and other potentially disease-causing matter which might contaminate the waters of a port, river, canal, strait, lake or other international waterway;

(vii) be responsible for supervision of service providers for services concerning travellers, baggage, cargo, containers, conveyances, goods, postal parcels and human remains at points of entry, including the conduct of inspections and medical examinations as necessary;

(viii) have effective contingency arrangements to deal with an unexpected PHEIC and/or any other infectious disease and disseminate information and the measures to deal with it to all the concerned agencies at the port;

(ix) Shall be in communication with the National IHR Focal Point on the relevant surveillance activities, potential public health risk, and public health measures by the fastest means of communication.

(x) Shall be responsible for coordinating additional health measures at the port as decided by the Central Government in the event of PHEIC.

(2) Port Health officer may consider reapplication of health measures for travelers, baggage, cargo, containers, ships/vessel, goods, postal parcels and human remains arriving from an affected area may on arrival, if there are verifiable indications and/or evidence that the measures applied on departure from the affected area were unsuccessful.

PART III – ARRIVAL

***5.* - General provisions for incoming Ship:-**

(1) The master of every ship arriving at any port shall follow International signal code (flags, light signals etc.) until the ship has received free pratique under these rules.

Provided that the authorities at a port may, with the previous approval of the Central Government, notify alternative signals, not conflicting with the International Code, for use by ships visiting the port frequently;

(2) The master of any ship shall send a message to Port Health Officer, either directly or through an agent approved by the Port Health Officer, with all relevant information set out in the Standard Quarantine Messages of the International Code of Signals as are applicable based on the Maritime Declaration of Health as per Annex 1. Such message shall be communicated before the arrival of the ship in the port, when not more than forty eight hours and not less than four hours from the port of destination.

(3) On the basis of information received from the Ship/vessel, prior to its arrival, the port health officer, may grant *free pratique* by radio or other communication means to a Ship/vessel when, he is of the opinion that the arrival of Ship is not likely to result in the introduction or spread of disease.

(4) Ship/vessel shall not be refused *free pratique* for public health reasons; in particular they shall not be prevented from taking on fuel, water, food and supplies.

Provided that the Ship/vessel may be subjected to inspection before granting *free pratique* and, if a source of infection or contamination is found on board, the port health officer may carry out necessary deratting, disinfection, decontamination, disinsection, or other measures necessary to prevent the spread of the infection or contamination.

(5) The master of the ship, shall, on arrival, complete and deliver a Maritime Declaration of Health conforming to the model specified in *Annexure -1&1a*

(6) The master of the ship shall provide any further information required by the port health officer as to health conditions on board during the voyage.

(7) Master of the ship or an agent on its behalf operating a Ship engaged in any international voyage to India shall provide information as per Maritime Declaration of Health as per *Annex 1&1a*:

(i) Prior information to the Port Health Officer

(a) Date and time of arrival & details about the Ship (Ship Particulars).

(b) Nature of the cargo and Operations to be carried out.

(c) Journey & personal particulars of Embarked, disembarking crew/ Passengers supernumerary, security.

(d) Port of call list for 30 days with arrival and departure dates

(e) Crew and passenger list supernumerary, security

(f) Details of any case(s)/death/suspect due to infectious diseases and/or public health emergency of international concern

(g) Details of any stowaways on board as per IMO standard format.

(h) Details of any pet / wild animals, monkeys, race horses and their vaccinations.

(i) Details of the valid Ship Sanitation Certificates (SSCC/SSCEC/Extension) viz. date, place of issue, issued from IHR-2005 Authorized Port's List.

(j) Details of Sanitary control measures required or not. If so the Re-inspection date and date of compliance of the measures.

(k) And in addition to provide if the Ship touched any ports in the Yellow Fever

Endemic Countries in the last 30 days, before arrival (If yes provide details of Port……Country……departure date…….

(ii) On arrival, the Master of the Ship or an agent on its behalf will submit

(a) a duly filled in Maritime Declaration of health

(b) Crew List

(c) Ship sanitation control certificate/ship sanitation control exemption certificate placed at Annexure 2.

(d) Details of occurrence of any case(s)/death/suspect due to infectious disease and/or potential public health emergency of international concern after the last information provided to Port Health Officer.

(8). Baggage, cargo, containers, ship/vessel, goods and postal parcels shall be subjected to health measures provided for in these rules only when the Port Health Officer has reason to believe that they may have become contaminated by infection or may serve as a vehicle for the spread of any disease.

(9) Cargo pertaining to food items and live stocks will be dealt by the existing acts and rules made there under.

(10) A Ship in transit at a Port, not requiring any embarking and disembarking of passengers or crew or loading and discharging cargo, may be restricted to a particular area of the Port. However, any such Ship shall be permitted to take on fuel, water, food and supplies, under the supervision of the Port Health Officer.

(11) All ships suspected for Yellow Fever should be inspected from sunrise to sunset.

(12) All the cruise liners arriving from any foreign port shall be boarded by Port Health

Officer on arrival to grant free pratique before berthing in the port.

6. Measures during PHEIC (Public Health Emergency of International Concern):-

(1) If a ship carries a case or suspected case of any PHEIC on board, the master of the ship, before its arrival, shall hoist the signal prescribed under international signal code and shall immediately report the circumstances to the Port Health Officer and shall not initiate any contact with the shore before clearance.

(2) So long as a signal showing that the ship is "infected or "suspected' is displayed by a ship, no person/ vessel will be permitted to communicate directly with the ship except when navigational reasons necessitate a Conservator or his Deputy or an official acting in execution of these Rules shall attempt to take such boat along-side the ship with the permission of the Port Health Officer and no person other than a pilot, a harbour-master, a mooring crew when navigational reasons necessitate a Conservator or his Deputy or an official acting in the execution of these Rules shall board or leave any "infected" or "suspected" ship without the written permission of the Port Health Officer.

(3) In the case of all "infected" and "suspected" ships and for the ships coming from the affected areas, the port health officer shall proceed on board and inspect the ship. The master of the ship shall give him every facility for the examination of the passengers, crew, baggage, cargo, provisions, water supply and any part of the ship which the port health officer may consider it necessary to examine. After inspection the Port Health Officer shall classify the ship as infected, suspected or healthy in accordance with special provisions relating to PHEIC.

i) All infected or suspected ships shall stop at such a place at the port as appropriate and the port authority shall, in consultation with the port health officer, provide a mooring point in this behalf and shall not enter any dock or come along-side any wharf or have communication with the shore or

with any other vessel in the port until authorized to do so by the Port Health Officer.

ii) The Port Health Officer may for navigational reasons permit such infected or suspected ship to come along-side a specially controlled wharf where strict vigilance is maintained and enforced to prevent any communication or contact with the shore or with any other vessel in the port until declared safe by PHO.

(4) Even after arrival of the ship at the port any person on board is suspected of or found to be suffering from a PHEIC/infectious disease the master or the ship surgeon or any treating medical practitioner shall inform to the Port Health Officer about the occurrence of such illness.

(5) The Port Health Officer to implement additional health measures as decided by the Central Government to prevent and control public health risk during PHEIC. These measures may include isolation, quarantine or placing the traveller under public health observation etc.

(6) The master of the ship shall provide the passenger/crew details and seat or cabin number, cargo manifest, Ship configuration, to the Port Health Officer and facilitate the medical examination of passengers and crew, whenever necessary.

(7) If clinical signs or symptoms and information based on fact or evidence of a public health risk, including sources of infection and contamination, are found on board, the Port Health Officer shall consider the ship/vessel as affected and may

(i) carry out non-invasive medical examination of the passengers that would achieve the public health objective;

(ii) isolate passengers for such period as the port health officer may consider necessary. Persons who have been exposed to infection may, if they disembark, be placed under surveillance for a period not exceeding the incubation period of the PHEIC to which they have been exposed, such period being reckoned from the time of the last exposure to infection;

(iii) undertake appropriate vaccination or other prophylactic measures in accordance with the recommendations of the WHO as communicated by the Central Government;

(iv) ask the master of the ship to undertake disinfection, decontamination, disinsection or de-ratting of the ship/vessel, as appropriate, or cause these measures to be carried out under their supervision.

(8) All persons suffering or suspected to be suffering from a PHEIC may be disembarked from a ship and isolated as per these rules.

(9) Where any person is required under these Rules to be disembarked and isolated for any period, the Port Health Officer may isolate/or cause to be isolated, that person to a hospital or any other place approved by the Port Health Officer and detain him therein for the specified period.

(10) When a suspected case of any PHEIC is disembarked from a ship at any port, the Port Health Officer shall report by fastest means of communication the confirmation, or otherwise of the diagnosis to the health officer of the ship's next port of call.

(11) The Port Health Officer may place under surveillance any suspect on an international voyage arriving from an affected area. Such surveillance may be continued until the end of the appropriate period of incubation as determined by the competent authority

(12) A person under surveillance shall not be isolated and may be permitted to move about freely if in the opinion of PHO this does not have any public health risk. The Port Health Officer may require such a person to report to him, if necessary, at specified intervals during the period of surveillance. The Port

Health Officer may also subject such a person to medical investigation and make any enquiries which are necessary for ascertaining his/her state of health.

(13) When a person under surveillance departs for another place in India, he shall inform the Port Health Officer who shall immediately inform the medical officer of health of the place to which the person is proceeding. On arrival, the person shall report to that medical officer of health who may apply the measures provided for in these rules

(14) Further health measures which may be applied to the ship shall be determined by the conditions which existed on board during the voyage or which exist at the time of the medical examination, without prejudice.

(15) Imported animals as cargo or pet need to get health clearance from the veterinary experts before ship is granted free pratique.

7. **Isolation Facilities:-**

(i) Port Health Officer will make suitable arrangement for isolation of the passengers for the purpose of these rules.

(ii) The passengers suffering from PHEIC will be treated at the designated hospitals as decided by the Port Health Officer.

(iii) Persons who are under isolation for diseases, may however in exceptional circumstances, at the discretion of the Port Health Officer, be allowed to continue their voyage before the expiry of the isolation period provided measures to safeguard the health of travelers are taken.

PART IV – SPECIAL PROVISIONS FOR YELLOW FEVER DISEASE

8. Health measures for arriving ships:-

(1) Any ship/vessel coming within 30 days from yellow fever affected countries as notified by WHO shall be inspected by Port Health Officer before granting free pratique as per *Annex 8*.

(2) On arrival, the master of the ship shall provide maritime declaration of health, the health measures taken, the passenger / crew list, Yellow Fever Vaccination list and Yellow Fever Vaccination Certificates (*as per Annex-4,5& 6*) to the Port Health Officer and the departure details from Yellow fever endemic country (*as per Annex-8*).

(3) Master of any ship who is unwilling to submit to the measures required by the Port Health Officer in accordance with these rules shall be allowed to depart forthwith without being permitted to enter into any form of communication with the shore or with any other vessel in the port. Such a ship shall nevertheless be permitted to take on fuel, water and stores in quarantine and any passengers, who desire to disembark with or without their baggage or to transship from the ship, may be permitted to do so on the condition that they undertake to submit to the appropriate measures required by the Port Health Officer under these Rules.

(4) If on inspection of any ship a case of yellow fever is found on board;

(i) the ship shall not be provided free pratique unless appropriate health measures as prescribed by the Port Health Officer have been undertaken.

(ii) Incase the ship is coming from yellow fever affected countries and live *Aedes* mosquitoes have been found on board the ship shall be subjected to the health measures, required by the Port Health Officer in accordance with these rules.

(5) All the international travelers who have visited/transited through yellow fever endemic countries and have come to India within six days of departure from such area will be required to possess a valid certificate of vaccination against yellow fever, failing which such passengers will be kept under quarantine in the ship upto a maximum period of six days or till the vaccination becomes effective for newly vaccinated passengers whichever is earlier.

(6) Import of primates (including wild animals, monkeys and race horses) as cargo or pet from Yellow Fever Endemic areas or where origin the primates cannot be ascertained, are not permitted into India. However if imported from non-yellow fever endemic areas with proper documents, may be allowed in consultation with veterinary expert. Such primates should be kept on board in mosquito free environment/cabin and not to be allowed to move around on board.

Part – V – DEPARTURE

9. **General Provisions before Departure-**

The provisions of this Part shall apply to all ships leaving India on an international voyage:

(1)The port health officer may persuade the person to avoid travel or if necessary, prohibit the embarkation, on any ship if –

(i) any person showing symptoms of any PHEIC, and

(ii) any person whom the port health officer considers likely to transmit infection because of his/her close contact with a person showing symptoms of PHEIC in order to safe guard the health of other passengers and crew..

(iii) The Port Health Officer when considers it necessary, may undertake health screening/ medically examine any person before his departure on an international voyage and take other health measures before departure.

Provided further that a person on an international voyage who on arrival is placed under surveillance may be allowed to continue his voyage in which case the Port Health Officer shall record this fact in the ship sanitary inspection certificate and will communicate the same to the next port of call.

(iv) on the completion of the medical examination, the port health officer shall issue a certificate this effect. After the issue of certificate of medical inspection, no baggage, cargo or any other article shall be taken on board and no person shall embark or re-embark except with the written permission of port health officer.

(2) Port health officer in an affected area may require a valid vaccination certificate from the departing travelers.

(3) Port health officer may prevent loading or unloading of any cargo, if, in his opinion, it can disseminate infection.

(4) No ship shall leave any port of India on international voyage without having a valid ship sanitation control certificate/ ship sanitation control exemption certificate or extension issued by the health authority of a port approved for the purpose.

(5) All cruise liners departing from any Indian port shall take certificate of health clearance from Port Health Officer before departure.

(6) All ships /vessels shall be granted Health clearance for departure from the port subject to fulfilling all the requirements under these rules, as given in *Annexure-9*.

Part – VI – VECTOR CONTROL

10. **Vector Control measures:-**

(i) for Ship

(i) If any insects are detected on board during inspection, the ship shall be disinsected in accordance with the provisions contained in these rules as per *Annexure-3*.The crew cabins,

deck, pantry, galley and other places in the Ship shall be disinsected as per WHO recommended procedures and appropriate insecticides.

(ii) Any ship/vessel arriving from yellow fever endemic countries within thirty days from the date of departure shall be required to be disinsected.

(iii) Apart from this, in case of public health emergency of international concern, Ship arriving from other Ports may be subjected to the additional measures whenever necessary.

(ii) Measures at Port

(i) Anti-mosquito measures shall be undertaken within the Port and 400 meters around the perimeter of every port with extension of minimum distance if vectors with a greater flight range are present; by the concerned Port authorities in coordination with the Local Municipal Authority, State Government Authority.

(ii) Occupants/owners of the premises in Port area shall be responsible for undertaking appropriate anti vector measures so as to keep their premises free from vectors of all types and stages.

(iii) Port health officer will supervise vector status within the Port premises and 400 meters around the perimeter of every port with extension of minimum distance if vectors with a greater flight range are present so that it is kept free of all types and stages of vectors for the purpose of these rules.

(iv) Container loading service areas to be kept free of all vectors to prevent spread of vectors through containers.

Part – VII - PROVISIONS RELATED TO DEAD BODIES.

11. **- Death on board -** In case of any death on board, the master of the ship will immediately intimate the Port Health Officer of the port of destination about the circumstances of the death. All such ships will be considered as suspected ships. The Port Health Officer shall board the ship/vessel in quarantine and examine the dead body. After satisfying that the death is not due to any infectious disease subject to these rules, he will permit removal of the dead body and shall report the matter to the local police. In case of death due to infectious diseases, Port Health Officer will take necessary public health measures.

12. **Special Provisions relating to the Carriage of Dead Bodies and Cremated Remains:-**

(a) No person shall bring into India any dead body or human remains of persons who may

have died of diseases of PHEIC or yellow Fever without prior approval of the Port

Health Officer.

(b) Port authorities shall ensure that the dead body or human remains transported from

abroad are kept at a separate designated place maintaining proper dignity to the corpse.

(c) The consignee as well as the ship transport service providers shall give prior information, of at least 48 hours prior to importation of the dead body or human remains or ashes of cremated bodies to the Port Health Officer of the Port of arrival.

(d) All human remains arriving at Indian Ports coming from foreign countries shall be accompanied by the following documents for the health clearance:

(1) Embalming certificate stating that the dead body/human remains have been embalmed and placed in a hermetically sealed (airtight and water proof) casket. Death certificate or a true copy thereof with proper translation in English.

(2) A certificate / endorsement by the consignee that the casket contains the dead body/human remains of the person whose documents are presented for clearance to the Port Health Officer and nothing else.

(3) A certificate / endorsement of death from the Indian Diplomatic Representatives, at the country of origin.

(4) Where there is no such representative, health officer may waive off the requirement on the basis of accompanying documents.

(5) In case where embalming is not undertaken (e.g. in cases of death due to drowning or severe burns etc.) bodies/human remains have to be packed in a hermetically sealed urn or container. Un-embalmed human remains must meet additional packing requirements to be assessed by Port Health Officer.

(6) If the dead body or human remains have been properly cremated, the cremated ashes shall be placed in a hermitically sealed urn or a similar container.

(7) In the case of un-cremated remains, the following procedure shall be adopted:-

(i) Where a coffin has been exhumed and proves on examination to be intact, sound and free from offensive odour, it should be enclosed in hermetically sealed zinc or tin-lined wooden packing case filled with saw-dust impregnated with carbolic powder.

(ii) Where a coffin has been exhumed and is not intact and free from odour, its contents should be dealt with in accordance with the requirements mentioned above.

(8) Package containing a dead body or human remains or ashes of cremated remains, which is in transit through India, shall not be subjected to any restrictions if it has been packed and sealed in the manner prescribed under these rules or in a manner which, in the opinion of the Health Officer, is considered to be Equally satisfactory.

(9) In cases of deaths due to communicable diseases not reported in India and having public health risk e.g. viral hemorrhagic fevers (Lassa, Marburg, Ebola, Congo Crimean), avian influenza and SARS or others not yet isolated/named, the Port Health Officer may restrict the importation of human remains. While such restrictions are not generally employed, the health officer reserves the right to do so on a case by case basis, with the approval of the competent authority. Such bodies when permitted shall be cremated under the supervision of Port Health Officer with the help of local police.

(10) Provided that nothing in this rule shall apply to the dead body of a person who dies during voyage before arrival of the Ship in India. The Master of ship of such Ship shall send, prior information to the Port Health Officer of the Port, where he proposes to arrive in India, regarding the occurrence and, if possible, cause of death. On arrival, no passenger or member of the crew shall disembark until appropriate health measures have been taken by the Port Health Officer.

Part – VIII - FOOD HYGIENE & SAFETY

13. **Food Hygiene requirements:-**

(1) Ship pantry, kitchens, galley and other eating outlets within the Port areas will be required to have an effective hygiene system and necessary hygienic facilities.

(2) Concerned agencies shall ensure that they provide safe drinking water and food at the Port or on the ship/vessel. Service provider will ensure mandatory microbiological testing of drinking water quality at the source and will submit regular reports to the Port Health Officer. Port Health Officer will crosscheck the reports. A robust water safety plan is to be maintained at the Port Areas.

(3) All the food outlets shall be licensed by the Local Health Authority (Port Health Officer) of the Port.

(4) All the food handlers will undergo periodic medical check-up.

(5) The Port Health Officer will supervise the sanitary and hygiene conditions of all the food establishments including kitchens at the port premises and of the food served within Ship while at the port.

(6) All the agencies at the port shall take effective measures for the control of rodents, stray animals and other vectors.

(7) Port Health Officer shall be empowered to:

(i) Discard of the food which is found to be unhygienic, adulterated and unsafe for human consumption.

(ii) Order for closure of any food establishment and drinking water source if found unfit for the purpose.

Part - IX- MISCELLANEOUS

14 - Health measures

(1) The Master of the ship shall provide see Annex 7

(i) Information concerning the traveler's destination & address so that the traveler may be contacted in case of necessity;

(ii) Information concerning the travelers itinerary to ascertain if there was any travel in or near an affected area or other possible contacts with infection or contamination prior to arrival, as well as review of the traveller's health documents if they are required.

(2) Health measures and health formalities shall be initiated forthwith, completed and applied without discrimination.

(3) Any health measure, other than medical examination, which has been applied to a ship at a previous port, shall not be repeated unless-

(i) After the departure of the ship from the port where the measures were applied an incident of epidemiological significance calling for a further application of any such measure has occurred either in that port or on board the ship;

(ii) Port health officer has reason to believe that the individual measure so applied was not substantially effective.

(4) If the facilities for the health measures are not available at the point of entry, port

health officer may nevertheless divert the affected ship/vessel to other Ports and at the time of departure, inform the competent authority for the next point of entry.

(5) A ship/vessel that has been considered as affected shall cease to be regarded as such when the Port Health Officer on inspection is satisfied that:

(i) the measures provided in these rules have been effectively carried out; and

(ii) there are no conditions on board that could constitute a public health risk.

(6) If a traveler for whom the Port Health Officer considers necessary a medical examination and investigations, vaccination or other prophylaxis under provisions of these rules fails to give consent to any such measure, or refuses to provide the information or the documents concerned, the Port Health Officer may deny entry to that traveler. If there is evidence of an imminent public health risk, the Port Health Officer may, in accordance with these rules and to the extent necessary to control such a risk, compel the traveler to undergo or advise the traveler to undergo such health measures.

(7) When the person under surveillance departs for another place, he shall inform the Port Health Officer who shall immediately inform the health authority of the place to which the person is proceeding. On arrival, the person shall report to that health authority who may apply the measures provided in these rules.

(8) The Port Health Officer shall, when so requested, issue free of charge –

(i) to any traveler a certificate specifying the date of his arrival or departure and the measures applied to him and his baggage.

(ii) to the consignor, the consignee and the carrier, or their respective agents, a certificate specifying the measures applied to any goods.

(9) The Port Health Officer may whenever he considers it necessary, refuse entry into the port to any person, including a person proceeding on an international voyage and take appropriate health measures provided in these rules.

(10) Any sanitary measures, which has been applied at a previous Port of the country, shall not be repeated unless-

(i) after the departure of the Ship from the Port where the measures were applied, an incident of epidemiological significance calling for a further application of any such measure has occurred either in that Port or on board the Ship : or

(ii) If Port Health Officer has reason to believe that the individual measure so applied was not substantially effective.

15. Container and container loading areas in the Port premises and service Areas:-

(1) Disinsection, disinfection, decontamination and other health procedures shall be carried out so as to avoid injury and as far as possible discomfort to persons, or damage to the environment in a way which impacts on public health, or damage to baggage, cargo, containers, ship/vessel, goods and postal parcels.

(2) Container consignees and consignors shall make every effort to avoid cross-contamination when multiple-use loading of containers is employed.

(3) All the concerned agencies will ensure that facilities for the inspection and isolation of containers are available at container loading areas.

16. **Issue of Ship Certificates**

(a) Issue of Ship Sanitation Certificates

(i) Ship Sanitation Control Exemption Certificates and Ship Sanitation Control Certificates shall be valid for a maximum period of six months. This period may be extended by one month if the inspection or control measures required cannot be accomplished at the port.

(ii) If a valid Ship Sanitation Control Exemption Certificate or Ship Sanitation Control Certificate is not produced or evidence of a public health risk is found on board a ship, If clinical signs or symptoms and information based on fact or evidence of a public health risk, including sources of infection and contamination, are found on board a conveyance, the Port Health Officer shall consider the conveyance as affected and may:

(i) disinfect, decontaminate, disinsect or derat the conveyance, as appropriate, or cause these measures to be carried out under its supervision; and

(b) decide in each case the technique employed to secure an adequate level of control of the public health risk as provided in these Rules. Where there are methods or materials advised by WHO for these

procedures, these should be employed, unless the Port Health Officer determines that other methods are as safe and reliable.

(iii) The certificates referred to in this Rule shall conform to the model in *Annex 2 & 2a*.

(iv) Whenever possible, control measures shall be carried out when the ship and holds are empty. In the case of a ship in ballast, they shall be carried out before loading.

(v) When control measures are required and have been satisfactorily completed, the Port Health Officer shall issue a Ship Sanitation Control Certificate, noting the evidence found and the control measures taken in the Evidence Report Form.

(vi) The Port Health Officers may issue a Ship Sanitation Control Certificate/Ship Sanitation Control Exemption Certificate or Extension at the designated IHR-2005 authorized ports as declared by the Central Government, if it is satisfied that the ship is free of infection and contamination, including vectors and reservoirs. Such a certificate shall normally be issued only if the inspection of the ship has been carried out when the ship and holds are empty or when they contain only ballast or other material, of such a nature or so disposed as to make a thorough inspection of the holds possible.The process of disposal of ballast water should be such that the infected waters are not discharged in uncontaminated waters of India.

(vii) If the conditions under which control measures are carried out are such that, in the opinion of the Port Health Officer for the port where the operation was performed, a satisfactory result cannot be obtained, the Port Health Officer shall make a note to that effect on the Ship Sanitation Control Certificate and attach the Evidence Report Form for follow up at the next Port of calls.

(2) Issue of Medical Chest Certificates: The Port Health Officer will issue the Medical Chest Certificates for all Indian Flag vessels and will be valid for 1 year.

The Medical Chest for all the other vessels if not having valid certificate or adequate medicines will be inspected for clearance before departure.

17. **Health documents**

(1) No health documents, other than those provided for under these Rules, shall be required for international traffic.

(2) The Port Health Officer may require travelers to complete contact information forms and questionnaires on the health of travelers whenever required.

18. **Goods in transit-** Subject to provisions under these rules, unless authorized by applicable international agreements, goods, other than live animals, in transit shall not be subject to health measures under these rules or detained for public health purposes.

Part – X – SERVICE CHARGES AND FIXATION OF TARIFF.

19. **- Charges**

(1) No charge shall be made by the Port Health Officer for –

(a) any medical examination provided for in these Rules or any supplementary examination, bacteriological or otherwise which may be required to ascertain the state of health of the person examined;

(b) any vaccination, notified by Govt. of India is required to be given to a person on arrival and issuance of vaccination certificate thereof.

(2) If any person/passenger or member of the crew refuses or fails to pay any charges, due from him, then without prejudice to any proceedings that may be taken against him, such charges shall be

recoverable from the owner or representative of the Ship on which such person or member of the crew arrives.

(3) Charges for applying the measures provided for in these rules, shall conform to the tariff for such charges as may be fixed from time to time by the Central Government. These charges shall not exceed the actual cost of the service rendered, and they shall be levied without distinction as to the nationality, domicile or residence of the person concerned or as to the national flag, registry or ownership of the Ship.

(4) The tariff and any amendment thereto shall be published by the Central Government in the Gazette at least ten days in advance of the levy there under.

(5) The fees chargeable for Ship Sanitation Control Certificates and Ship Sanitation Control Exemption Certificates at Indian ports shall be as fixed from time to time by the Government of India. The ships will not be charged for issue of 1month extension.

(6) Reimbursement for expenses incurred in providing the health measures may be sought

1. from conveyance operators or owners with regard to their employees; or

(ii) from applicable insurance sources.

(7) The passengers or crew or conveyances operators are not to be denied to depart pending payment of the charges.

All the health measures will be undertaken in consonance of the Ethical issues as per the *Annex 10.*

Part – XI - OFFENCES AND PENALTIES

20. All passengers, ships/vessels, their agents and agencies at the Port shall comply with all provisions contained in these rules and all measures lawfully imposed by the Port Health Officer in pursuance of these Rules and shall give the Port Health Officer all reasonable facilities for the discharge of responsibilities vested under these Rules.

1. Any person who

(i) Obstructs or impedes, or assists in obstructing or impeding Port Health Officer in execution of his duties.

(ii) Disobeys any lawful order issued by Port Health Officer.

(iii) Refuses to furnish any information required for the purposes of these rules.

(iv) Upon being required to furnish under these rules gives false information.commits an offence under these rules

2. Any offender or whoever contravenes any provision of these rules, or disobeys, or fails to comply with, any order given in pursuance of these rules, shall be punishable with imprisonment for a term not exceeding six months and/or with fine which may extend up to ten thousand rupees.

PART XII-ANNEXURES

Annexure- 1

MODEL OF MARITIME DECLARATION OF HEALTH

To be completed and submitted to the competent authorities by the masters of ships arriving from foreign ports. Submitted at the port of ………………………………………. .. Date …………

Name of ship or inland navigation vessel …….......……...… Registration/IMO No ....arriving from …….……sailing to ....

(Nationality)(Flag of vessel) ……………………………………. Master's name .... Gross tonnage (ship) ……………..

Tonnage (inland navigation vessel) …………………

Valid Sanitation Control Exemption/Control Certificate carried on board? Yes .... No …......... Issued at …....…..…… date ……........... Re-inspection required? Yes ……. No …….

Has ship/vessel visited an affected area identified by the World Health Organization? Yes ..... No ….. Port and date of visit ……………………….......................

List ports of call from commencement of voyage with dates of departure, or within past thirty days, whichever is shorter:

....

Upon request of the competent authority at the port of arrival, list crew members, passengers or other persons who have joined ship/vessel since international voyage began or within past thirty days, whichever is shorter, including all ports/countries visited in this period (add additional names to the attached schedule):

(1) Name ……………………….………….Joined from:

(1) ………….(2).……………....(3) ....

(2) Name …………………………………joined from:

(1) ……………………........(2) …………………........….(3) ....

(3) Name …………………………………joined from:

(1) ………………....…...(2) …….…....…..………(3) ....

Number of crew members on board …………

Number of passengers on board …………….

Health questions

(1) Has any person died on board during the voyage otherwise than as a result of accident? Yes .... No …..

If yes, state particulars in attached schedule. Total no. of deaths ....

(2) Is there on board or has there been during the international voyage any case of disease which you suspect to be of an infectious nature? Yes........ No…..... If yes, state particulars in attached schedule.

(3) Has the total number of ill passengers during the voyage been greater than normal/expected? Yes .... No …..

How many ill persons? ....

(4) Is there any ill person on board now? Yes .... No ….... If yes, state particulars in attached schedule.

(5) Was a medical practitioner consulted? Yes ..... No ….. If yes, state particulars of medical treatment or advice provided in attached schedule.

(6) Are you aware of any condition on board which may lead to infection or spread of disease? Yes ..... No ….....

If yes, state particulars in attached schedule.

(7) Has any sanitary measure (e.g. quarantine, isolation, disinfection or decontamination) been applied on board? Yes ..... No …...If yes, specify type, place and date .

(8) Have any stowaways been found on board? Yes ..... No ….. If yes, where did they join the ship (if known)? ..... (9) Is there a sick animal or pet on board? Yes ..... No .....

Note: In the absence of a surgeon, the master should regard the following symptoms as grounds for suspecting the existence of a disease of an infectious nature:

(a) fever, persisting for several days or accompanied by (i) prostration; (ii) decreased consciousness; (iii) glandular swelling; (iv) jaundice; (v) cough or shortness of breath; (vi) unusual bleeding; or (vii) paralysis.

(b) with or without fever: (i) any acute skin rash or eruption; (ii) severe vomiting (other than sea sickness); (iii) severe diarrhoea; or (iv) recurrent convulsions.

I hereby declare that the particulars and answers to the questions given in this Declaration of Health (including the schedule) are true and correct to the best of my knowledge and belief.

Signed……

Master

Countersigned……..

Ship's Surgeon (if carried)

Date…….

Annexure- 1a

ATTACHMENT TO MODEL OF MARITIME DECLARATION OF HEALTH

Name	Class or rating	Age	Sex	Nationality	Port, date joined ship/vessel	Nature of illness	Date of onset of symptoms	Reported to a port medical officer?	Disposal of case 1	Drugs, medicines or other treatment given to patient	Comments

Annexure-2

MODEL SHIP SANITATION CONTROL EXEMPTION CERTIFICATE/SHIP SANITATION CONTROL CERTIFICATE

Port of ……. Date: ……..

This Certificate records the inspection and 1) exemption from control or 2) control measures applied

Name of ship or inland navigation vessel .....Flag …..... Registration/IMO No. ……..... At the time of inspection the holds were unladen/laden with ..... tones of..... cargo Name and address of inspecting officer ……..

Areas, [systems, and services] inspected	Evidence found[1]	Sample[2] results	Documents reviewed
Galley			Medical log
Pantry			Ship's log
Stores			Other
Hold(s) cargo			
Quarters			
- Crew			
- Officers			
- Passengers			
- Deck			
Potable water			
Sewage			
Ballast tanks			
Solid and medical waste			
Standing water			
Engine room			
Medical facilities			
Other areas specified - See attached			
Note areas not applicable, by marking N/A.			

Ship Sanitation Control Exemption Certificate

No evidence found. Ship/vessel is exempted from control measures. Control measures indicated were applied on the date below. Name and designation of issuing officer ……..... Signature and seal …… Date …….....

1(a) Evidence of infection or contamination, including: vectors in all stages of growth; animal reservoirs for vectors; rodents or other species that could carry human disease, microbiological, chemical and other risks to human health; signs of inadequate sanitary measures. (b) Information concerning any human cases (to be included in the Maritime Declaration of Health).

2 Results from samples taken on board. Analysis to be provided to ship's master by most expedient means and, if re-inspection is required, to the next appropriate port of call coinciding with the re-inspection date specified in this certificate.

Sanitation Control Exemption Certificates and Sanitation Control Certificates are valid for a maximum of six months, but the validity period may be extended by one month if inspection cannot be carried out at the port and there is no evidence of infection or contamination.

Annexure 2a

ATTACHMENT TO MODEL SHIP SANITATION CONTROL SANITATION CONTROL CERTIFICATE

Areas/facilities/systems[1] inspected	Evidence found	Sample results	Documents reviewed	Control measures applied	Re-inspection date	Comments regarding conditions found
Food						
Source						
Storage						
Preparation						
Service						
Water						
Source						
Storage						
Distribution						
Waste						
Holding						
Treatment						
Disposal						
Swimming pools/spas						
Equipment						
Operation						
Medical facilities						
Equipment and medical devices						
Operation						
Medicines						
Other areas inspected						

[1] Indicate when the areas listed are not applicable by marking N/A.

Annexure- 3

SPECIFIC MEASURES FOR VECTOR-BORNE DISEASES

1. Every ship/vessel leaving an area where vector control is recommended by WHO or where vector of yellow fever exists, should be disinsected and kept free of vectors. The presence of vectors on board ship/vessel and the control measures used to eradicate them shall be included, in the Health Part of the Ship General Declaration,

2. Port Health Officer shall ensure that various agencies inside the port premises undertake control measures for vectors as prescribed under these rules upto a minimum distance of 400 metres from the perimeter of the port premises with extension of minimum distance if vectors with a greater range are present. For such measures PHO may seek assistance from local municipal agency and other concerned agencies.

3. If a follow-up inspection is required to determine the success of the vector control measures applied, the competent authorities for the next known Port or Port of call with a capacity to make such an inspection shall be informed of this requirement in advance by the competent authority and mention in the Ship Sanitation Certificate with Evidence Report Form.

4. A ship/vessel may be regarded as suspect and should be inspected for vectors and reservoirs if:

(a) it has a possible case of vector-borne disease on board;

(b) a possible case of vector-borne disease has occurred on board during an international voyage; or

(c) it has left an affected area within a period of time where on-board vectors could still carry disease.

5. Port Health officer may require application of vector control measures to a ship/vessel arriving from an area affected by a vector-borne disease including yellow fever if the vectors for the foregoing disease are present in its territory.

6. The Master of Ship/vessel shall, during the stay of the Ship/vessel in a Port take such precautions as the Health Officer may specify in order to prevent rodents gaining access to the Ship.

Annexure-4

VACCINATION, PROPHYLAXIS AND RELATED CERTIFICATES

1. Vaccines or other prophylaxis specified under IHR 2005 shall be of suitable quality.

2. Persons undergoing vaccination or other prophylaxis under these Rules shall be provided with an international certificate of vaccination or prophylaxis (hereinafter the "certificate") in the form specified in this Annex. No departure shall be made from the model of the certificate specified in this Annex.

3. Certificates under this Annex are valid only if the vaccine or prophylaxis used has been approved by WHO.

4. Certificates must be signed by authorized signatory. The certificate must also bear the official stamp of the administering centre; however, this shall not be an accepted substitute for the signature.

5. Certificates shall be fully completed in English or in French. They may also be completed in another language, in addition to either English or French.

6. Any amendment of this certificate, or erasure, or failure to complete any part of it, may render it invalid.

7. Certificates are individual and shall in no circumstances be used collectively. Separate certificates shall be issued for children.

8. A parent or guardian shall sign the certificate when the child is unable to write. The signature of an illiterate shall be indicated in the usual manner by the person's mark and the indication by another that this is the mark of the person concerned.

9. Travelers with exemption certificate for yellow fever vaccination, would be permitted entry only after the mandatory quarantine period as prescribed under special provisions in these rules related to yellow fever.

10. An equivalent document issued by the Armed Forces to an active member of those Forces shall be accepted in lieu of an international certificate in the form shown in this Annex if:

(a) it embodies medical information substantially the same as that required by such form;

(b) it contains a statement in English or in French and where appropriate in another language in addition to English or French recording the nature and date of the vaccination or prophylaxis and to the effect that it is issued in accordance with this paragraph.

Annexure – 5

MODEL INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION OR PROPHYLAXIS

This is to certify that [name] ....., date of birth ....., sex ....., nationality ....., national identification document, if applicable ..... whose signature follows ……..... has on the date indicated been vaccinated or received prophylaxis against: (name of disease or condition) ……. in accordance with the International Health Regulations.

Vaccine or prophylaxis	**Date**	**Signature and professional status of supervising clinician**	**Manufacturer and batch No. of vaccine or prophylaxis**	**Certificate valid from ..... until .....**	**Official stamp of administering centre**
1.					
2.					

This certificate is valid only if the vaccine or prophylaxis used has been approved by the World Health Organization.

This certificate must be signed in the hand of the clinician, who shall be a medical practitioner or other authorized health worker, supervising the administration of the vaccine or prophylaxis. The certificate must also bear the official stamp of the administering centre; however, this shall not be an accepted substitute for the signature.

Any amendment of this certificate, or erasure, or failure to complete any part of it, may render it invalid.

The validity of this certificate shall extend until the date indicated for the particular vaccination or prophylaxis. The certificate shall be fully completed in English or in French. The certificate may also be completed in another language on the same document, in addition to either English or French.

Annexure- 6

REQUIREMENTS CONCERNING VACCINATION OR PROPHYLAXIS FOR SPECIFIC DISEASES

1. In addition to any recommendation concerning vaccination or prophylaxis, the following diseases are those specifically designated for which proof of vaccination or prophylaxis may be required for travelers as a condition of entry.

Vaccination against yellow fever.

2. Recommendations and requirements for vaccination against yellow fever:

(a) For the purpose of this Annex:

(i) the incubation period of yellow fever is six days;

(ii) yellow fever vaccines approved by WHO provide protection against infection starting 10 days following the administration of the vaccine;

(iii) this protection continues for 10 years; and

(iv) the validity of a certificate of vaccination against yellow fever shall extend for a period of 10 years, beginning 10 days after the date of vaccination or, in the case of a revaccination within such period of 10 years, from the date of that revaccination.

(b) Vaccination against yellow fever may be required of any traveller leaving an area where the Organization has determined that a risk of yellow fever transmission is present.

(c) If a traveller is in possession of a certificate of vaccination against yellow fever which is not yet valid, the traveller may be permitted to depart, but the provisions of paragraph 2(h) of this Annex may be applied on arrival.

(d) A traveller in possession of a valid certificate of vaccination against yellow fever shall not be treated as suspect, even if coming from an area where the Organization has determined that a risk of yellow fever transmission is present.

(e) The yellow fever vaccine used must be approved by the WHO and vaccination centre should be designated/authorized by the Ministry/Country.

(f) Countries shall designate specific yellow fever vaccination centres within their territories in order to ensure the quality and safety of the procedures and materials employed.

(g) Every person employed at a point of entry in an area where the Organization has determined that a risk of yellow fever transmission is present, and every member of the crew of a ship/vessel using any such point of entry, shall be in possession of a valid certificate of vaccination against yellow fever.

(h) Any traveler from an area where the WHO has determined that a risk of yellow fever transmission is present, who is unable to produce a valid certificate of vaccination against yellow fever, shall be quarantined until the certificate becomes valid, or until a period of not more than six days, reckoned from the date of last possible exposure to infection, has elapsed, whichever occurs first.

Annexure-7

TECHNICAL REQUIREMENTS PERTAINING TO SHIP/VESSEL AND SHIP/VESSEL OPERATORS

Section A Ship/vessel operators

1. Ship/vessel operators shall facilitate:

(a) inspections of the cargo, containers and ship/vessel;

(b) medical examinations of persons on board;

(c) application of other health measures under these Regulations; and

(d) provision of relevant public health information requested by the country.

2. Ship/vessel operators shall provide to the competent authority a valid Ship Sanitation Control Exemption Certificate or a Ship Sanitation Control Certificate or a Maritime Declaration of Health, as required under these Rules.

Section B Ship/vessel

1. Control measures applied to baggage, cargo, containers, ship/vessel and goods shall be carried out so as to avoid as far as possible injury or discomfort to persons or damage to the baggage, cargo, containers, ship/vessel and goods. Whenever possible and appropriate, control measures shall be applied when the ship/vessel and holds are empty.

2. States Parties shall indicate in writing the measures applied to cargo, containers or ship/vessel, the parts treated, the methods employed, and the reasons for their application. This information shall be provided in writing to the person in charge of an ship and, in case of a ship, on the Ship Sanitation Control Certificate.

For other cargo, containers or ship/vessel, States Parties shall issue such information in writing to consignors, consignees, carriers, the person in charge of the ship/vessel or their respective agents.

ANNEXURE-8

YELLOW FEVER ENDEMIC COUNTRIES* LIST

AFRICA	**SOUTH AMERICA**
1. Angola	1. Argentina
2. Benin	2. Bolivia
3. Burkina Faso	3. Brazil
4. Burundi	4. Colombia
5. Cameroon	5. Ecuador
6. Central African Republic	6.French Guyana
7. Chad	7. Guyana Panama
8. Congo	8. Guyana
9. Cote d'Ívoire	9. Paraguay
10. Democratic Republic of Congo	10. Peru
11. Equatorial Guinea	11. Surinam
12. Ethiopia	12. Trinidad & Tobago
13. Gabon	13. Venezuela
14. Gambia	
15. Ghana	

16. Guinea

17. Guinea – Bissau

18. Kenya

19. Liberia

20. Mali

21. Mauritania

22.Niger

23. Nigeria

24. Rwanda

25. Senegal

26. Sierra Leone

27. Sudan

28. South Sudan

29. Togo

30. Uganda

Note: Total Yellow Fever endemic Countries as of now are 30 in African continent and 13 South American continent.

** The list of Yellow Fever endemic countries will be subject to update from World Health Organization from time to time.*

Annexure-9

Health Clearance for the Ships

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES)

PORT HEALTH ORGANISATION-_____.

CERTIFICATE OF HEALTH INSPECTION

THE VESSEL MV/MT/LPG/C_____WITH_____.

FLAG UNDER CAPTAIN _____ HAS COMPLIED WITH

THE REQUIREMENT UNDER THE INDIAN PORT HEALTH RULES- 2016 &

INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS-2005.THE VESSEL IS PERMITTED TO SAIL

OUT OF THE PORT.

……..PORT (INDIA)

DATED: / /-----

NO. : PHK/OS/2016/ *PORT HEALTH OFFICER,…….....*

NOTE: THIS CERTIFICATE IS VALID TILL SAILING OF THE VESSEL FROM THE PORT.ONE COPY OF THE CERTIFICATE WILL BE FORWARDED TO THE CUSTOM AUTHORITY FOR GRANTING PORT CLEARANCE, TWO COPIES OF THE CERTIFICATE TO BE HANDED

OVER TO THE BOARDING PILOT FOR GRANTING CLEARANCE BY THE PORT AUTHORITY.

Annexure 10

Ethical issues on health measures under these rules:-

The treatment of travellers shall be with respect for their dignity, human rights and fundamental freedoms and minimize any discomfort or distress associated with such measures, including by:

(a) treating all travellers with courtesy and respect;

(b) taking into consideration the gender, sociocultural, ethnic or religious concerns of travellers; and

(c) providing or arranging for adequate food and water, appropriate accommodation and clothing, protection for baggage and other possessions, appropriate medical treatment, means of necessary communication if possible in a language that they can understand and other appropriate assistance for travellers who are quarantined, isolated or subject to medical examinations or other procedures for public health purposes.

If a traveller for whom Port Health Officer may under these rules require a medical examination, vaccination or other prophylaxis under these Rules & as per paragraph 1 of Article 31 of IHR-2005 fails to consent to any such measure, or refuses to provide the information or the documents referred to in paragraph 1(a) of Article 23 of IHR-2005, the Port Health Officer concerned may under these rules, subject to Articles 32, 42 and 45 of IHR-2005, deny entry to that traveller. If there is evidence of an imminent public health risk, the Port Health Officer may under these rules, in accordance with its national law and to the extent necessary to control such a risk, compel the traveller to undergo or advise the traveller, pursuant to paragraph 3 of Article 23 of IHR-2005, to undergo:

(a) the least invasive and intrusive medical examination that would achieve the public health objective;

(b) vaccination or other prophylaxis; or

(c) additional established health measures that prevent or control the spread of disease, including isolation, quarantine or placing the traveller under public health observation.

[F. No. L. 21021/18/2012-PH (IH)/IH]

Dr. ARUN KUMAR PANDA, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2016

सा.का.नि. 781(अ).—विमान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 8-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय वायुपत्तन (जन स्वास्थ्य) नियमावली, 1954 के अधिक्रमण में कतिपय नियमावली जिसे केन्द्र सरकार प्रस्तावित करना चाहती है, के निम्नलिखित मसौदे पर इससे प्रभावित होने वाले सभी पणधारकों तथा व्यक्तियों से राजपत्र में नियमावली के मसौदे के प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के पश्चात् विचार किए जाने हेतु टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए।

ऊपर निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले उक्त मसौदे के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किसी आपत्ति या सुझाव पर केन्द्र सरकार विचार करेगी।

आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, उन्हें श्री एन. कुमारस्वामी, अवर सचिव (अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं. 401, डी-विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108, टेलीफैक्स 23061521, ई-मेल swamynk@gmail.com पर प्रेषित करें।

मसौदा नियमावली

भाग - I - प्रारंभिक

1. **लघु शीर्ष और प्रारंभ –** (1) इन नियमों का नाम भारतीय विमान (जन स्वास्थ्य) नियमावली, 2015 होगा।

(2) इनका प्रवर्तन सरकारी राजपत्र में अंतिम रूप से प्रकाशन की तारीख से होगा।

2. **परिभाषाएं –** इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हों, -

(1) "वायुपत्तन" से वह वायुपत्तन अभिप्रेत है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा ऐसा घोषित किया गया है और जहां अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का आगमन या प्रस्थान होता है;

(2) "वायुपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी" से वह अधिकारी अभिप्रेत है जिसकी नियुक्ति वायुपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी के तौर पर कार्य करने के लिए केन्द्र सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा की जाती है;

(3) "विमान प्रचालक" और "पायलट-इन-कमांड" से वही अभिप्रेत होगा जैसा विमान नियमावली, 1937 में उनके लिए निर्धारित किया गया है;

(4) "प्रभावित" से ऐसे व्यक्ति, सामान, कार्गो, कंटेनर, विमान या परिवहन, सुविधा केन्द्र, माल और पोस्टल पार्सल या मनुष्य का अवशेष अभिप्रेत है जो कि संक्रमित या संदूषित है अथवा संक्रमण या संदूषण के स्रोत का वाहक है जो कि जन स्वास्थ्य के लिए जोखिम का कारक हो सकता है;

(5) "प्रभावित क्षेत्र" से ऐसे भौगोलिक स्थल से अभिप्रेत है, विशेष रूप से जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम, 2005 के अंतर्गत स्वास्थ्य उपायों की सिफारिश की गई है;

(6) "आगमन" से व्यक्तियों या परिवहन, कार्गो, विमान या माल का किसी वायुपत्तन के निर्धारित क्षेत्र में आगमन अभिप्रेत है;

(7) "सामान" से किसी यात्री या कर्मी दल के किसी सदस्य की व्यक्तिगत संपत्ति अभिप्रेत है;

(8) "कार्गो" से विमान या परिवहन पर ढोया जा रहा माल अभिप्रेत है;

(9) "कंटेनर" से परिवहन उपकरण की कोई वस्तु अभिप्रेत है जो –

(क) स्थायी प्रकृति की हो तथा तदनुसार इतनी मजबूत हो कि उसका बार-बार उपयोग किया जा सके;

(ख) अंतर्वर्ती पुन: ढुलाई के बिना, परिवहन के एक या अधिक तरीकों द्वारा माल की ढुलाई हेतु विशेष रूप से डिजाइन की गई हो;

(ग) ऐसे उपकरण संलग्न हों जिससे उसे आसानी से हैंडल किया जा सके, विशेष रूप से परिवहन के एक तरीके से दूसरे में हस्तांतरित करने के दौरान; और

(घ) आसानी से सामान लादने और खाली करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया हो;

(10) "कंटेनर लदान क्षेत्र" से ऐसा स्थान या सुविधा केन्द्र अभिप्रेत है जिसे अंतर्राष्ट्रीय आवागमन में कंटेनर के उपयोग हेतु निर्धारित किया गया है;

(11) "संदूषण" से अभिप्रेत है किसी मनुष्य या पशु के शरीर पर, उपभोग के लिए तैयार किसी उत्पाद में या उस पर अथवा विमान या परिवहन सहित अन्य निर्जीव वस्तु पर किसी संक्रामक या विषाक्त तत्व या वस्तु की उपस्थिति जो जन स्वास्थ्य हेतु जोखिम का कारक हो सकता है;

(12) "कर्मी दल" से अभिप्रेत है विमान पर ड्यूटी हेतु तैनात विमान या परिवहन के कार्मिक;

(13) "संदूषण से मुक्त करने" से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें किसी मनुष्य या पशु के शरीर पर, उपभोग के लिए तैयार किसी उत्पाद में या उस पर अथवा विमान या परिवहन सहित अन्य निर्जीव वस्तु पर किसी संक्रामक या विषाक्त तत्व या वस्तु की उपस्थिति जो जन स्वास्थ्य हेतु जोखिम का कारक हो सकता है, को हटाने के लिए स्वास्थ्य उपाय किए जाते हैं;

(14) "प्रस्थान" व्यक्तियों, सामान, परिवहन, कार्गो, विमान या परिवहन, पोस्टल पार्सल या माल का देश से प्रस्थान अभिप्रेत है;

(15) "नामित वायुपत्तन" से ऐसा वायुपत्तन अभिप्रेत है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम, 2005 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया गया है;

(16) "रोग" से ऐसी बीमारी या चिकित्सीय अवस्था, चाहे उनका मूल अथवा स्रोत कुछ भी हो, अभिप्रेत है जिनसे मनुष्य को हानि हो सकती है;

(17) "विसंक्रमण" से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें किसी मनुष्य या पशु के शरीर पर या सामान, कार्गो, कंटेनर, विमान या परिवहन, सुविधा, माल और पोस्टल पार्सल में या पर रासायनिक या भौतिक कारकों के प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा संक्रामक वस्तु को नियंत्रित या समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य उपाय किए जाते हैं;

(18) "कीट नाशन" से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें सामान, कार्गो, कंटेनर, विमान या परिवहन, सुविधा, माल और पोस्टल पार्सल में उपस्थित कीटों को नियंत्रित या समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य उपाय किए जाते हैं;

(19) "घटना" से अभिप्रेत है किसी रोग की घोषणा या कोई घटना जिससे रोग की संभावना उत्पन्न होती हो;

(20) "अनुमति (फ्री प्रैटीक)" से अभिप्रेत है, विमान को उड़ाने या उतारने, कार्गो उतारने या चढ़ाने या उसका भण्डारण करने के लिए लैंड करने के पश्चात् विमान को अनुमति प्रदान करना;

(21) "माल" से अभिप्रेत है पशुओं और पादपों सहित ऐसे वास्तविक उत्पाद जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय विमान से हस्तांतरित किया जाता है, इसमें विमान या परिवहन पर उपयोग किए जाने वाले सामान भी शामिल हैं;

(22) "स्वास्थ्य उपाय" से ऐसी प्रक्रियाएं अभिप्रेत हैं जिन्हें रोग या संदूषण के प्रसार को रोकने के लिए लागू किया जाता है तथा इसमें सुरक्षा उपाय शामिल नहीं होंगे;

(23) "संक्रमित क्षेत्र" से निम्नलिखित अभिप्रेत है –

(i) पीत ज्वर रोग, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस संबंध में घोषित कोई क्षेत्र;

(ii) अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जन स्वास्थ्य आपातकालीन स्थिति, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस संबंध में घोषित कोई क्षेत्र या राष्ट्रीय आईएचआर फोकल प्वाइंट;

(24) "संक्रमित व्यक्ति" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो पीत ज्वर से पीड़ित हो अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जन स्वास्थ्य आपातकालीन स्थिति हो अथवा ऐसे किसी रोग से उस व्यक्ति के संक्रमित होने की संभावना हो;

(25) "रोगी व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी ऐसे शारीरिक रोग से पीड़ित अथवा प्रभावित है जिससे जन स्वास्थ्य जोखिम की संभावना हो सकती है;

(26) "संक्रमण" से अभिप्रेत है मनुष्यों और पशुओं के शरीर में किसी संक्रामक तत्व का प्रवेश और विकास अथवा विस्तार जिससे जन स्वास्थ्य जोखिम की संभावना हो सकती है;

(27) "निरीक्षण" से वायुपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संगत आंकड़ों और दस्तावेजों सहित क्षेत्र, सामान, कंटेनर, विमान या परिवहन, सुविधा केन्द्र, माल या पोस्टल पार्सल की जांच अभिप्रेत है, ताकि पता लगाया जा सके कि क्या कोई जन स्वास्थ्य जोखिम हो सकता है;

(28) "आईएचआर" से अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम अभिप्रेत है;

(29) "अंतर्राष्ट्रीय उड़ान" से ऐसी उड़ान अभिप्रेत है जिसका प्रस्थान का स्थान और गंतव्य का स्थान दो या अधिक देशों के क्षेत्र में स्थित है;

(30) "इन्वेसिव" से अभिप्रेत है त्वचा में छेद करना या उसे काटना अथवा शरीर में किसी उपकरण या बाह्य सामग्री का प्रवेश कराना या शरीर के किसी खाली स्थान की जांच करना और इसमें कान, नाक और मुंह का चिकित्सीय परीक्षण, कान, ओरल या त्वचा के थर्मामीटर का उपयोग करते हुए तापमान का आकलन अथवा थर्मल इमेजिंग शामिल नहीं होगा; चिकित्सीय परीक्षण; हृदयगति परीक्षा; बाह्य स्पर्श द्वारा परीक्षा; मूत्र, मल अथवा लार के नमूनों का बाह्य रूप से संग्रहण; रक्तचाप का बाह्य मापन; और इलैक्ट्रो-कार्डियोग्राफी;

(31) "पृथक्करण" से अभिप्रेत है रोगी या संक्रमित व्यक्तियों या प्रभावित सामान, कंटेनर, विमान या परिवहन, सुविधा केन्द्र, माल या पोस्टल पार्सल को इस प्रकार अन्य से पृथक करना जिससे संक्रमण या संदूषण के फैलाव को रोका जा सके;

(32) "राष्ट्रीय आईएचआर फोकल प्वाइंट" से अभिप्रेत है एक राष्ट्रीय केन्द्र जिसे इन नियमों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया गया है;

(33) "चिकित्सा जांच" से अभिप्रेत है व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति और जन स्वास्थ्य के जोखिम की संभावना का पता लगाने के लिए किसी प्राधिकृत स्वास्थ्य कार्यकर्ता या वायुपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी की निगरानी में किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्ति की प्राथमिक जांच करना और इसमें स्वास्थ्य दस्तावेजों की जांच और किसी मामले में परिस्थितियों के अनुसार शारीरिक जांच शामिल है;

(34) "पायलट-इन-कमांड" से ऐसा पायलट अभिप्रेत है जिसे वाणिज्यिक प्रचालन हेतु कमांड तथा उड़ान के सुरक्षित प्रचालन के प्रभारी के तौर पर प्रचालक द्वारा नामित किया गया हो;

(35) "प्रवेश का बिन्दु" से अभिप्रेत है व्यक्तियों, सामान, कार्गो, कंटेनर, विमान या परिवहन, सुविधा केन्द्र, माल और पोस्टल पार्सल के अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश या निर्गम हेतु ऐसा मार्ग जो उनको प्रवेश या निर्गम की सेवा प्रदान कर रहा है;

(36) "इन्क्यूबेशन की अवधि" से अभिप्रेत है –

(i) पीत ज्वर के संबंध में यह 6 दिन होगा; तथा

(ii) अन्य रोगों के संबंध में ऐसी अवधि वही होगी, जो केन्द्र सरकार द्वारा घोषित की जाएगी;

(37) "अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जन स्वास्थ्य आपातकालीन स्थिति" से अभिप्रेत है ऐसी असामान्य घटना जिसके कारण–

(i) रोग के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार के माध्यम से देश और अन्य देशों को किसी जन स्वास्थ्य जोखिम की संभावना; और

(ii) एक समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता;

(38) "जन स्वास्थ्य जोखिम" से अभिप्रेत है किसी घटना के होने की संभावना जिससे मानव जनसंख्या के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें ऐसी घटना पर बल दिया जाएगा जिसके अंतर्राष्ट्रीय प्रसार की संभावना है अथवा जिससे गंभीर और प्रत्यक्ष खतरा हो सकता है;

(39) "संगरोधन (क्वारन्टाइन)" क्वारन्टाइन से अभिप्रेत है गतिविधियों पर निषेध और, अथवा ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों को जो रोगी नहीं हैं, से अथवा ऐसे संदिग्ध सामान, कार्गो, कंटेनर, विमान या परिवहन, सुविधा केन्द्र, माल अथवा पोस्टल पार्सल को अन्य से इस प्रकार अलग करना कि संक्रमण या संदूषण के संभव प्रसार को रोका जा सके;

(40) "निगरानी" से अभिप्रेत है आंकड़ों का व्यवस्थित संग्रहण, परितुलन और विश्लेषण तथा आकलन व जन स्वास्थ्य अनुक्रिया हेतु जन स्वास्थ्य सूचना का समय पर प्रसार, जैसा कि जन स्वास्थ्य हेतु आवश्यक समझा जाए;

(41) "संदिग्ध" से अभिप्रेत है ऐसे व्यक्ति, सामान, कार्गो, कंटेनर, विमान या परिवहन, सुविधा केन्द्र, माल और पोस्टल पार्सल जिनके संबंध में वायुपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जन स्वास्थ्य जोखिम के संपर्क में आने या संपर्क में आने की संभावना व्यक्त की गई हो और जो रोग के प्रसार का संभव स्रोत हो सकते हैं;

(42) "यात्री" से कर्मीदल सहित ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर जा रहे हों;

(43) "वेक्टर" से ऐसे कीट या अन्य पशु अभिप्रेत हैं जो सामान्यत: किसी संक्रामक एजेन्ट का वाहक है जो कि जन स्वास्थ्य जोखिम का कारण हो सकता है;

भाग II – जन स्वास्थ्य अनुक्रिया

3. केन्द्र सरकार के कार्य – (1) केन्द्र सरकार इन विनियमों के तहत स्वास्थ्य उपायों के क्रियान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय आईएचआर फोकल प्वाइंट नामित करेगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जन स्वास्थ्य की आपातकालीन स्थिति की घटनाओं के संबंध में अधिसूचना जारी करेगी तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जन स्वास्थ्य की आपातकालीन स्थिति की ऐसी घटना या किसी अन्य संक्रामक रोग से निपटने के लिए एक कार्यदल का गठन करेगी।

(2) उप विनियम(1) के तहत नामित राष्ट्रीय आईएचआर फोकल प्वाइंट निम्नलिखित कार्य करेगा –

(क) देश के भीतर जन स्वास्थ्य अनुक्रिया का समन्वय;

(ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नामित संपर्क बिन्दु को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जन स्वास्थ्य की आपातकालीन स्थिति की घटना की रिपोर्ट देना; और

(ग) निगरानी और रिपोर्टिंग, प्रवेश के बिन्दु, जन स्वास्थ्य सेवाएं, क्लीनिक और अस्पतालों से संबंधित सरकारी विभागों को सूचना देना और उनसे प्राप्त इनपुट का समेकन करना।

4. वायुपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी की भूमिका – वायुपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी के निम्नलिखित कार्य होंगे, -

(क) वायुपत्तन पर जन स्वास्थ्य उपायों की निगरानी तथा उनके अनुप्रयोग के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें यदि आवश्यक हो तो यात्रियों की स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा परीक्षण शामिल है; तथा सामान, कार्गो, कंटेनर, विमान या परिवहन, सुविधा केन्द्र, माल और पोस्टल पार्सल, मनुष्य के अवशेष तथा संगत दस्तावेज का निरीक्षण, जब भी आवश्यक हो, करना;

(ख) संबंधित एजेंसी की निगरानी और समन्वय करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यात्रियों द्वारा उपयोग की जाने वाली सुविधाओं को स्वच्छ और साफ स्थिति में बनाए रखा जाए जिनमें पेयजल की आपूर्ति, पब्लिक वॉशरूम, तरल और ठोस अपशिष्ट के उचित निपटान की सुविधा शामिल है तथा आवधिक निरीक्षण के माध्यम से इन्हें वेक्टर सहित संक्रमण और संदूषण के स्रोतों से मुक्त रखना;

(ग) सामान, कार्गो, कंटेनर, विमान या परिवहन, सुविधा केन्द्र, माल और पोस्टल पार्सल तथा मनुष्य के अवशेष के विसंक्रमण, कृमिमुक्त और संदूषण रहित करने के लिए संबंधित एजेंसी को तकनीकी दिशा-निर्देश प्रदान करना तथा उनकी निगरानी करना;

(घ) विमान और वायुपत्तन परिसर से किसी संदूषित जल, खाद्य पदार्थ, मानव या पशु अवशेष या मल, बेकार पानी या किसी अन्य संदूषण की सामग्री को हटाने तथा उनके सुरक्षित निपटान के लिए संबंधित एजेंसी को तकनीकी दिशा-निर्देश प्रदान करना;

(ड.) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जन स्वास्थ्य की आपातकालीन स्थिति की घटना और किसी अन्य संक्रामक रोग से निपटने के लिए प्रभावी आपातकालीन योजना बनाना तथा निवारक उपाय करने के लिए विमान अथवा परिवहन प्रचालक को निर्देश देना;

(च) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जन स्वास्थ्य की आपातकालीन स्थिति की घटना और इससे निपटने के उपायों के संबंध में वायुपत्तन पर स्थित संबंधित एजेंसियों को सूचना प्रेषित करना;

(छ) संगत निगरानी गतिविधियों, संभाव्य जन स्वास्थ्य जोखिम तथा जन स्वास्थ्य उपायों के संबंध में राष्ट्रीय आईएचआर फोकल प्वाइंट को यथाशीघ्र सूचना प्रेषित करना;

(ज) रोग की संभावना उत्पन्न करने वाले एजेंट, जिनसे वायुपत्तन परिसर में संदूषण हो सकता है, की निगरानी और नियंत्रण के सभी व्यवहार्य उपाय लागू करना;

(झ) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जन स्वास्थ्य की आपातकालीन स्थिति की घटना होने पर केन्द्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार वायुपत्तन पर अतिरिक्त स्वास्थ्य उपायों का समन्वय करना;

(ण) यदि प्रभावित क्षेत्र में लागू किए गए उपायों के संबंध में प्रमाण सहित ऐसे संकेत या साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि उसके प्रयास असफल रहे, तब यात्रियों, विमान या कार्गो, कंटेनर, परिवहन, माल, पोस्टल पार्सल और प्रभावित क्षेत्र से आने वाले मनुष्य के अवशेषों हेतु अतिरिक्त स्वास्थ्य उपायों को लागू करने पर विचार करना;

भाग III – आगमन

5. आने वाले विमान हेतु सामान्य प्रावधान - (1) इन नियमों के तहत किए गए प्रावधान के सिवाय, विमान को जन स्वास्थ्य कारणों से *अनुमति (फ्री प्रैटीक़)* देने से मना नहीं किया जाएगा।

(2) कोई एयरलाइन, कंपनी अथवा उनकी ओर से विमान का प्रचालन करने वाला कोई एजेंट जो भारत में किसी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान से संबद्ध है, निम्नलिखित उपलब्ध कराएगा –

(क) आगमन से पूर्व यात्रियों की सूची तथा विमान पर उनकी बीमारी अथवा मृत्यु के संबंध में सूचना तथा विमान पर लागू किसी स्वास्थ्य उपाय के संबंध में सूचना;

(ख) आगमन पर, अनुलग्नक-5 पर दी गई विमान संबंधी साधारण घोषणा को भरकर तथा हस्ताक्षर करके उपलब्ध कराएगा।

(3) पारगमन के समय कोई विमान वायुपत्तन के किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित होगा और आरोहण, अवरोहण, लदान, उतराई तथा डिस्चार्ज की अनुमति नहीं दी जाएगी :

बशर्ते कि ऐसे विमान को ईधन, जल, भोजन और दवाइयां लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी की निगरानी में अनुमति दी गई हो।

(4) जब वायुपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी को इस बात का विश्वास हो कि सामान, कार्गो, कंटेनर, विमान या परिवहन, सुविधा केन्द्र, माल और पोस्टल पार्सल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जन स्वास्थ्य की आपातकालीन स्थिति वाले संक्रमण से संदूषित हो गए हैं अथवा ऐसे किसी रोग के प्रसार के लिए एक वाहक के तौर पर कार्य कर सकते हैं तब ऐसे सामान, कार्गो, कंटेनर, विमान या परिवहन, सुविधा केन्द्र, माल और पोस्टल पार्सल को इन नियमों के तहत निर्धारित स्वास्थ्य उपायों के अधीन रखा जाएगा।

(5) डाक, समाचार पत्र, किताबों और अन्य मुद्रित सामग्री को सामान्यत: किसी स्वच्छता उपाय के अधीन नहीं रखा जाएगा।

(6) खाद्य पदार्थों और जीव-जन्तुओं से संबंधित कार्गो पर नियम-13 के तहत निर्धारित प्रावधान लागू होंगे।

(7) वायुपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अनापत्ति दिए जाने के समय तक खतरनाक सामग्री वाले कार्गो को सख्त निरीक्षण उपायों के अधीन रखा जाएगा :

बशर्ते कि प्रयोगशाला नमूनों, रक्त, रक्त उत्पादों तथा जीवनरक्षक औषधियों को निरीक्षण से छूट दी गई हो।

6. जन स्वास्थ्य आपातकालीन स्थिति के दौरान स्वास्थ्य उपाय – (1) किसी विमान में जिसमें कोई संक्रमित व्यक्ति (जीवित या मृत) हो, तो –

(i) उसे गंतव्य के वायुपत्तन के अलावा किसी वायुपत्तन पर उतारना अपेक्षित होगा ;

(ii) अनुमति (फ्री प्रैटीक़) देने से पहले निरीक्षण किया जाएगा और यदि विमान पर संक्रमण या संदूषण का स्रोत पाया जाता है तो वायुपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी आवश्यक विसंक्रमण, संदूषण रहित, कृमि रहित अथवा संक्रमण या संदूषण के प्रसार को रोकने के लिए किए जाने वाले किसी अन्य उपाय को लागू कर सकता है ; तथा

(iii) यदि परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित हो तो, वायुपत्तन के किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित कर सकता है और आरोहण, अवरोहण, लदान, उतराई तथा डिस्चार्ज की अनुमति तभी दी जाएगी, जब वायुपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी किए गए स्वास्थ्य उपायों से संतुष्ट होगा :

बशर्ते कि ऐसे विमान को ईधन, जल, भोजन और दवाइयां लेने के लिए वायुपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी की निगरानी में अनुमति दी गई हो।

(2) किसी विमान को यदि देश के किसी वायुपत्तन से अनापत्ति प्रदान कर दी गई हो, तो यह माना जाएगा कि ऐसी अनापत्ति देश के अन्य सभी वायुपत्तनों के लिए प्रदान कर दी गई है, बशर्ते कि यात्रा के दौरान कोई स्वास्थ्य संबंधी प्रतिकूल घटना न हो जाए।

(3) आगमन के तत्काल बाद और अवरोहण से पहले वायुपत्तन का पायलट-इन-कमांड वायुपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी को निम्नलिखित सूचना प्रदान करेगा, नामत: -

(i) अनुलग्नक-5 में निर्धारित सामान्य घोषणा का प्रपत्र ;

(ii) स्वैच्छिक स्वास्थ्य प्रपत्र (जब लागू हो);

(iii) यात्री का गंतव्य स्थान, दूरभाष सं. तथा पता ताकि यात्री से संपर्क किया जा सके ;

(iv) यात्रियों की सूची ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आगमन से पूर्व संक्रमण या संदूषण वाले किसी प्रभावित क्षेत्र में या उसके निकट या अन्य संभव संपर्क वाले क्षेत्र में कोई यात्रा की गई थी। इसके साथ-साथ यात्रियों के स्वास्थ्य दस्तावेजों की समीक्षा, यदि वे अपेक्षित हों ;

(v) विमान की कॉन्फिगरेशन, कार्गो की सूची, यात्रियों की सीट सं. तथा अन्य ऐसे ब्यौरे जिससे यात्रियों और कर्मीदल की चिकित्सा जांच, यदि आवश्यक हो तो, में सहायता मिले।

(4) विमान जिसे प्रभावित माना गया है, को ऐसा तब तक माना जाएगा, जब तक कि वायुपत्तन अधिकारी निम्नलिखित बातों के संबंध में संतुष्ट न हो जाए –

(i) इन नियमों के तहत निर्धारित उपायों का प्रभावी रूप से पालन किया गया है ; और

(ii) विमान पर ऐसी स्थिति नहीं है जो जन स्वास्थ्य जोखिम का कारक हो सकता है।

(5) इन नियमों के अनुसरण में किए गए स्वास्थ्य उपाय बिना किसी देरी के पूरे किए जाएं और पारदर्शी तथा बिना किसी भेदभाव के लागू किए जाएं।

7. जन स्वास्थ्य आपातस्थिति के दौरान अतिरिक्त स्वास्थ्य उपाय –

वायुपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी –

(क) से अपेक्षा होगी कि वह सभी यात्रियों की कम-से-कम दख़ल देने वाली या इन्वेसिव चिकित्सा जांच करे ताकि जन स्वास्थ्य लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके ;

(ख) किसी संक्रमित या प्रभावित या संदिग्ध यात्री को ऐसी अवधि के लिए पृथक रखेगा, जितना वह आवश्यक समझता है ;

(ग) से अपेक्षा होगी कि वह संक्रमण से संपर्क में आने वाले यात्री को, यदि वे विमान से उतरते हैं, उस अवधि के लिए पृथक या संगरोधन या निगरानी में रखेगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जन स्वास्थ्य की आपातकालीन स्थिति वाले संक्रमण जिससे कि यात्री प्रभावित है, के इन्क्यूबेशन की अवधि से अधिक नहीं होगी, संक्रमण से आखिरी बार संपर्क में आने के समय से ऐसी अवधि की गणना की जाएगी ;

(घ) को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सिफारिश किए गए टीकों या अन्य प्रोफिलेक्सिस से संबंधित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी ;

(ङ) पृथक्करण, संगरोधन और प्रोफिलेक्सिस सहित रोग के प्रसार की रोकथाम या नियंत्रण के अतिरिक्त उपायों को लागू करेगा अथवा यदि आवश्यक हुआ, तो यात्री को जन स्वास्थ्य निगरानी में रखेगा ; और

(च) द्वारा या तो यात्री की प्रयोगशाला जांच सहित चिकित्सा जांच की जाएगी और ऐसे किसी जोखिम पर नियंत्रण के लिए जितनी आवश्यकता है, उतने जन स्वास्थ्य उपाय किए जाएंगे अथवा प्रवेश देने से मना किया जाएगा, जैसा भी उचित पाया जाएगा, यदि इस बात के पर्याप्त आधार होंगे कि इससे आने वाले समय में जन स्वास्थ्य जोखिम की संभावना है।

8. विशेष परिस्थितियां – (1) यदि कोई विमान स्वास्थ्य कारणों से किसी ऐसे वायुपत्तन पर उतरता है, जो कि निर्धारित वायुपत्तन से अलग है, तो निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे –

(i) विमान का पायलट-इन-कमांड बिना किसी देरी के आपातकालीन लैंडिंग के संबंध में निकटतम वायुपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी को सूचना देने का पूरा प्रयास करेगा ;

(ii) जैसे ही वायुपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी को लैंडिंग के संबंध में सूचना दी जाती है, वह इन नियमों में निर्धारित स्वास्थ्य उपायों अथवा किन्हीं अन्य स्वास्थ्य उपायों को लागू करेगा, जैसा वह उचित समझेगा ;

(iii) विमान से किसी यात्री को उतरने की अनुमति नहीं दी जाएगी और कोई कार्गो वहां से नहीं हटाया जाएगा, जब तक कि आपातकालीन स्थिति की आवश्यकता के अनुसार वायुपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा ऐसा प्राधिकृत किया जाए।

(2) जब वायुपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अपेक्षित सभी स्वास्थ्य उपाय कर लिए जाएंगे, तब विमान को वायुपत्तन की ओर आगे जाने की अनुमति दी जाएगी।

9. पृथक्करण और संगरोधन सुविधाएं – (1) केन्द्र सरकार नामित वायुपत्तन पर यात्रियों के पृथक्करण और संगरोधन हेतु उचित व्यवस्था करेगी, जैसा कि इस बारे में अधिसूचित किया जाएगा।

(2) ऐसे अन्य वायुपत्तनों के मामले में जहां पृथक्करण और संगरोधन की उचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, वायुपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित एयरलाइन के माध्यम से यात्रियों को नामित वायुपत्तन पर भेजा जाएगा।

(3) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जन स्वास्थ्य की आपातकालीन स्थिति वाले संक्रमण से ग्रस्त यात्रियों का उपचार केन्द्र सरकार द्वारा अथवा केन्द्र सरकार के परामर्श से किसी राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार निर्धारित अस्पतालों में नि:शुल्क रूप से किया जाएगा।

(4) किसी व्यक्ति, जिसे उतारे जाने या जिसके किसी अवधि के लिए पृथक किए जाने की अपेक्षा होगी, को किसी चिह्नित अस्पताल में ले जाया जाएगा, जहां यथा-अपेक्षित अवधि तक उसे रोककर रखा जाएगा।

(5) ऐसे व्यक्ति जिन्हें रोग के कारण पृथक रखा गया है, को विशेष परिस्थितियों में वायुपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी के विवेकानुसार पृथक्करण अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपनी यात्रा जारी रखने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि अन्य यात्रियों और कर्मी दल के स्वास्थ्य के सुरक्षोपाय हेतु उपाय किए गए हों।

भाग IV – प्रस्थान

10. प्रस्थान से पूर्व सामान्य प्रावधान – (1) इस भाग के प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर भारत से उड़ने वाले सभी विमानों पर लागू होंगे।

(2) वायुपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी व्यक्ति से यात्रा से बचने का अनुरोध कर सकता है अथवा यदि आवश्यक हो, किसी विमान पर चढ़ने से रोक सकता है, यदि –

(i) यदि किसी व्यक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जन स्वास्थ्य की आपातकालीन स्थिति वाले संक्रमण के लक्षण नज़र आते हैं ; और

(ii) यदि कोई व्यक्ति जिसके संबंध में वायुपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी को लगता है कि उसके द्वारा संक्रमण के हस्तांतरण की संभावना है क्योंकि उसका किसी ऐसे व्यक्ति से निकट संपर्क रहा है जिसके भीतर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जन स्वास्थ्य की आपातकालीन स्थिति वाले संक्रमण के लक्षण देखे गए हैं,

ताकि अन्य यात्रियों और कर्मी दल के स्वास्थ्य की सुरक्षा की जा सके।

(3) जब कभी वायुपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी को लगता है कि ऐसा करना आवश्यक है तो वह बाहर जाने वाले यात्री की स्वास्थ्य जांच या चिकित्सा जांच कर सकता है और यथा आवश्यक स्वास्थ्य उपाय कर सकता है।

(4) वायुपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी को बाहर जाने वाले यात्रियों से वैध टीकाकरण प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेजों की अपेक्षा होगी।

(5) किसी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में यात्रा कर रहा कोई व्यक्ति, जिसकी निगरानी की जा रही है, को अपनी यात्रा जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है, ऐसे मामले में वायुपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी इस तथ्य को अनुलग्नक-5 के विमान सामान्य घोषणा में दर्ज करेगा।

(6) इस भाग में निहित प्रावधानों के अधीन वायुपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी विमान के उड़ान भरने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जन स्वास्थ्य की आपातकालीन स्थिति वाले संक्रमण हेतु यात्रियों, सामान, कार्गो, कंटेनर, विमान या परिवहन, सुविधा केन्द्र, माल और पोस्टल पार्सल पर स्वास्थ्य उपाय लागू किए गए हैं।

भाग V – वेक्टर नियंत्रण

11. वेक्टर नियंत्रण उपाय – (1) सभी आने वाले विमानों –

(i) से अपेक्षा होगी कि अनुलग्नक-1 में निर्धारित प्रावधानों और अनुलग्नक-4 में विनिर्दिष्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित और विमान हेतु कीटनाशन के संस्तुत उपायों के अनुसार भारत के किसी पत्तन पर उतरने से पूर्व उन्हें कीट रहित किया जाए।

(ii) खण्ड(i) में निहित प्रावधानों के बावजूद यदि पायलट-इन-कमांड प्रमाणित करता है कि विमान –

(क) पिछले 30 दिनों के दौरान अनुलग्नक-6 में विनिर्दिष्ट किसी पीत ज्वर प्रभावित देश में नहीं गया है ; अथवा

(ख) पिछले 30 दिनों के दौरान किसी पीत ज्वर प्रभावित देश में गया है, किन्तु उसके पश्चात् उसका कीटनाशन किया गया है ; और

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर यात्रा नहीं कर रहा है जिसने पिछले 6 दिनों के दौरान पीत ज्वर प्रभावित देश का दौरा किया है ; अथवा

(घ) उसके पास एक वैध अवशिष्ट कीटनाशक स्प्रे का प्रमाण पत्र है, विमान को कीटनाशन की आवश्यकता नहीं होगी ; और

(iii) यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जन स्वास्थ्य की आपातकालीन स्थिति के मामले में वायुपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जैसा आवश्यक समझा जाएगा, अतिरिक्त उपाय के अधीन होगा।

(2) वायुपत्तन पर –

(i) भवन, यात्रियों द्वारा प्रयोग किए गए स्थान को उपयुक्त उपकरण से सुसज्जित किए जाने की आवश्यकता होगी तथा मच्छर, चूहों और ऐसे अन्य कीटों सहित सभी किस्मों के वेक्टर से सार्वजनिक स्थान को मुक्त रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे ;

(ii) किसी क्षेत्र के परिसर में रहने वाला अथवा उसका स्वामी उचित वेक्टररोधी उपाय करने के लिए जिम्मेदार होगा ताकि परिसर को सभी प्रकार के वेक्टर से मुक्त रखा जा सके और वायुपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी वायुपत्तन परिसर के भीतर वेक्टर की स्थिति पर निगरानी रखेगा, ताकि इन नियमों के पालन हेतु वेक्टर की सभी किस्मों से इसे मुक्त रखा जा सके ;

(iii) उपयुक्त उपाय करने के लिए वायुपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय करेगा ताकि परिसर को तथा प्रत्येक वायुपत्तन की परिधि से कम-से-कम 400 मी. की दूरी तक पीत ज्वर के वेक्टर से मुक्त रखा जाए, यदि वेक्टर अधिक दूरी तक मौजूद है तो न्यूनतम दूरी को बढ़ाया जा सकता है।

भाग VI – मृत शरीर से संबंधित प्रावधान

12. मृत शरीरों और भस्मावशेषों को ले जाने से संबंधित विशेष प्रावधान – (1) कोई भी व्यक्ति बिना वायुपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी की पूर्वानुमति के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जन स्वास्थ्य की आपातकालीन स्थिति, पीत ज्वर अथवा केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे किसी अन्य रोग से मृत्यु को प्राप्त हुए व्यक्ति के मृत शरीर या व्यक्ति के अवशेषों को भारत में नहीं लाएगा।

(2) वायुपत्तन प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि विदेश से लाए गए मृत शरीर या मानव अवशेषों को एक अलग निर्धारित स्थान पर रखा जाए तथा मृत शरीर के निपटान के दौरान उचित पेशेवर शिष्टाचार का पालन किया जाए।

(3) प्रेषिती के साथ-साथ प्रचालक, वायुपत्तन पर आगमन से कम-से-कम 12 घंटे पूर्व, मानव के मृत शरीर अथवा अवशेष अथवा दाह-संस्कार के अवशेष को लाने की पूर्व सूचना वायुपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी को देंगे। मृत शरीर की निकासी से संबंधित निर्धारित प्रपत्र अनुलग्नक-7 पर दिया गया है ;

बशर्ते कि भारत में विमान के आगमन से पूर्व उड़ान के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए किसी व्यक्ति के मृत शरीर पर इस नियम के प्रावधान लागू नहीं होते।

(4) विमान का पायलट-इन-कमांड, घटना तथा यदि संभव हो, तो मृत्यु के कारण के संबंध में उस वायुपत्तन के वायुपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी को पूर्व सूचना देगा, जहां भारत में वह उतरना चाहता है। विमान के उतरने पर कोई यात्री या कर्मी दल का सदस्य तब तक विमान से नहीं उतरेगा जब तक वायुपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उपयुक्त स्वास्थ्य उपाय न कर लिए जाएं।

(5) स्वास्थ्य अनापत्ति के लिए भारतीय विमानपत्तन पर आने वाले सभी मानव अवशेषों के साथ निम्नलिखित प्रलेख होने चाहिए:-

(i) शव निकासी के लिए अपेक्षित प्रलेख—

(क) संलेपन प्रमाण-पत्र जिसमें यह उल्लेख हो कि शव अथवा मानव अवशेषों का संलेपन किया गया है और वायुरूद्ध (एयरटाइट) सील किए गए कास्केट(वायुरूद्ध और जलरोधक) में रखा है;

(ख) मृत्यु प्रमाण पत्र अथवा उसकी सत्यापित प्रति समुचित अंगरेजी अनुवाद सहित;

(ग) परेषिती का प्रमाण पत्र अथवा पृष्ठांकन कि कास्केट में शव अथवा मानव अवशेष उसी व्यक्ति के हैं जिसके कागजात विमानपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी को प्रस्तुत किए गए हैं तथा इसमें और कुछ भी नहीं है।

(घ) देश विशेष(जहां मृत्यु हुई) वहां के भारतीय राजनयिक प्रतिनिधि का मृत्यु प्रमाण पत्र अथवा पृष्ठांकन।

विमानपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी यह ज्ञात करने के उपरांत कि संलग्न प्रलेखों के आधार पर कोई लोक स्वास्थ्य जोखिम नहीं है, उपर्युक्त अपेक्षित प्रलेखों में से किसी की प्रस्तुति के लिए छूट दे सकता है; यदि मृत्यु के कारण का पता नहीं लगाया जा सकता है(जहाज पर मृत्यु होने की स्थिति में), नियमानुसार शव को शव-परीक्षा के लिए भेजा जाएगा।

(ङ) यदि मृत्यु रसायन, विकिरण जोखिम, परमाणु, भोजन संबद्ध घटना के कारण हुई हो, तब इस से संबंधित आवश्यक दस्तावेज़ भी प्राप्त किए जाएं।

(ii) डूबने अथवा जलने के कारण मृत्यु होने की स्थिति में जब शव अथवा मानव अवशेषों का संलेपन नहीं किया गया हो तब इन्हें वायुरूद्ध सील किए गए पात्र या डिब्बे में पैक किया जाएगा। संलेपन रहित मानव अवशेषों की वायुयान (खतरनाक माल का परिवहन) नियम, 2003 तथा वायुयान नियम, 1937 के प्रावधानों के अनुसार विमानपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी की अपेक्षाओं के अनुसार अतिरिक्त पैकिंग की जाएगी।

(iii) यदि शव अथवा मानव अवशेषों का समुचित अंतिम संस्कार किया गया है, राख को वायुरूद्ध सील किए गए पात्र अथवा ऐसे ही डिब्बे में रखा जाएगा।

(iv) अंतिम संस्कार न किए गए अवशेषों की स्थिति में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी , अर्थात:--

(क) जहां ताबूत को खोद कर निकाला गया है और जांच के दौरान शव अक्षत, ठीक और दुर्गन्ध रहित पाया जाता है, इसे ज़िंक या टिन लाइन वाले लकड़ी के वायुरूद्ध बक्से में सील बंद किया जाए जिसमें कार्बालिक पाउडर युक्त लकड़ी का बुरादा भरा हो;

(ख) जहां ताबूत को खोद कर निकाला गया है और जांच के दौरान यह अक्षत नहीं पाया जाता है और दुर्गन्ध रहित भी नहीं है, इसकी अंतर्वस्तु को उपर्यक्त परंतुक (क) की अपेक्षाओं के अनुसार कार्रवाई की जाए।

(v) इन नियमों के प्रावधानों की शर्ताधीन शव अथवा मानव अवशेषों अथवा अंतिम संस्कार की अवशिष्ट राख का पैकेज जो भारत से होकर ले जाया जा रहा है, उस पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी बशर्ते कि उसे इन नियमों के अधीन विहित किए अनुसार किया गया है अथवा विमानपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी की मान्यता के अनुसार उस रीति से पैक किया गया है जो उतना ही संतोषजनक है।

(vi) ऐसे संक्रामक रोगों से मृत्यु होने की स्थिति में जिन्हें भारत में रिपोर्ट नहीं किया गया है जैसे कि विषाणुजनित रक्तस्रावी ज्वर (लासा,मारबर्ग,ईबोला, कांगो,क्रिमीन)एवियन इन्फल्यूंजा और गहन तीव्र श्वसन सिंडरोम अथवा अन्य एकाकी या अभी तक जिन्हें कोई नाम नहीं दिया गया है, विमानपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी बाहर से लाए ऐसे मानव अवशेषों पर रोक लगा सकता है। जबकि सामान्यता ऐसी रोक नहीं लगाई जाती है, स्वास्थ्य अधिकारी, मामलेवार, केंद्र सरकार के अनुमोदन से ऐसा

करने का अधिकार रखता है। ऐसे शवों के लिए अनुमति देने की स्थिति में, स्थानीय पुलिस की सहायता से, विमानपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी के पर्यवेक्षण में इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

(vii) शव अथवा मानव अवशेषों अथवा अंतिम संस्कार की अवशिष्ट राख के पैकेज को पारगमन के दौरान खोला नहीं जाएगा और आगमन के समय समुचित सीलबंद रहेगा। इसे विमानपत्तन की परिसीमा से तब तक हटाया नहीं जाएगा जब तक कि विमानपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी लिखित रूप में इसकी अनुमति नहीं दे देता।

(viii) यदि मृत्यु रसायन, विकिरण जोखिम, परमाणु, भोजन संबद्ध घटना के कारण हुई हो, शव अथवा मानव अवशेषों अथवा अंतिम संस्कार की अवशिष्ट राख के पैकेज को पारगमन के दौरान खोला नहीं जाएगा और आगमन के समय ठीक प्रकार से सीलबंद स्थिति में होगा। इसे विमानपत्तन की परिसीमा से तब तक हटाया नहीं जाएगा जब तक कि विमानपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी लिखितमें इसकी अनुमति नहीं दे देता।

भाग-VII--खाद्य स्वच्छता और सुरक्षा

13. खाद्य स्वच्छता अपेक्षाएं – (1) विमानपत्तन में सभी आहार आउटलेट अथवा उड़ान पाकशालाएं खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के उपबंधों के अधीन विमानपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा लाइसेंस प्रदत्त होंगे।

(2)विमानपत्तन अथवा वायुयान में दिया जा रहा पेयजल और भोजन स्वच्छ हालत में रखा जाएगा। सेवा प्रदाता स्रोत पर ही पेय जल की गुणवत्ता की अधिदेशात्मक सूक्ष्म जैविक जांच सुनिश्चित करेगा और नियमित रूप से विमानपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। विमानपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी पानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसी रिपोर्टों का सत्यापन करेगा।

(3) विमानपत्तन परिसर के बाहर से भोजन के आपूर्तिकर्त्ता, अउटलेट के संबंधित नामित अधिकारी की खाद्य सुरक्षा लाइसेंस की प्रतिलिपि विमानपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। विमानपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी तथापि वायुयान, विमानपत्तन अथवा विमानपत्तन के परिसर के अउटलेट में परोसे जाने वाले तैयार भोज्य पदार्थों का पर्यवेक्षण करेगा ।

(4) सभी भोजन वितरक कार्मिकों को आवधिक स्वास्थ्य परीक्षा करवानी होगी।

(5) विमानपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी, विमानपत्तन परिसर में वायुयान पाकशालाओं और सभी खाद्य पदार्थ स्थापनाओं में तथा वायुयान के भीतर परोसे जाने वाले भोजन सहित, में स्वच्छता का पर्यवेक्षण करेगा।

(6) विमानपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी, अस्वच्छ, अपमिश्रित और मानव उपभोग के लिए असुरक्षित पाए जाने वाले भोजन को त्यागने के साथ ही ऐसी खाद्य स्थापना और पेय जल स्रोत को बंद करने के आदेश देगा।

भाग-VIII—पीत ज्वर रोग के लिए विशेष उपबंध

14. स्वास्थ्य उपाय-- (1) यात्री जो पीत ज्वर प्रभावित देश में गया है अथवा उस से होकर गुजरा है और ऐसे देश से प्रस्थान के छ: दिनों के भीतर भारत आया है, उसके पास पीत ज्वर के टीके का वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसके न होने पर, उस देश से प्रस्थान की तारीख से अधिकतम छ: दिन के लिए, उसे संगरूद्ध (संगरोध केंद्र में) रखा जाएगा। परिशिष्ट 2 मे यथाउल्लिखित,पीत ज्वर टीके से छूट के बाद सम्यक संगरोध अवधि के बाद प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

(2) सभी संगरूद्ध यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन, जहां यात्री आया है, इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध करवाए गए मच्छर रहित या फिर समीपस्थ संगरोध केंद्र में, यदि विमानपत्तन पर ऐसी सुविधा न हो, रखा जाएगा। यात्री को संगरोध केंद्र में ले जाने का व्यय स्वयं यात्री द्वारा या फिर संबंधित एयरलाईन्स द्वारा वहन किया जाएगा।

15. पारगमन यात्री के लिए प्रावधान—नियम 14 में किए गए प्रावधान के अनुसार जो यात्री पारगमन में हैं और विमानपत्तन के प्रत्यक्ष पारगमन क्षेत्र में हैं अथवा विमानपत्तन में ऐसा क्षेत्र अभी उपलब्ध नहीं करवाया गया है, विमानपत्तन

स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अलग रखने के लिए कहा गया है, उसके लिए स्वास्थ्य परीक्षा के अलावा कोई स्वास्थ्य उपाय नहीं किए जाएंगे।

भाग-IX— विविध

16. विमानपत्तन परिसर में माल-डिब्बा ढुलाई क्षेत्र –(1) कीटनाशन, विसंक्रमण, शुद्धिकरण तथा अन्य स्वास्थ्य प्रक्रियाएं करवाई जाएंगी ताकि इंजरी और व्यक्तियों की संभावित विकलता अथवा पर्यावरण की हानि से बचा जा सके जिससे लोक स्वास्थ्य प्रभावित न हो अथवा सामान कार्गो, कंटेनर, वायुयान अथवा परिवहन, सुविधाओं, माल और डाक पार्सलों को नुकसान न पहुंचे।

(2) माल डिब्बे के परेषिति और परेषक हर संभव प्रयास करेंगे कि बहुविध ढुलाई करते समय अंत:संदूषण न हो।

(3) माल डिब्बा संचालन के लिए जिम्मेदार सभी इकाइयां सुनिश्चित करेंगी माल-डिब्बा ढुलाई क्षेत्रों में

उनके निरीक्षण और विलगन की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(4)कोई भी स्वच्छता उपाय जो देश के पिछले विमानपत्तन पर वायुयान में किया जा चुका है, दोहराया नहीं जाएगा जब तक कि—

(i) वायुयान के विमानपत्तन से प्रस्थान करने के उपरांत जहां उपाय किया गया था, महामारी जैसी घटना के कारण दोबारा विमानपत्तन अथवा वायुयान में ऐसा उपाय किया जाना है; अथवा

(ii) विमानपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी के आश्वस्त होने के कारण हैं किए गए वैयक्तिक उपाय पर्याप्त प्रभावी नहीं रहे।

(5) पशु-धन के अलावा माल का पारगमन के दौरान स्वास्थ्य उपाय अपेक्षित नहीं होंगे या लोक स्वास्थ्य प्रयोजन के लिए रोके नहीं जाएंगे जब तक कि विमानपत्तन अधिकारी आवश्यक न समझे।

भाग-X— सेवा प्रभार और दर-सूची नियतन

17. सेवाओं के लिए सेवा प्रभार तथा दर-सूची—(1) यात्री से आवास, परिवहन और संगरोध अथवा विलगन अवधि में उपचार के लिए कोई प्रभार नहीं लिए जाएंगे:

और यह कि यात्री भोजन और प्रयुक्त वैयक्तिक आवश्यकताओं के लिए प्रभार का भुगतान करेगा।

(2) विमानपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी निम्नलिखित प्रभार की उगाही नहीं करेगा—

(i) उसके पास उपलब्ध साधनों के अंतर्गत किसी यात्री की स्वास्थ्य की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कोई चिकित्सा जांच अथवा परीक्षण;

(ii) यदि आवश्यक हो तो आगमन और प्रस्थान पर टीकाकरण प्रमाण पत्र जारी करते समय यात्री को कोई टीका दिया जाना।

(3) वायु पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी अनुरोध किए जाने पर निम्नलिखित निःशुल्क रूप से जारी करेगा-

(i) यात्री को ऐसा प्रमाण पत्र जिसमें आगमन या प्रस्थान की तारीख तथा उस पर तथा उसके सामान पर प्रयोग किए गए उपायों का ब्यौरा होगा;

(ii) प्रेषक, प्रेषिती और प्रचालक को एक ऐसा प्रमाण पत्र जिसमें कार्गो पर प्रयोग किए गए उपायों का ब्यौरा होगा।

(4) इन नियमों के तहत यात्रियों पर प्रयोग किए जाने वाली किसी स्वास्थ्य उपाय के लिए जहां प्रभार लगाया जाता है, ऐसे मामले में ऐसे प्रभार समान प्रशुल्क के होंगे और प्रत्येक प्रभार-

(i) प्रदान की गई सेवा की वास्तविक लागत से अधिक नहीं होगा; और

(ii) संबंधित यात्री की राष्ट्रीयता, मूलनिवास अथवा आवास के संबंध में बिना किसी भेदभाव के लगाया जाएगा।

(5) यदि कोई यात्री उसके ऊपर लगाए गए किसी प्रभार को देने से मना करता है अथवा उसका भुगतान नहीं कर पाता तो उसके खिलाफ की जाने वाली किसी काईवाई के संबंध में बिना किसी भेदभाव के यह प्रभार उस विमान के स्वामी से वसूला जाएगा जिसके द्वारा वह व्यक्ति अथवा कर्मी दल का सदस्य आया है।

(6) केन्द्र सरकार इन नियमों के तहत जन स्वास्थ्य उपायों को लागू करने के लिए प्रभार का निर्धारण करेगी, जो कि सरकारी राजपत्र में कम से कम 10 दिन पहले अधिसूचित की जाएगी।

(7) सभी स्वास्थ्य उपाय अनुलग्नक-8 में निर्धारित आचार संबंधी मुद्दों के अनुसार लागू किए जाएंगे।

भाग-XI- अपराध और जुर्माना

18. अपराध और जुर्माना- (1) वायुपत्तन पर सभी यात्री, विमान प्रचालक और एजेंसियां इन नियमों के अनुसरण में वायु पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों और लगाए गए विधि सम्मत सभी उपायों का अनुपालन करेंगे तथा इन नियमों के तहत निर्धारित उत्तरदायित्व को पूरा करने में वायु पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी को सहयोग प्रदान करेंगे।

(2) कोई भी व्यक्ति जो-

(i) किसी प्राधिकृत अधिकारी को उसकी ड्यूटी पूरा करने में अवरोध या बाधा उत्पन्न करता है, अथवा अवरोध या बाधा उत्पन्न करने में सहायता करता है;

(ii) किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किसी विधि सम्मत आदेश का उल्लंघन करता है;

(iii) इन नियमों के तहत अपेक्षित किसी सूचना को प्रदान करने से मना करता है;

(iv) गलत सूचना देता है

इन नियमों के तहत वह एक अपराध करता है।

(3) यदि कोई व्यक्ति इन नियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है, अथवा इन नियमों के अनुसरण में दिए गए किसी आदेश का उल्लंघन करता है, अथवा उनका अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह 6 माह तक की अवधि के कारावास अथवा 10 हजार रूपए तक के जुर्माने अथवा दोनों का भागीदार होगा।

भाग –XII-परिशिष्ट

अनुलग्नक -1

वेक्टरजनित रोगों के लिए विशिष्ट उपाय

1. विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जहां वेक्टर नियंत्रण की सिफारिश की गई है अथवा जहां पीत ज्वर का वेक्टर मौजूद है, उस क्षेत्र से जाने वाले प्रत्येक परिवहन को कीटाणुरहित करके वेक्टरमुक्त बनाया जाएगा। परिवहन में वेक्टर का होना और किए गए नियंत्रक उपाय वायुयान की सामान्य घोषणा के स्वास्थ्य भाग में शामिल किए जाने चाहिए।
2. विमानपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी सुनिश्चित करेगा की विभिन्न एजेंसियां अथवा विमानपत्तन प्रचालक उन वेक्टरों के लिए नियंत्रक उपाय करेगा जो ऐसे संक्रामक एजेंट के वाहक हो सकते हैं जो प्रवेश द्वार के 400 मीटर के न्यूनतम दायरे में लोक स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है। अगर बड़ी रेंज में वेक्टर पाए जाते हैं तो यात्रीगण, परिवहन, मालडिब्बे, कार्गो, डाक पार्सल में संलिप्त प्रवेश सुविधाओं में न्यूनतम दूरी का विस्तार किया जाए । ऐसे उपायों के लिए विमानपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी स्थानीय नगर पालिका एजेंसी तथा अन्य संबंधित एजेंसियों की सहायता ले सकता है।

3. एक परिवहन को वेक्टर के अंदेशे से ग्रस्त माना जा सकता है यदि –

   (क) वेक्टरजनित रोग का संभावित मामला है:

   (ख) अन्तरराष्ट्रीय यात्रा में वेक्टरजनित रोग के होने का संभावित मामला सामने आया है

   (ग) प्रभावित क्षेत्र को समय अवधि के दौरान छोड़ा है जहां हवाई यात्रा में अभी भी वेक्टर रोग का संवाहक हो सकता है।

4. विमानपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी वेक्टर नियंत्रण उपाय के लिए एप्लीकेशन अपेक्षित है अगर पीत ज्वर सहित वेक्टरजनित रोग से प्रभावित क्षेत्र से परिवहन आ रहा है और उक्त रोग के वेक्टर हवाई यात्रा में विद्यमान हो सकते हैं।

5. विमानपत्तन में वायुयान के रूकने के दौरान पायलट-इन-कमॉड, विमानपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की गई सावधानियां बरतेगा ताकि कतरने वाले जानवर वायुयान में न घुस पाएं।

अनुलग्नक -2

टीकाकरण, प्रोफिलेक्सिस और संबंधित प्रमाण-पत्र

1. अनुलग्नक में विनिर्दिष्ट अथवा नियमों में अनुशंसित टीके अथवा प्रोफिलेक्सिस उपयुक्त गुणवत्ता वाले होंगे; वे टीके और प्रोफिलेक्सिस विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नामांकित और इसके अनुमोदन की शर्तांधीन होंगे।

2. टीका अथवा अन्य प्रोफिलेक्सिस लगवाने वाले व्यक्ति को टीकाकरण अथवा प्रोफिलेक्सिस का अन्तरराष्ट्रीय प्रमाण-पत्र (जिसे आगे ''प्रमाण-पत्र'' कहा गया है) परिशिष्ट में निर्दिष्ट फार्म में दिया जाएगा।

3. इस परिशिष्ट के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र तभी वैध होगा जब प्रयुक्त टीका अथवा प्रोफिलेक्सिस विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित हो।

4. प्रमाण-पत्र प्राधिकृत स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता जो टीके और प्रोफिलेक्सिस लगाने का पर्यवेक्षण करता है, द्वारा हस्ताक्षरित हो। प्रमाण-पत्र में प्रशासकीय केन्द्र की कार्यालयी मोहर लगी होनी चाहिए, तथापि इसे हस्ताक्षर का एवजी नहीं माना जाएगा।

5. प्रमाण-पत्र पूर्णतया अंग्रेजी में भरा होना चाहिए।

6. इस प्रमाण-पत्र का कोई भी संशोधन अथवा विलोपन अथवा इसका कोई भाग पूरा न किया होना, इसे अवैध बना देगा।

7. प्रमाण-पत्र वैयक्तिक है और किसी भी परिस्थिति में इसे सामूहिक रूप में जारी नहीं किया जाएगा। बच्चों के लिए अलग से प्रमाण-पत्र जारी किए जाएंगे।

8. जब बच्चा लिख न पाता हो तब माता-पिता अथवा अभिभावक प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। निरक्षर व्यक्ति के हस्ताक्षर सामान्य रीति के अनुसार वैयक्तिक छाप के रूप में होंगे और व्यक्ति विशेष की छाप होने का संकेत अंकित किया जाना चाहिए।

9. पीत ज्वर टीके की छूट संबंधी प्रमाण-पत्र वाले यात्री को अनिवार्य संगरोध अवधि के बाद ही प्रवेश करने दिया जाएगा जैसाकि पीत ज्वर से संबंधित नियमों में व्यवस्था है।

10. सशस्त्र सेना के सक्रिय सदस्य के रूप में जारी प्रलेख को अन्तरराष्ट्रीय प्रमाण-पत्र के सदृश्य स्वीकार किया जाएगा यदि वह अनुलग्नक में दिए गए फार्म में जारी किया हो:

    (क) इसमें स्वास्थ्य सूचना पूर्णतया वही है जैसाकि फार्म में अपेक्षित है;

(ख) इसमें अंग्रेजी अथवा फ्रांसीसी भाषा में विवरण है और जहां उपयुक्त है अंग्रेजी अथवा फ्रांसीसी भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषा में टीके और प्रोफिलेक्सिस की प्रकृति और तरीका अंकित है और यह इस पैरा के अनुसार जारी किया गया है।

टीका या प्रोफिलैक्सिस के अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाणपत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि [नाम].....जन्मतिथि.....लिंग..... राष्ट्रीयता.....राष्ट्रीय पहचान का दस्तावेज, यदि लागू हो.....जिसके हस्ताक्षर हैं.....ने अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों के अनुसार.....(रोग या स्थिति का नाम) के लिए दर्शाई गई तारीख को टीका लगवाया अथवा प्रोफिलैक्सिस प्राप्त किया।

टीका या प्रोफिलैक्सिस	दिनांक	पर्यवेक्षण करने वाले क्लीनिशियन के हस्ताक्षर और पेशेवर स्थिति	टीके या प्रोफिलैक्सिस के विनिर्माता का नाम व बैच संख्या	प्रमाणपत्र.....से .....तक वैध	प्रशासी केन्द्र की आधिकारिक मुहर
1.					
2.					

1. यह प्रमाणपत्र तभी वैध है जब प्रयोग किए गए टीके या प्रोफिलैक्सिस को विश्व स्वास्थ्य संगठन से अनुमोदन प्राप्त हो।
2. यह प्रमाणपत्र क्लीनिशियन से हस्ताक्षरित होना चाहिए, जो कि ऐसा चिकित्सक या अन्य प्राधिकृत स्वास्थ्य कार्यकर्ता होगा, जो टीके या प्रोफिलैक्सिस देने का पर्यवेक्षण कर हो। प्रमाणपत्र पर प्रशासी केन्द्र की आधिकारिक मुहर भी होनी चाहिए; तथापि इसे हस्ताक्षर के प्रतिस्थापन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. इस प्रमाणपत्र में कोई संशोधन अथवा विलोपन अथवा इसके किसी भाग को पूरा करने में असफलता इसे अवैध करार देगी।
4. इस प्रमाणपत्र की वैधता, उस विशेष टीके या प्रोफिलैक्सिस के लिए दर्शाई गई तिथि तक होगी। इस प्रमाणपत्र को संपूर्ण रूप से अंग्रेजी या फ्रेंच में भरा जाएगा। इस प्रमाणपत्र को इसी दस्तावेज में, अंग्रेजी या फ्रेंच के साथ-साथ किसी अन्य भाषा में भी भरा जा सकता है।

अनुलग्नक-3

विशेष रोगों के लिए टीकाकरण या प्रोफिलैक्सिस से संबंधित अपेक्षाएं

1. टीकाकरण या प्रोफिलैक्सिस से संबंधित किसी सिफारिश के अतिरिक्त, निम्नलिखित रोग को विशेष रुप से ऐसा माना गया है, जिनके लिए टीकाकरण या प्रोफिलैक्सिस का प्रमाण प्रस्तुत करने की शर्त पर ही भारत में प्रवेश दिया जाएगा।

<u>पीत ज्वर हेतु टीकाकरण:</u>

2. पीत ज्वर हेतु टीकाकरण के लिए सिफारिशें और अपेक्षाएं:

(क) इस अनुलग्नक हेतु:

(i) पीत ज्वर के उभरने की अवधि 6 दिनों की है;

(ii) डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुमोदित पीत ज्वर का टीका, टीका देने के 10 दिनों के बाद संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है;

(iii) यह सुरक्षा जीवनपर्यंत (पीत ज्वर स्थानिकमारी वाले देशों के निवासियों के मामले में) और 10 वर्ष (पीत ज्वर के गैर-स्थानिक मारी वाले देशों के निवासियों के मामले में) है: और

(iv) पीत ज्वर हेतु टीके के प्रमाण पत्र की वैधता 10 वर्ष की अवधि के लिए होगी, जो कि टीकाकरण तारीख से 10 दिन पश्चात आरंभ होगी अथवा, 10 वर्ष की अवधि के भीतर पुनः टीकाकरण के मामले में पुनः टीकाकरण की तिथि से आरंभ होगी।

(ख) यात्री को किसी ऐसे स्थान से जाते समय, जिसके संबंध में डब्ल्यूएचओ ने निर्धारित किया है कि उस स्थान पर पीत ज्वर हस्तांतरित होने का जोखिम विद्यमान है, पीत ज्वर के लिए टीका प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

(ग) पीत ज्वर के लिए टीका लगे होने के वैध प्रमाण पत्र वाले यात्री को संदिग्ध नहीं माना जाएगा, चाहे वह किसी ऐसे स्थान से आ रहा हो, जिस के संबंध में डब्ल्यूएचओ ने निर्धारित किया है कि उस स्थान पर पीत ज्वर हस्तांतरित होने का जोखिम विद्यमान है।

(घ) देश द्वारा नामित अथवा डब्ल्यू एच ओ द्वारा अधिसूचित पीत ज्वर टीकाकरण केंद्र से जारी पीत ज्वर टीकाकरण प्रमाण पत्र को ही स्वीकार किया जाएगा।

(ङ) यदि किसी यात्री के पास पीत ज्वर के टीकाकरण का ऐसा प्रमाण पत्र है, जो अब वैध नहीं है, तो यात्री को प्रस्थान की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन उसके आगमन पर इस अनुलग्नक के पैरा (च) के प्रावधान लागू होंगे।

(च) ऐसे क्षेत्र से आने वाले यात्री, जिस के संबंध में डब्ल्यूएचओ ने निर्धारित किया है कि उस स्थान पर पीत ज्वर हस्तांतरित होने का जोखिम विद्यमान है, और जो पीत ज्वर के लिए टीकाकरण का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका हो, को तब तक संगरोधन में रखा जाएगा जब तक की उसका प्रमाण पत्र वैध नहीं हो जाता अथवा जब तक संक्रमण के संपर्क में आने की संभावना की तारीख से गिनते हुए, अधिकतम 6 दिनों की अवधि, बीत ना जाए, जो भी पहले हो।

अनुलग्नक 4

विमान के विसंक्रमण के डब्ल्यूएचओ संस्तुत तरीके

अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक सुरक्षा कार्यक्रम (आईपीसीएस) 1995 के अनुसार डब्ल्यूएचओ विसंक्रमण के निम्नलिखित तरीकों की सिफारिश करता है और इन्हें उड़ान के विसंक्रमण के लिए स्वीकार किया जाएगा::

1. ब्लॉक-अवे तरीका

2. उतरने पर तत्काल

3. अवशेष विसंक्रमण

2. प्रक्रिया, विसंक्रामक, रसायन और इसकी वैधता का ब्यौरा डब्ल्यूएचओ द्वारा संस्तुति विशिष्टताओं के अनुसार होगा।

3. आगमन पर वायु पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी को विसंक्रमण का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा, ऐसा करने में असफल रहने पर हवाई पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी के पास विमान को कीटाणु रहित करने के अधिकार सुरक्षित होंगे।

अनुलग्नक 5

स्वास्थ्य के संबंध में सामान्य घोषणा हेतु प्रपत्र

यह दस्तावेज विमान की सामान्य घोषणा का एक भाग है जिसे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन द्वारा परिचालित किया गया है, विमान से संबंधित सामान्य घोषणा का स्वास्थ्य संबंधी

स्वास्थ्य संबंधी घोषणा भाग

उड़ान संबंधित अस्वस्थता और दुर्घटना के प्रभावों के अलावा विमान पर सवार रोग से ग्रस्त व्यक्ति का नाम और सीट संख्या अथवा कार्य, जिसके संचारी रोग (38 डिग्री सेल्सियस/ 100 डिग्री फारेनहाइट या उससे अधिक ताप का ज्वर- जिसके साथ निम्नलिखित चिह्नों अथवा लक्षणों में से कोई एक या अधिक होने पर, उदाहरण के लिए अस्वस्थ महसूस करना; लगातार खांसना; सांस लेने में तकलीफ होना; लगातार दस्त होना; लगातार उल्टी होना; त्वचा पर दाने; पहले से कोई चोट न होने पर भी घाव अथवा रक्तस्राव होना; अथवा हाल में उत्पन्न भ्रम, की स्थिति में व्यक्ति के किसी संचारी रोग से ग्रस्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं) से ग्रस्त होने की संभावना है तथा रोग के ऐसे मामलों में विमान से पिछले स्टॉप पर उतार दिया जाता है..... ....

उड़ान के दौरान कीट रहित करने या स्वच्छता के प्रत्येक उपाय का विवरण (स्थान, तिथि, समय, तरीका)। यदि उड़ान के दौरान कीट रहित करने का कोई उपाय नहीं किया गया है तो, सबसे आखिरी बार कीट रहित किए जाने का ब्यौरा दें ....

समय और तिथि के साथ हस्ताक्षर यदि आवश्यक हो

_____

संबंधित कर्मी दल सदस्य

अनुलग्नक-6

पीत ज्वर प्रकोप से ग्रस्त देशों* की सूची

	अफ्रीका		**दक्षिणी अमेरिका**
1	अंगोला	1	अर्जेंटीना
2	बिनिन	2	बोलिविया
3	बुरकीना फ्रॉसो	3	ब्राजील
4	बुरूंडी	4	कोलम्बिया
5	केमरून	5	इक्वाडोर
6	केन्द्री अफ्ररीकन गणतंत्र	6	फ्रेंच गिनी
7	चॉड	7	गिनी पनामा
8	कांगो	8	गिनी
9	कोट डील्वॉयरी	9	परागुआ
10	प्रजातांत्रिक कांगो गणतंत्र	10	पेरू
11	भू मध्यवर्ती गिनी	11	सुरीनाम

12	इथोपिया	12	ट्रिनिडाड और टोबैगो
13	गाबा	13	वेनेजुएला
14	गाम्बिया		
15	घाना		
16	गिनी		
17	गिनी-बिसायु		
18	केन्या		
19	लाइबेरिया		
20	माली		
21	मॉरिटानिया		
22	नाइजर		
23	नाइजीरिया		
24	रवांडा		
25	सेनेगल		
26	सिएरा लेओन		
27	सूडान		
28	दक्षिणी सूडान		
29	टोगो		
30	युगांडा		

नोट: वर्तमान समय में पीत ज्वर प्रकोप से ग्रस्त अफ्रीका महाद्वीप में 30 देश हैं और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में 13 देश हैं।

* *पीत ज्वर प्रकोप से प्रभावित देशों की सूची विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा समय-समय पर अद्यतन किए जाने के अनुसार होगी।*

अनुलग्नक-7

मृत शरीर की निकासी से संबंधित परिपत्र

GOVERNMENT OF INDIA भारत सरकार

Airport Health Organisation, I.G.I Airport, New Delhi

विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, इंदिरा गांधी अर्न्तराष्ट्रीय विमानपत्तन

टोल ब्रिज के पास, महिपालपुर, नई दिल्ली-110037

NO OBJECTION CERTIFICATE/स्वास्थ्य अनापत्ति प्रमाण-पत्र

S.NO/क्र.सं. ---------- Dated/दिनांक ----------

Certified that the dead body/ashes of Late----------

सत्यापित किया जाता है कि मृत शरीर/मृत शरीर अवशेष दिवंगत श्री/श्रीमती ----------

Bearing passport No----------Age----------Sex----------

पासपोर्ट सं. ----------उम्र----------पुरूष/स्त्री जो कि----------Arrived by

Flight No----------On----------At----------

उड़ान संख्या ----------से----------बजे----------लाया गया।

Who died on date----------at(Place)----------is free from

प्राप्त संबंधित कागजातों के अनुसार मृत्यु का कारण----------

Transmission of diseases. The cause of death as shown in the death certificate

मृत्यु स्थान----------दिनांक----------है।

Is----------

There is no objection from the office to remove the dead body/ashes from the Airport Premises. This certificate does not have any legal bindings.

उपरोक्त मृत शरीर/मृत शरीर अवशेष के इंदिरा गांधी विमानपत्तन से ले जाने हेतु स्वास्थ्य दृष्टि से कोई आपत्ति नहीं है। यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र केवल जन स्वास्थ्य हेतु मान्य है।

Duty Medical.Officer/ड्यूटी स्वास्थ्य अधिकारी

A.P.H.O. Delhi/ए.पी.एच.ओ. दिल्ली

I.G.I. Airport, New Delhi

इंदिरा गांधी अर्न्तराष्ट्रीय विमानपत्तन, नई दिल्ली

अनुलग्नक-8

इन नियमों के अधीन स्वास्थ्य उपायों संबंधी नैतिक मामले

यात्रियों की प्रतिष्ठा, मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता का ध्यान रखते हुए आदरपूर्वक व्यवहार किया जाएगा और तय किया जाएगा कि निम्नलिखित सहित, ऐसे उपायों के कारण किसी प्रकार की असुविधा अथवा परेशानी न होने पाए:

सभी यात्रियों से शालीनता और आदरपूर्वक व्यवहार किया जाएगा;

यात्रियों के लिंग,सामाजिक-सांस्कृतिक, प्रजातीय या धार्मिक आस्था का ध्यान रखा जाएगा;

पर्याप्त भोजन और पानी की व्यवस्था और उपलब्धता, समुचित आवास और वस्त्र, सामान और अन्य माल-असबाब का संरक्षण, उपयुक्त चिकित्सा उपचार, यदि संभव हो तो उस भाषा में जिसे वे समझ सकें उसमें आवश्यक संचार साधन और संगरूद्ध, अलग रखे गए, स्वास्थ्य जांच अथवा अन्य लोक स्वास्थ्य प्रयोजन प्रक्रियाओं के लिए यात्रियों को उपयुक्त सहायता प्रदान की जाएगी।

2. इन नियमों और आईएचआर-2005 के अनुच्छेद 31 के पैरा 1 के अनुसार यदि कोई यात्री जिसके लिए विमानपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी ने स्वास्थ्य परीक्षा, टीकाकरण अथवा अन्य प्राफिलॉक्सिस की अपेक्षा की है, ऐसे उपायों के लिए सहमति देने में विफल रहता है अथवा आईएचआर-2005 के अनुच्छेद 23 के पैरा 1(क) के अनुसार संबंधित विमानपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी को सूचना देने अथवा प्रलेख प्रस्तुत करने से इनकार करता है तब वह आईएचआर-2005 के अनुच्छेद 32, 42 और 45 को दृष्टिगत करते हुए उस यात्री को प्रवेश करने से रोक सकता है। यदि लोक स्वास्थ्य जोखिम के आसन्न प्रमाण हों, विमानपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी, अपने राष्ट्रीय कानून के अनुसार,और जहां तक ऐसे जोखिम को नियंत्रित करना आवश्यक होने की स्थिति में, आईएचआर-2005 के अनुच्छेद 23 के पैरा 3 के अनुसरण में, यात्री को निम्न करवाने के लिए विवश कर सकता है, परामर्श दे सकता है:

(क) लोक स्वास्थ्य उद्देश्य के लिए आवश्यक न्यूनतम आक्रामक और अंतर्वेधी स्वास्थ्य परीक्षा;

(ख) टीकाकरण अथवा अन्य प्राफिलॉक्सिस; अथवा

(ग) पृथकन, संगरोध अथवा यात्री को यात्री को लोक स्वास्थ्य प्रेक्षण में रखने सहित रोग प्रसार की रोकथाम अथवा नियंत्रण के लिए प्रमाणित अतिरिक्त स्वास्थ्य उपाय।

[सं. एल. 21021/18/2012- पी एच(आई एच)/आई एच]

डॉ अरुण कुमार पाण्डा, अतिरिक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2016

G.S.R. 781(E).—The following draft of certain rules which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 8A of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), and in supersession of the Indian Airport (Public Health) Rules, 1954, for information of all the Stakeholders and persons likely to be affected for their comments to be taken into consideration after a period of thirty days from the date on which the draft Rules are published in the Gazette

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government.

Objections or suggestions, if any, may please be submitted to Shri. N Kumara Swamy, Under Secretary (International Health), Ministry of Health & Family Welfare, Room No. 401, D-Wing, Nirman Bhawan, New Delhi-110108, Tele-fax: 23061521, Email: swamynk@gmail.com

DRAFT RULES

PART—I – PRELIMINARY

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Indian Aircraft (Public Health) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— In these rules, unless the context otherwise requires,—

(1) “airport” means any airport declared as such by the Central Government and where international flight arrives or departs;

(2) “airport health officer” means the officer appointed by the Central Government or any other officer appointed by the Central Government to perform the functions as airport health officer;

(3) “aircraft operator” and “pilot-in-command” shall have the same meanings assigned to them as in the Aircraft Rules, 1937;

(4) "affected" means persons, baggage, cargo, containers, aircraft or conveyances, facilities, goods and postal parcels or human remains that are infected or contaminated, or carry sources of infection or contamination, which constitute a public health risk;

(5) "affected area" means a geographical location specifically for which health measures have been recommended under International Health Regulations, 2005;

(6) "arrival" means arrival of persons or conveyances, cargo, aircraft or, goods in the defined area of an airport;

(7) "baggage" means the personal effects of a traveler or of a member of the crew;

(8) "cargo" means goods carried on a aircraft or conveyance;

(9) "container" means an article of transport equipment—

(a) of a permanent character and accordingly strong enough to be suitable for repeated use;

(b) specially designed to facilitate the carriage of goods by one or more modes of transport, without intermediate reloading;

(c) fitted with devices permitting its ready handling, particularly its transfer from one mode of transport to another; and

(d) specially designed as to be easy to fill and empty;

(10) "container loading area" means a place or facility set aside for containers used in international traffic;

(11) "contamination" means the presence of an infectious or toxic agent or matter on a human or animal body surface, in or on a product prepared for consumption or on other inanimate objects, including aircraft or conveyance, that may constitute a public health risk;

(12) "crew" means personnel of aircraft or conveyance employed for duties on board;

(13) "decontamination" means a procedure whereby health measures are taken to eliminate an infectious or toxic agent or matter on a human or animal body surface, in or on a product prepared for consumption or on other inanimate objects, including aircraft or conveyance, that may constitute a public health risk;

(14) "departure" means, for persons, baggage, conveyances, cargo, aircraft or conveyance, postal parcels or goods, the act of leaving the country;

(15) "designated airports" means the airports designated as such by the Central Government as per the principles laid down in the International Health Regulations, 2005;

(16) "disease" means an illness or medical condition, irrespective of origin or source, that may cause significant harm to humans;

(17) "disinfection" means the procedure whereby health measures are taken to control or kill infectious agents on a human or animal body surface or in or on baggage, cargo, containers, aircraft or conveyances, facilities, goods and postal parcels by direct exposure to chemical or physical agents;

(18) "disinsection" means the procedure whereby health measures are taken to control or kill the insect vectors present in baggage, cargo, containers, aircraft or conveyances, facilities, goods and postal parcels;

(19) "event" means a manifestation of disease or an occurrence that creates a potential for disease;

(20) "free pratique" means permission for aircraft after landing, to embark or disembark, discharge or load cargo or stores;

(21) "goods" mean tangible products, including animals and plants, transported on an international voyage, including for utilisation on board a aircraft or conveyance;

(22) "health measure" means procedures applied to prevent the spread of disease or contamination and shall not include security measures;

(23) "infected area" means, in relation to –

(i) Yellow fever disease, any area declared as such by the World Health Organization;

(ii) Public health emergency of international concern, any area declared as such by the World Health Organization or National IHR focal point;

(24) "infected person" means a person who is suffering from yellow fever disease or public health emergency of international concern, or who is believed to be infected with such a disease;

(25) "ill person" means an individual suffering from or affected with a physical ailment that may pose a public health risk;

(26) "infection" means the entry and development or multiplication of an infectious agent in the body of humans and animals that may constitute a public health risk;

(27) "inspection" means examination, by the airport health officer of areas, baggage, containers, aircraft or conveyances, facilities, goods or postal parcels, including relevant data and documentation, to determine if a public health risk exists;

(28) ÏHR"means International Health Regulatios.

(29) "international flight" means a flight for which the place of departure and the place of destination are situated within the territories of two or more countries;

(30) "invasive" means the puncture or incision of the skin or insertion of an instrument or foreign material into the body or the examination of a body cavity and shall not include medical examination of the ear, nose and mouth, temperature assessment using an ear, oral or cutaneous thermometer, or thermal imaging; medical inspection; auscultation; external palpation; radioscopy; external collection of urine, faeces or saliva samples; external measurement of blood pressure; and electrocardiography;

(31) "isolation" means separation of ill or contaminated persons or affected baggage, containers, aircraft or conveyance, facilities, goods or postal parcels from others in such a manner as to prevent the spread of infection or contamination;

(32) "National IHR focal point" means a national center as such designated by the Central Government or the purpose of these rules;

(33) "medical examination" means the preliminary assessment of a person by an authorized health worker or by a person under the supervision of the airport health officer, to determine the person's health status and potential public health risk to others, and shall include the scrutiny of health documents, and a physical examination when justified by the circumstances of the individual case;

(34) "Pilot-in-Command, means pilot engaged in respect of commercial operations the pilot designated by the operator as being in command and charged with the safe conduct of a flight.

(35) "point of entry" means a passage for international entry or exit of persons, baggage, cargo, containers, aircraft or conveyances, facilities, goods and postal parcels providing services to them on entry or exit;

(36) "period of incubation" means,—

(i) in respect of yellow fever, it will be six days; and

(ii) in respect of other diseases, such period as may be declared by the Central Government;

(37) "public health emergency of international concern" means an extraordinary event which is determined—

(i) to constitute a public health risk to the country and other countries through the international spread of disease; and

(ii) to potentially require a coordinated international response;

(38) "public health risk" means the likelihood of an event that may adversely affect the health of human populations, with an emphasis on one which may spread internationally or may present a serious and direct danger;

(39) "quarantine" means the restriction of activities and, or, separation from others of suspect persons who are not ill or of suspect baggage, cargo, containers, aircraft or conveyances, facilities, goods and postal parcels in such a manner as to prevent the possible spread of infection or contamination;

(40) "surveillance" means the systematic ongoing collection, collation and analysis of data and the timely dissemination of public health information for assessment and public healthresponse as may be considered necessary for public health purposes;

(41) "suspect" means those persons, baggage, cargo, containers, aircraft or conveyances, facilities, goods and postal parcels considered by the airport health officer as having been exposed, or possibly exposed, to a public health risk and that could be a possible source of spread of disease;

(42) "traveler' means any person undertaking an international voyage including crew;

(43) "vector" means an insect or other animal which normally transports an infectious agent that constitutes a public health risk;.

PART II – PUBLIC HEALTH RESPONSE

3. Functions of Central Government.— (1) The Central Government shall designate a National IHR focal point for the implementation of health measures provided under these regulations and notify occurrence of public health emergency of international concern and constituted a task force to deal with such occurrence of public health emergency of international concern or any other infection disease.

(2) The National IHR focal point designated under sub-regulation (1) shall—

(a) coordinate the public health response within the country;

(b) report occurrence of public health emergency of international concern to the contact point designated by the World Health Organisation; and

(c) disseminate information to, and consolidate input from, the concerned government departments dealing with surveillance and reporting, points of entry, public health services, clinics and hospitals.

4. Role of airport health officer. — Airport health officer shall,—

(a) be responsible for surveillance and application of public health measures at the airports, including health screening and medical examination of the travelers, if necessary; and inspection of baggage, cargo, containers, aircraft or conveyances, facilities, goods and postal parcels, human remains and relevant documents, whenever necessary;

(b) supervise and coordinate with the concerned agency to ensure that facilities used by travelers are maintained in a sanitary and hygienic condition including potable water supplies, public wash rooms, appropriate liquid and solid waste disposal facilities and are kept free of sources of infection and contamination, including vectors by conducting periodic inspections;

(c) supervise and provide technical guidance to the concerned agency for disinfection, disinsection and decontamination of baggage, cargo, containers, aircraft or conveyances, facilities, goods and postal parcels and human remains as appropriate;

(d) provide technical guidance to the concerned agency for removal and safe disposal of any contaminated water, food, human or animal remains or excreta, waste water and any other contaminated matter from an aircraft and airport premises;

(e) provide in place effective contingency plan to deal with public health emergency of international concern and any other infectious disease and shall direct the aircraft or conveyance operator for taking preventive measures;

(f) disseminate information to the concerned agencies at the airport regarding the public health emergency of international concern and the measures to deal with it;

(g) communicate as quickly as possible, with the National IHR focal point on the relevant surveillance activities, potential public health risk, and public health measures;

(h) take all practicable measures to monitor and control the potentially disease causing agents which might contaminate the airport premises;

(i) coordinate additional health measures at the airport as decided by the Central Government in the event of public health emergency of international concern;

(j) consider, if there are verifiable indications or evidence that the measures applied on departure from the affected area were unsuccessful, imposition of and additional health measures for travelers, aircraft or cargo, containers, conveyances, goods, postal parcels and human remains arriving from an affected area on arrival;

PART III – ARRIVAL

5. General provisions for incoming aircraft.— (1) Except as provided under these rules, aircraft shall not be refused *free pratique* for public health reasons.

(2) Any airline, company or an agent on its behalf operating an aircraft engaged in any international flight to India shall provide, —

(a) prior to arrival, passenger manifest and information regarding illness or death on board and any health measures applied on board;

(b) on arrival, a duly filled and signed Aircraft General Declaration as provided at Annexure 5.

(3) An aircraft in transit shall be restricted to a particular area of the airport and no embarkation, disembarkation, loading, unloading and discharge shall be allowed:

Provided that such aircraft shall be permitted to take on, under the supervision of the competent authority, fuel, water, food and medication.

(4) When the airport health officer has reason to believe that the baggage, cargo, containers, aircraft or conveyances, facilities, goods and postal parcels have become contaminated by the infection of public health emergency of international concern or may serve as a vehicle for the spread of any such disease, such baggage, cargo, containers, aircraft or conveyances, facilities, goods and postal parcels shall be subjected to health measures provided for under these rules.

(5) Mail, newspapers, books, and other printed matters shall not be normally subjected to any sanitary measures.

(6) Cargo pertaining to food items and live stocks shall be dealt with as provided under rule 13.

(7) Till such time of clearance by the airport health officer, the cargo containing hazardous material shall be subject to strict inspection measures:

Provided that laboratory samples, blood, blood products and life saving medicines shall be exempted from the inspection.

6. Health measures during public health emergencies.— (1). Any aircraft having an infected person, (live or dead), on board shall be—

(i) required to land at an airport other than the airport of destination;

(ii) inspected after granting *free pratique* and, if a source of infection or contamination is found on board, airport health officer may cause necessary disinfection, decontamination,

disinsection, or any other measures to be carried out, to prevent the spread of the infection or contamination; and

(iii) restricted, if the circumstances so require, to a particular area of the airport, and embarkation, disembarkation, loading, unloading and discharge shall be allowed only when the airport health officer is satisfied with the health measures undertaken:

Provided that such aircraft shall be permitted to take on, under the supervision of the airport health officer, fuel, water, food and medication.

(2) Any aircraft cleared at one airport in the country shall be deemed to have been cleared for all other airports in the country subject to no untoward health event occurring during the journey.

(3) Immediately on arrival and before disembarkations, the pilot-in-command of the aircraft shall provide the following information to the airport health officer, namely:—

(i) format of General Declaration as specified at Annexure 5;

(ii) voluntary health form (when applicable);

(iii) travelers' destination and telephone numbers and addresses, so that the traveler can be contacted;

(iv) travelers' itinerary to ascertain if there was any travel in or near an affected area or other possible contacts with infection or contamination prior to arrival, as well as review of the travelers' health documents if they are required;

(v) the aircraft configuration, cargo manifest, passengers' seat number and other such details to facilitate in the medical examination of passengers and crew, if necessary.

(4) The aircraft that has been considered as affected shall cease to be regarded as such when the airport health officer is satisfied that—

(i) the measures provided under these rules have been effectively carried out; and

(ii) there are no conditions on board that could constitute a public health risk.

(5) Health measures taken pursuant to these rules shall be completed without delay and applied in a transparent and non-discriminatory manner.

7. Additional health measures during public health emergency.—

The airport health officer may,—

(a) require all travelers to undergo least intrusive or invasive medical examination to achieve the public health objective;

(b) keep under isolation any infected or affected or suspected traveler for such period as he may consider necessary.

(c) require travelers' who have been exposed to infection, if they disembark, be placed under isolation or quarantine or surveillance for a period not exceeding the incubation period of the public health emergency of international concern to which they have been exposed, such period being reckoned from the time of the last exposure to infection;

(d) require documents related to vaccination or other prophylaxis as recommended by World Health Organisation;

(e) Apply additional health measures that prevent or control the spread of disease, including isolation, quarantine, and prophylaxis or placing the traveler under public health observation, if necessary; and

(f) either require the traveler to undergo medical examination including laboratory investigations and undertake public health measures to the extent necessary to control such a risk, or deny

entry, as deemed fit, if there are reasonable grounds to believe that there is an imminent public health risk.

8. Special circumstances.—(1) The following provisions shall apply if an aircraft, lands at an airport other than the airport at which it was scheduled to land on health grounds—

(i) the pilot-in-command of the aircraft shall make every effort to communicate with the nearest air port health officer without delay about the emergency landing;

(ii) as soon as the airport health officer has been informed of the landing, he may apply health measures provided in these rules or any other health measures as he deems fit;

(iii) no traveler on board shall be allowed to leave its vicinity and no cargo shall be removed from that vicinity, unless required for emergency purposes, authorised by the airport health officer.

(2) When all health measures required by the airport health officer have been completed, the aircraft shall be allowed to proceed to the airport.

9. Isolation and quarantine facilities.— (1) The Central Government shall make suitable arrangements for isolation and quarantine of the passengers at the designated airports, as may be notified in this behalf.

(2) In case of other airports where suitable arrangements for isolation and quarantine are not available, the airport health officer may require the travelers to be diverted to the designated airports by the concerned airlines.

(3) The passengers suffering from public health emergency of international concern shall be treated free of cost at the identified hospitals as may be decided by the Central Government or any State Government in consultation with the Central Government.

(4) Any person, who is required to be disembarked and isolated for any period, may be removed, or caused to be removed, to an identified hospital detaining him therein for a period, as required.

(5) Persons who are under isolation for diseases may, in exceptional circumstances, at the discretion of the airport health officer be allowed to continue their journey before the expiry of the isolation period provided measures to safeguard the health of the other passengers and crew are taken.

PART – IV – DEPARTURE

10. General provisions before departure.—(1) The provisions of this Part shall apply to all aircrafts leaving India on an international flight.

(2) The airport health officer shall, persuade the person to avoid travel or, if necessary, prohibit the embarkation on any aircraft if,—

(i) any person showing symptoms of any public health emergency of international concern; and

(ii) any person whom the airport health officer considers likely to transmit infection because of his close contact with a person showing symptoms of public health emergency of international concern, in order to safeguard the health of other passengers and crew.

(3) Whenever the airport health officer considers it necessary, he may undertake health screening or medical examination of departing travelers, and take other health measures as are required.

(4) The airport health officer shall require a valid vaccination certificate or other documents from the departing travelers.

(5) A person in transit on an international flight, who is under surveillance, may be allowed to continue his journey in which case the airport health officer shall record this fact in the Aircraft General Declaration at Annexure 5.

(6) Subject to the provisions contained in this part, the airport health officer shall, before the aircraft departs, ensure the application of health measures to the travelers, baggage, cargo, containers, aircraft or conveyances, facilities, goods and postal parcels appropriate for the public health emergency of international concern.

PART – V – VECTOR CONTROL

11. Vector control measures.— (1) All arriving aircraft,—

(i) shall be required to be disinsected before landing at any airport in India in accordance with the provisions specified at Annexure 1 and the recommended methods of disinsection for aircrafts and laid down by the World Health Organisation as specified at Annexure 4.

(ii) notwithstanding the provisions contained in clause (i), if the pilot—in—command certifies that the aircraft—

(a) has not visited a yellow fever affected country, as specified at Annexure 6 during the last thirty days; or

(b) has visited a yellow fever affected country during the last thirty days but has been disinsected thereafter; and

(c) is not carrying on board any passenger who has visited yellow fever affected country during the last six days; or

(d) has a valid residual insecticide spray certificate, the aircraft shall not require dis— insection; and

(iii) in case of public health emergency of international concern, may be subjected to additional measures as deemed necessary by the airport health officer.

(2) At airport—

(i) the buildings, places used by travelers shall be required to be equipped with suitable equipment and all the necessary measures shall be taken to maintain the public places free from all kinds of vectors including mosquitoes, rats and such other insects;

(ii) occupants or owner of the premises in any area shall be responsible for undertaking appropriate anti vector measures so as to keep their premises free from vectors of all types and the airport health officer shall supervise vector status within the airport premises so that it is kept free of all types of vectors for the purpose of these rules;

(iii) the airport health officer shall coordinate with concerned agencies for undertaking appropriate measures so as to keep their premises and to keep a distance of at least four hundred meters around the perimeter of every airport free of vectors of yellow fever, with extension of the minimum distance, if vectors with greater range are present.

PART -VI-PROVISIONS RELATED TO DEAD BODIES

12. Special provisions relating to the carriage of dead bodies and cremated remains.— (1) No person shall bring into India any human dead body or remains of persons who may have died of public health emergency of international concern, yellow fever or such other disease as may be notified by the Central Government without prior approval of the airport health officer.

(2) The airport authorities shall ensure that the dead body or human remains transported from abroad are kept at a separate designated place and shall observe proper professional etiquette while clearing the dead body.

(3) The consignee as well as the operator shall give prior information, of at least twelve hours of importation of the human dead body or remains or ashes of cremated bodies, to the airport health officer of the airport of arrival. The Format of dead body clearance is as specified in at Annexure 7:

Provided that nothing in this rule shall apply to the dead body of a person who dies during flight before arrival of the aircraft in India:

(4) The pilot-in-command of the aircraft shall send, prior information to the airport health officer of the airport, where he proposes to land in India, regarding the occurrence and, if possible, cause of death. On landing of the aircraft no passenger or member of the crew shall disembark until appropriate health measures have been taken by the airport health officer.

(5) All human remains arriving at Indian airports shall be accompanied by the following documents for the health clearance, namely: —

(i) Documents required for clearing a dead body —

(a) embalming certificate stating that the dead body or human remains have been embalmed and placed in a hermetically sealed (airtight and water proof) casket;

(b) death certificate or a true copy thereof with proper translation in English;

(c) a certificate or endorsement by the consignee that the casket contains the dead body or human remains of the person whose documents are presented for clearance to the airport health officer and nothing else;

(d) a certificate or endorsement of death from the Indian Diplomatic representatives, at the country of origin (of occurrence of death):

The airport health officer may waive off the requirement of any of the above documents after ascertaining that there is no public health risk, on the basis of accompanying documents;In case the cause of death cannot be ascertained (in case of death on board), body will be snet for postmortem as per rules.

(e) in case death has occurred due to chemical, radiation hazard, nuclear, food related event, the necessary documentation to this effect shall also be obtained.

(ii) In case where embalming is not undertaken death due to drowning or severe burns bodies or human remains have to be packed in a hermetically sealed urn or container. Un-embalmed human remains shall be required to meet additional packing requirements as may be assessed by the airport health officer as per the provisions contained in the Air Craft (Carriage of Dangerous Goods) Rules, 2003 along with the Aircraft Rules, 1937.

(iii) If the dead body or human remains have been properly cremated, the cremated ashes shall be placed in a hermitically sealed urn or a similar container.

(iv) In the case of un-cremated remains, the following procedure shall be adopted, namely:—

(a) where a coffin has been exhumed and proves on examination to be intact, sound and free from offensive odour, it should be enclosed in hermetically sealed zinc or tin—lined wooden packing case filled with saw—dust impregnated with carbolic powder;

(b) where a coffin has been exhumed and is not intact and free from odour, its contents should be dealt with in accordance with the requirements of clause (a) above.

(v) Subject to the provisions of these rules, a package containing a dead body or human remains or ashes of cremated remains, which is in transit through India, shall not be subjected to any restrictions if it has been packed and sealed in the manner prescribed under these rules or in a manner which, in the opinion of the airport health officer, is considered to be equally satisfactory.

(vi) In cases of deaths due to communicable diseases not reported in India and having public health risk, such as viral hemorrhagic fevers (Lassa, Marburg, Ebola, Congo Crimean), avian influenza and severe acute respiratory syndrome or others not yet isolated or named, the airport health officer may restrict the importation of human remains. While such restrictions are not generally employed, the health officer reserves the right to do so on a case to case basis, with the approval of the Central Government. Such bodies when permitted will be cremated under the supervision of airport health officer with the help of local police.

(vii)The package containing dead body or human remains or ashes of cremated bodies shall not be opened during its transit and shall be in sound sealed condition at the time of arrival. It shall not be removed from the precincts of the airport until the airport health official has permitted in writing its removal.

(viii)In case death has occurred due to chemical, radiation hazard, nuclear, food related event, the package containing dead body or human remains or ashes of cremated bodies shall not be opened during its transit and shall be in sound sealed condition at the time of arrival. It shall not be removed from the precincts of the airport until the airport health officer gives permission in writing for such removal.

PART – VII — FOOD HYGIENE AND SAFETY

13. Food hygiene requirements.— (1) All food outlets within the airport or flight kitchens shall be licensed by the airport health officer or such other appropriate authority in accordance with the provisions contained in the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006);

(2) Drinking water and food provided at the airport or on the aircraft must be maintained in hygienic condition. Service provider shall ensure mandatory microbiological testing of drinking water quality at the source and submit regular reports to the airport health officer. Airport health officer shall verify such reports to ensure the safety of water;

(3) Food suppliers from outside airport premises shall be required to submit a copy of Food Safety License in respect of the outlet from the concerned designated officer of the outlet to the airport health officer. Airport health officer may however supervise the ready to eat food items served or supplied to the aircraft or airports or outlets in the premises of the airport.

(4) All the food delivery personnel shall undergo periodic medical check-up.

(5) The airport health officer shall supervise the sanitary and food hygiene of all the food establishments including flight kitchens at the airport premises and of the food served within aircraft.

(6) The airport health officer shall discard the food to which is found unhygienic, adulterated and unsafe for human consumption and thereupon shall order for closure of any such food establishment and drinking water source.

PART VIII – SPECIAL PROVISIONS FOR YELLOW FEVER DISEASE

14. Health measures.— (1) A traveler who has visited or transited through a yellow fever affected country and has arrived in India within six days of departure from such country shall be required to possess a valid certificate of vaccination against yellow fever, failing which he shall be quarantined (in a quarantine facility) up to a maximum period of six days from the date of departure from that country. The exemptions from yellow fever vaccination, as mentioned in Annexure 2 will be permitted entry after the due quarantine period.

(2) All the quarantined travelers shall be kept in a mosquito free quarantine facility provided for the purpose at the international airport where the traveler has arrived or at the nearest quarantine facility if there is no such facility at the airport. The cost of transportation of the traveler to the quarantine facility will have to be borne by the traveler or the concerned airlines.

15. Provisions for transit travelers.— Subject to the provisions contained in rule 14, travelers who are in transit and remain in the direct transit area of an airport or, if the airport is not yet provided with such an area, who submit to the measures for segregation prescribed by the airport health officer, shall not be subjected to any health measures other than the medical examination.

PART-IX-MISCELLANEOUS

16. Container and container loading areas in the airport premises.— (1) Disinsection, disinfection, decontamination and other health procedures shall be carried out so as to avoid injury and possible discomfort to persons, or damage to the environment in a way which impacts on public health, or damage to baggage, cargo, containers, aircraft or conveyances, facilities, goods and postal parcels.

(2) Consignees and consignors of containers shall make every effort to avoid cross-contamination when multiple uses loading of containers is employed.

(3) All the agencies responsible for handling of containers shall ensure that facilities for the inspection and isolation of containers are available at container loading areas.

(4) Any sanitary measures, which has been applied to an aircraft at a previous airport of the country, shall not be repeated unless—

(i) after the departure of the aircraft from the airport where the measures were applied, an incident of epidemiological significance calling for a further application of any such measure has occurred either in that airport or on board the aircraft; or

(ii) The airport health officer has reason to believe that the individual measure so applied was not substantially effective.

(5) Goods other than live stock in transit shall not be subject to health measures or detained for public health purposes unless the airport officer feels it necessary.

PART – X – SERVICE CHARGES AND FIXATION OF TARIFF

17. Service charges and tariff for services.—(1) No charges shall be levied on passengers for accommodation, transportation, and treatment during quarantine or isolation period:

Provided that the traveler shall pay charges for food and personal requirements utilized by him.

(2) The airport health officer shall also not levy charges for –

(i) any medical examination or investigations which may be required to ascertain the state of health of a traveler within the available means at his disposal;

(ii) any vaccination, if required, to be given to a traveler on arrival and issuance of vaccination certificate at the time of departure.

(3) The airport health officer shall, on request, issue free of charge —

(i) to any traveler a certificate specifying the date of his arrival or departure and the measures applied to him and his baggage;

(ii) to the consignor, the consignee and the operator a certificate indicating the measures applied to the cargo.

(4) Where charges are levied for applying any health measures to travelers under these rules, there shall be uniform tariff for such charges and every charge shall, —

(i) not exceed the actual cost of the service rendered; and

(ii) be levied without distinction as to the nationality, domicile or residence of the traveler concerned.

(5) If any traveler refuses or fails to pay any charges due from him, then without prejudice to any proceedings that may be taken against him, such charges shall be recoverable from the owner of the aircraft on which such person or member of the crew arrives.

(6) The Central government shall fix the charges for applying public health measures under these rules, which shall be notified in the official Gazette at least ten days in advance.

(7) All the health measures shall be undertaken in accordance with the ethical issues specified in ANNEXURE —8.

PART – XI — OFFENCES AND PENALTIES

18. Offences and penalties.—(1) All passengers, air carriers and agencies at the airport shall comply with the directions given and all measures lawfully imposed by the airport health officer in pursuance of these rules and shall extend the airport health officer co-operation for the discharge of responsibilities vested under these rules.

(2) Any person who, —

(i) obstructs or impedes, or assists in obstructing or impeding any authorized officer in execution of his duties;

(ii) disobeys any lawful order issued by any authorized officer;

(iii) refuses to furnish any information required under these rules;

(iv) furnishing false information, commits an offence under these rules.

(3) Whoever contravenes any provision of these rules, or disobeys, or fails to comply with, any order given in pursuance of these rules, shall be punishable with imprisonment for a term not exceeding six months or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both.

PART –XII— ANNEXURES

ANNEXURE -1

SPECIFIC MEASURES FOR VECTOR—BORNE DISEASES

1. Every conveyance leaving an area where vector control is recommended by World Health Organisation or where vector of yellow fever exists, should be disinsected and kept free of vectors. The presence of vectors on board conveyances and the control measures used shall be included, in the Health Part of the Aircraft General Declaration,

2. Airport health officer shall ensure that various agencies or airport operator undertake control measures for vectors that may transport an infectious agent that constitutes a public health risk to a minimum distance of 400 metres from those areas of point of entry facilities that are used for operations involving travellers, conveyances, containers, cargo and postal parcels, with extension of the minimum distance if vectors with a greater range are present. For such measures airport health officer, may seek assistance from local municipal agency and other concerned agencies.

3. A conveyance may be regarded as suspect and should be inspected for vectors and reservoirs, if —

(a) it has a possible case of vector-borne disease on board;

(b) a possible case of vector-borne disease has occurred on board during an international voyage; or

(c) it has left an affected area within a period of time where on—board vectors could still carry disease.

4. Airport health officer may require application of vector control measures to a conveyance arriving from an area affected by a vector-borne disease including yellow fever, if the vectors for the foregoing disease are present on board.

5. The pilot-in-command shall, during the stay of the aircraft in an airport take such precautions as the Airport health officer may specify in order to prevent rodents gaining access to the aircraft.

ANNEXURE -2

VACCINATION, PROPHYLAXIS AND RELATED CERTIFICATES

1. Vaccines or other prophylaxis specified in this annexure or recommended under these rules shall be of suitable quality; those vaccines and prophylaxis designated by WHO shall be subject to its approval.

2. Persons undergoing vaccination or other prophylaxis shall be provided with an international certificate of vaccination or prophylaxis (hereinafter the “certificate”) in the form specified in this Annexure.

3. Certificates under this Annexure are valid only if the vaccine or prophylaxis used has been approved by WHO.

4. Certificates must be signed by authorised health worker, supervising the administration of the vaccine or prophylaxis. The certificate must also bear the official stamp of the administering centre; however, this shall not be an accepted substitute for the signature.

5. Certificates shall be fully completed in English.

6. Any amendment of this certificate, or erasure, or failure to complete any part of it, may render it invalid.

7. Certificates are individual and shall in no circumstances be used collectively. Separate certificates shall be issued for children.

8. A parent or guardian shall sign the certificate when the child is unable to write. The signature of an illiterate shall be indicated in the usual manner by the person’s mark and the indication, that this is the mark of the person concerned.

9. Travelers with exemption certificate for yellow fever vaccination would be permitted entry only after the mandatory quarantine period as provided under these rules related to yellow fever.

10. An equivalent document issued by the Armed Forces to an active member of those Forces shall be accepted in lieu of an international certificate in the form shown in this Annexure if:

(a) it embodies medical information substantially the same as that required by such form;

(b) it contains a statement in English or in French and where appropriate in another language in addition to English or French recording the nature and date of the vaccination or prophylaxis and to the effect that it is issued in accordance with this paragraph.

MODEL INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION OR PROPHYLAXIS

This is to certify that [name] ....., date of birth ....., sex ....., nationality ....., national identification document, if applicable .....whose signature follows ……..... has on the date indicated been vaccinated or received prophylaxis against: (name of disease or condition) ……. in accordance with the International Health Regulations.

Vaccine or prophylaxis	dated	Signature and professional status of supervising clinician	Manufacturer and batch No. of vaccine or prophylaxis	Certificate valid from ..... until	Official stamp of administering centre
1.					
2.					

1. This certificate is valid only if the vaccine or prophylaxis used has been approved by the World Health Organization.

2. This certificate must be signed in the hand of the clinician, who shall be a medical practitioner or other authorized health worker, supervising the administration of the vaccine or prophylaxis. The certificate must also bear the official stamp of the administering centre; however, this shall not be an accepted substitute for the signature.

3. Any amendment of this certificate, or erasure, or failure to complete any part of it, may render it invalid.

4. The validity of this certificate shall extend until the date indicated for the particular vaccination or prophylaxis. The certificate shall be fully completed in English or in French. The certificate may also be completed in another language on the same document, in addition to either English or French.

ANNEXURE- 3

REQUIREMENTS CONCERNING VACCINATION OR PROPHYLAXIS

FOR SPECIFIC DISEASES

1. In addition to any recommendation concerning vaccination or prophylaxis, the following diseases are those specifically designated for which proof of vaccination or prophylaxis shall be required for travelers as a condition of entry in to India.

Vaccination against yellow fever:

2. Recommendations and requirements for vaccination against yellow fever:

(a) For the purpose of this Annexure:

(i) the incubation period of yellow fever is six days;

(ii) Yellow fever vaccines approved by WHO provide protection against infection starting ten days following the administration of the vaccine;

(iii) this protection continues for life long (in case of residents of yellow fever endemic countries) and ten years(in case of residents of countries non-endemic for yellow fever); and

(iv) the validity of a certificate of vaccination against yellow fever shall extend for a period of ten years, beginning ten days after the date of vaccination or, in the case of a re-vaccination within such period of ten years, from the date of that re-vaccination.

(b) Vaccination against yellow fever shall be required of any traveler leaving an area where WHO has determined that a risk of yellow fever transmission is present.

(c) A traveler in possession of a valid certificate of vaccination against yellow fever shall not be treated as suspect, even if coming from an area where WHO has determined that a risk of yellow fever transmission is present.

(d) Only Yellow fever vaccination certificate issued from yellow fever vaccination center designated by the country and notified to WHO will be accepted.

(e) If a traveler is in possession of a certificate of vaccination against yellow fever which is not yet valid, the traveler may be permitted to depart, but the provisions of paragraph (f) of this annexure may be applied on arrival.

(f) Any traveler from an area where the WHO has determined that a risk of yellow fever transmission is present, who is unable to produce a valid certificate of vaccination against yellow fever, shall be quarantined until the certificate becomes valid, or until a period of not more than six days, reckoned from the date of last possible exposure to infection, has elapsed, whichever occurs first.

ANNEXURE- 4

WHO RECOMMENDED METHODS OF DISINSECTION FOR AIRCRAFTS

As per the International Programme for Chemical Safety (IPCS) 1995 WHO recommends the following methods of disinsection, and will be accepted for flight disinsection:

1. Blocks – away method
2. Top on Descent
3. Residual disinsection

2. The details of procedure, disinsectant, chemicals and its validity will be as per the specifications recommended by WHO.

3. Proof of disinsection will have to be submitted to the airport health officer on arrival, failing which the airport health officer reserves the right to disinsect the aircraft.

ANNEXURE -5

FORMAT FOR GENERAL DECLARATION OF HEALTH

THIS DOCUMENT IS PART OF THE AIRCRAFT GENERAL DECLARATION,

PROMULGATED BY THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION

HEALTH PART OF THE AIRCRAFT GENERAL DECLARATION

Declaration of Health

Name and seat number or function of persons on board with illnesses other than airsickness or the effects of accidents, who may be suffering from a communicable disease (a fever – temperature 38°C/100 °F or greater — associated with one or more of the following signs or symptoms, e.g. appearing obviously unwell; persistent coughing; impaired breathing; persistent diarrhoea; persistent vomiting; skin rash; bruising or bleeding without previous injury; or confusion of recent onset, increases the likelihood that the person is suffering a communicable disease) as well as such cases of

illness disembarked during a previous stop …….....

…….....

Details of each disinsecting or sanitary treatment (place, date, time, method) during the flight. If no disinsecting has been carried out during the flight, give details of most recent disinsecting

……

……...

Signature, if required, with time and date

_____

Crew member concerned

ANNEXURE-6

YELLOW FEVER ENDEMIC COUNTRIES* LIST

AFRICA

1. Angola
2. Benin
3. Burkina Faso
4. Burundi
5. Cameroon
6. Central African Republic
7. Chad
8. Congo
9. Cote d'Ívoire
10. Democratic Republic of Congo
11. Equatorial Guinea
12. Ethiopia
13. Gabon
14. Gambia
15. Ghana
16. Guinea
17. Guinea – Bissau
18. Kenya
19. Liberia
20. Mali
21. Mauritania
22. Niger
23. Nigeria
24. Rwanda
25. Senegal
26. Sierra Leone
27. Sudan
28. South Sudan
29. Togo
30. Uganda

SOUTH AMERICA

1. Argentina
2. Bolivia
3. Brazil
4. Colombia
5. Ecuador
6. French Guyana
7. Guyana Panama
8. Guyana
9. Paraguay
10. Peru
11. Surinam
12. Trinidad & Tobago
13. Venezuela

Note: Total Yellow Fever endemic Countries as of now are 30 in African continent and 13 South American continent.

** The list of Yellow Fever endemic countries will be subject to update from World Health Organization from time to time.*

ANNEXURE -7

FORMAT FOR DEAD BODY CLEARANCE

GOVERNMENT OF INDIA भारत सरकार

Airport Health Organisation, I.G.I. Airport, New Delhi

विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, इन्दिरा गांधी अर्न्तराष्ट्रीय विमानपत्तन,
टोल ब्रिज के पास, मडिपालपुर, नई दिल्ली—110037

NO OBJECTION CERTIFICATE / स्वास्थ्य अनापत्ती प्रमाण—पत्र

S. NO. /क्र. सं. 601 **Dated /दिनांक**.....

Certified that the dead body/ashes of Late.....

सत्यापित किया जाता है कि मृत शरीर/मृत शरीर अवशेष दिवंगत श्री/श्रीमती.....

bearing passport No..... **Age**..... **Sex**.....

पासपोर्ट संख्या.....उम्र.....पुरूष/स्त्री जो कि.....

arrived by Flight No. ..... **On** ..... **At**.....

उड़ान संख्या..... से..... बजे..... लाई गई।

who died on date ..... **at (Place)**..... **is free from**

प्राप्त संम्बधित कागजातों के अनुसार मृत्यु का कारण.....

transmission of diseases. The cause of death as shown in the death certificate

मृत्यु स्थान..... दिनांक..... है।

is.....

There is no objection from the office to remove the dead body/ashes from the Airport Premises. This certificate does not have any legal bindings.

उपरोक्त मृत शरीर/मृत शरीर अवशेष के इंदिरा गाँधी विमानपत्तन से ले जाने हेतु स्वास्थय दृष्टि से कोई आपत्ति नही है। यह अनापत्ति प्रमाण—पत्र केवल जन स्वास्थय हेतु मान्य है।

Duty Medical Officer /ड्यूटी स्वास्थ्य अधिकारी
A. P. H. O. Delhi/ए.पी.एच.ओ. दिल्ली
I.G.I. Airport, New Delhi
इन्दिरा गांधी अर्न्तराष्ट्रीय विमानपत्तन, नई दिल्ली

ANNEXURE- 8

ETHICAL ISSUES ON HEALTH MEASURES UNDER THESE RULES

The treatment of travellers shall be with respect for their dignity, human rights and fundamental freedoms and minimise any discomfort or distress associated with such measures, including by:

(a) Treating all travellers with courtesy and respect;

(b) Taking into consideration the gender, socio—cultural, ethnic or religious concerns of travellers; and

(c) providing or arranging for adequate food and water, appropriate accommodation and clothing, protection for baggage and other possessions, appropriate medical treatment, means of necessary communication if possible in a language that they can understand and other appropriate assistance for travellers who are quarantined, isolated or subject to medical examinations or other procedures for public health purposes.

2. If a traveller for whom airport health officer require a medical examination, vaccination or other prophylaxis under these Rules and as per paragraph 1 of Article 31 of IHR-2005 fails to consent to any such measure, or refuses to provide the information or the documents referred to in paragraph 1(a) of Article 23 of IHR-2005, the airport health officer concerned may, subject to Articles 32, 42 and 45 of IHR-2005, deny entry to that traveller. If there is evidence of an imminent public health risk, the airport health officer may, in accordance with its national law and to the extent necessary to control such a risk, compel the traveller to undergo or advise the traveller, pursuant to paragraph 3 of Article 23 of IHR-2005, to undergo:

(a) the least invasive and intrusive medical examination that would achieve the public health objective;

(b) Vaccination or other prophylaxis; or

(c) Additional established health measures that prevent or control the spread of disease, including isolation, quarantine or placing the traveller under public health observation.

[F. No. L. 21021/18/2012-PH (IH)/IH]

Dr. ARUN KUMAR PANDA, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKH NATH YADAV
Digitally signed by GORAKH NATH YADAV
Date: 2016.08.17 19:37:52 +05'30'